विषय–सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय–I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया	1.2	3
उत्तरदायित्वों को लागू करने एवं राज्य सरकार के हितों को सुरक्षित रखने में वरीय पदाधिकारियों की विफलता	1.2.1	3
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.2.2	5
संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना	1.2.3	5
प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया	1.2.4	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.2.5	6
पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	1.2.6	7
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित क्रिया–विधि का विश्लेषण	1.3	8
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.3.1	8
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाए गए मुद्दों पर सरकार/विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन	1.3.2	8
स्वीकृत मामलों में वसूली	1.3.2.1	8
विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई	1.3.2.2	9
लेखापरीक्षा योजना	1.4	10
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.5	10
वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	1.5.1	10
यह प्रतिवेदन	1.5.2	10
अध्याय–II : वाणिज्यकर		
कर प्रशासन	2.1.1	12
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2.1.2	12
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	2.1.3	15
संग्रहण की लागत	2.1.4	15
निर्धारिती की विवरणिका	2.1.5	15
संग्रहण का विश्लेषण	2.1.6	16
लेखापरीक्षा का प्रभाव	2.1.7	16
आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली	2.1.8	17
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1.9	17
अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता	2.2	19

विषय–सूची

अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	2.3	36
आवर्त का छिपाव	2.4	36
कर का गलत दर लगाया जाना	2.5	38
इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति	2.6	39
कटौतियों की गलत अनुमति	2.7	40
केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	2.8	41
छूट की गलत अनुमति	2.9	41
किराया प्रभार पर कर का आरोपण नहीं किया जाना	2.10	42
रिवर्स क्रेडिट की संगणना कम किया जाना	2.11	42
कर की रियायती दर की गलत अनुमति	2.12	43
स्वीकृत कर के विलम्ब से भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	2.13	44
निर्यात बिक्री की अनियमित छूट	2.14	45
ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	2.15	45
मूल्यवर्द्धित कर की अधिक प्रतिपूर्ति	2.16	46
आस्थगन का गलत दावा किया जाना	2.17	47
क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना	2.18	47
कर का अधिक संग्रहण	2.19	48
मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन	2.20	49
आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	2.21	50
कर का गलत दर लगाया जाना	2.22	51
निबंधन नहीं किये जाने के कारण प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	2.23	52
प्रवेश कर पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	2.24	53
अध्याय–III : मोटर वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	3.1.1	56
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	3.1.2	56
संग्रहण की लागत	3.1.3	57
लेखापरीक्षा का प्रभाव	3.1.4	57
आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली	3.1.5	58
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1.6	58
बिहार में परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण	3.2	60
अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	3.3	78
मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना	3.4	78

विषय–सूची

अभ्यर्पण में सन्निहित मोटर वाहनों से कर की वसूली नहीं किया जाना	3.5	79
परिवहन वाहन ड्राईभिंग लाइसेंस का अनियमित निर्गमन	3.6	80
मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर का नहीं/कम वसूली	3.7	81
अतिरिक्त कर एवं हरित कर का नहीं/कम वसूली	3.8	82
अध्याय– IV : अन्य कर प्राप्तियाँ		
कः राज्य उत्पाद		
कर प्रशासन	4.1.1	84
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	4.1.2	84
संग्रहण की लागत	4.1.3	85
लेखापरीक्षा का प्रभाव	4.1.4	86
आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली	4.1.5	86
ख : मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस		
कर प्रशासन	4.2.1	87
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	4.2.2	87
संग्रहण की लागत	4.2.3	88
लेखापरीक्षा का प्रभाव	4.2.4	89
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.3	89
सरकारी अधिसूचना/निर्णय का अनुपालन नहीं किया जाना	4.4	91
उत्पाद दूकानों की बन्दोवस्ती	4.5	91
प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किये जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध रहना	4.6	93
अध्याय–V : कर भिन्न प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	95
अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	5.2	96
ईंट भट्ठों का परिचालन	5.3	96
बालू घाटों की बन्दोवस्ती	5.4	98
पत्थर खानों के बन्दोवस्तीधारी से रॉयल्टी और ब्याज की कम वसूली	5.5	100
माँग का सृजन नहीं किये जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं किया जाना	5.6	101
भूमि उपयोग शुल्क की वसूली नहीं किया जाना	5.7	102

प्रस्तावना

31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार किया गया है।

राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन संचालित की जाती है। यह प्रतिवेदन बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, अन्य कर प्राप्तियाँ, खनिज रियायत, फीस, रॉयल्टी और राज्य के अन्य कर भिन्न प्राप्तियों को शामिल करते हुए प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2010–11 की अवधि में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ ही उन मामलों को भी सम्मिलित किया गया है जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सका।

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 35 कंडिकाएँ हैं जिनमें ₹ 893.61 करोड़ से सन्निहित कर, ब्याज इत्यादि का नहीं/कम आरोपित किए जाने से संबंधित मामले हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सामान्य

वर्ष 2010–11 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 44,532.32 करोड़ थी। कर राजस्व के ₹ 9,869.85 करोड़ और कर भिन्न राजस्व के ₹ 985.53 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 10,855.38 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 33,676.94 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्सा: ₹ 23,978.38 करोड़ और सहायता अनुदान: ₹ 9,698.56 करोड़) की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कर राजस्व में राज्य सरकार का अपना योगदान कुल राजस्व का मात्र 24 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.1.1)

दिसम्बर 2010 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2011 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 4,259 एवं 22,364 थी जिसमें ₹ 10,404.30 करोड़ अंतर्निहित थे। 1,671 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.2.1)

हमने वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की वर्ष 2010–11 के दौरान नमूना जाँच किया एवं 1,858 मामलों में ₹ 1,978.35 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। वर्ष 2010–11 के दौरान संबंधित विभागों ने 232 मामलों में अंतर्निहित ₹ 80.26 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया।

(कंडिका 1.5.1)

II. वाणिज्य कर

'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता' पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

घोषणा प्रपत्रों का कमीश्नरी से अंचलों को निर्गम किये जाने हेतु कोई विहित प्रणाली नहीं थी । प्रपत्रों के भंडार का भौतिक सत्यापन हेतु भी कोई प्रावधान नहीं था।

(कंडिका 2.2.8.1 एवं 2.2.9)

कर से छूट/रियायत की स्वीकृति से पूर्व घोषणा प्रपत्रों के उपयोग का टिनक्सिस (TINXSYS) वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं से जाँच करने का कोई प्रावधान नहीं था। पुनः, संवीक्षा का प्रावधान भी रिटर्न में दिखलाये गये क्रय /प्राप्तियों के साथ घोषणा प्रपत्रों के उपयोग की जाँच करना विहित नहीं करता था।

(कंडिका 2.2.11 एवं 2.2.13)

वर्ष 2006–07 से 2009–10 के दौरान वाणिज्यकर विभाग के मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध द्वारा कोई घोषणा प्रपत्र सत्यापन हेतु भेजा नहीं गया था, यद्यपि यह कार्य स्कंध को सौंपा गया था ।

(कंडिका 2.2.12.2)

चार व्यवसायियों ने वर्ष 2006–10 की अवधि के दौरान अन्य राज्यों के व्यवसायियों द्वारा निर्गत सात जाली घोषणा प्रपत्रों के आधार पर ₹ 1.57 करोड की छूट/रियायत का लाभ लिया, जबकि ये घोषणा प्रपत्र उस राज्य के संबंधित अंचलों द्वारा निर्गत नहीं किये गये थे।

(कंडिका 2.2.14.1)

बारह व्यवसायियों ने वर्ष 2006–10 के दौरान 28 घोषणा प्रपत्रों के समर्थन पर ₹ 9.10 करोड़ की छूट/रियायत का लाभ लिया/स्वीकार किया गया। परन्तु तिर्यक जाँच से हमने पाया कि ये घोषणा प्रपत्र ₹ 5.30 करोड़ हेतु ही निर्गत किये गये थे । इस प्रकार ₹ 3.80 करोड़ की छूट अनियमित थी।

(कंडिका 2.2.14.2)

नौ व्यवसायियों ने वर्ष 2006–09 के दौरान राज्य के व्यवसायियों द्वारा निर्गत 26 घोषणा प्रपत्रों के आधार पर ₹ 9.34 करोड़ की छूट/रियायत का लाभ लिया, जबकि ये घोषणा प्रपत्र वास्तव में संबंधित अंचल अथवा व्यवसायी द्वारा दूसरे व्यवसायी को निर्गत किया गया था ।

(कंडिका 2.2.14.3)

तेइस वाणिज्यकर अंचलों में 50 व्यवसायियों द्वारा ₹ 614.29 करोड़ के विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाव किये जाने के फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 123.20 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.4)

सतरह वाणिज्यकर अंचलों में कर के गलत दर लगाए जाने के पता नहीं लगने के फलस्वरूप ब्याज एवं आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 57.68 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.5)

आठ वाणिज्यकर अंचलों में व्यवसायियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावे के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 40.26 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई।

(कंडिका 2.6)

छः वाणिज्यकर अंचलों में तेरह निबंधित व्यवसायियों द्वारा ₹ 814.41 करोड़ की अनुसूचित वस्तुओं के आयात/क्रय का छिपाव किये जाने के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 512.04 करोड़ का प्रवेश कर कम आरोपित किया गया।

(कंडिका 2.21)

III. मोटर वाहनों पर कर

'बिहार में परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुईः

आठ नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर तीन और 27 माह के विलम्ब से लागू किये गए थे।

(कंडिका 3.2.6)

सुरक्षा नीति अपर्याप्त थी तथा आँकड़ों का दुरुपयोग/हेरा–फेरी अथवा अनाधिकृत रुप से जोड़ने/विलोपित करने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली सुभेद्य थी ।

(कंडिका 3.2.11.1)

इनपुट कंट्रोल तथा वैधता जाँच की अपर्याप्तता के फलस्वरूप दोहरा इंजन संख्या एवं चेसिस संख्या, एक ही बीमा कवर नोट में दो या अधिक वाहनों का निबंधन, कर भुगतान की असंगत अवधि दर्ज किये जाने और गलत बैठान क्षमता दर्शाये जाने के कारण डाटावेस अविश्वसनीय था।

(कंडिका 3.2.14)

वाहन सॉफ्वेयर द्वारा जनित कर की राशि, स्थापित व्यावसायिक नियमों के अनुसार नहीं थे।

(कंडिका 3.2.15.3)

बत्तीस जिला परिवहन कार्यालयों में, अप्रैल 2001 एवं दिसम्बर 2010 के दौरान 1,025 परिवहन वाहनों से संबंधित ₹ 16.02 करोड़ (अर्थदण्ड सहित) के बकाए कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा बकायों की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गई थी।

(कंडिका 3.4)

पाँच जिला परिवहन कार्यालयों में, 10,530 व्यावसायिक ड्राइभिंग लाइसेंस अयोग्य व्यक्तियों को स्वीकृत किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 22.11 लाख के राजस्व की हानि हुई एवं इसमें सड़क सुरक्षा का मुद्दा भी सन्निहित था।

(कंडिका 3.6)

IV. अन्य कर प्राप्तियाँ

विलम्ब से बंदोबस्त/अबंदोवस्त उत्पाद दुकानों का संचालन विभाग/बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड द्वारा नहीं किये जाने के कारण अनुज्ञप्ति शुल्क के रुप में सरकार को ₹ 101.78 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 4.5)

प्रेषित मामलों का निष्पादन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 61.44 लाख का सरकारी राजस्व अवरूद्ध हुआ।

(कंडिका 4.6)

V. कर भिन्न प्राप्तियाँ

नौ जिला खनन कार्यालयों में, वर्ष 2009–10 के ईंट मौसम के दौरान 420 ईंट भट्ठे समेकित रॉयल्टी की राशि का भुगतान किए बगैर/आंशिक भुगतान कर परिचालित थे, जिसके फलस्वरूप ₹ 35.63 लाख का साधारण ब्याज के अतिरिक्त ₹ 1.89 करोड़ की रॉयल्टी का नहीं/कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.3.1)

दो सिंचाई प्रमण्डलों में, वर्ष 2008–10 के दौरान खरीफ का 1,27,839.97 एकड एवं रबी का 1,10,991.12 एकड़ सिंचित भूमि की खतियानी प्रमण्डलों द्वारा तैयार नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 1.96 करोड़ के जल कर के माँग का सृजन एवं संग्रहण नहीं हुआ।

(कंडिका 5.6)

चार पथ प्रमंडलों में, छः कम्पनियों से आप्टिकल फाइबर केबल तथा विद्युत लाइनों के बिछाने के लिये भूमि उपयोग शुल्क की वसूली नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप ₹ 62.89 लाख के भूमि उपयोग शुल्क की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.7)

अध्याय I

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2010–11 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को प्रदत्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	ब्योरे	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
1.	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	4,033.08	5,085.53	6,172.74	8,089.67	9,869.85
	• कर भिन्न राजस्व	511.28	525.59	1,153.32	1,670.42	985.53
	कुल	**4,544.36**	**5,611.12**	**7,326.06**	**9,760.09**	**10,855.38**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में हिस्सा	13,291.72	16,766.29	17,692.51	18,202.58	23,978.38
	• सहायता अनुदान	5,247.11	5,831.67	7,962.12	7,564.16	9,698.56
	कुल	**18,538.83**	**22,597.96**	**25,654.63**	**25,766.74**	**33,676.94**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ[1] (1 एवं 2)**	**23,083.19**	**28,209.08**	**32,980.69**	**35,526.83**	44,532.32
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**20**	**20**	**22**	**27**	24

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य सरकार ने विगत वर्ष के 27 प्रतिशत के विरुद्ध कुल राजस्व प्राप्तियों का 24 प्रतिशत राजस्व (₹ 10,855.38 करोड़) सृजित किया। वर्ष 2010–11 के दौरान प्राप्तियों का शेष 76 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था। वर्ष 2009–10 के ₹ 9,760.09 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 10,855.38 करोड़) में 11.22 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रुप से कर राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि एवं कर भिन्न राजस्व में 41 प्रतिशत की ह्रास के कारण हुई, जैसाकि कंडिका 1.1.2 एवं 1.1.3 में वर्णित है।

[1] पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–11– लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष – 0020 निगम कर, 0021 – निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028 – आय और व्यय पर अन्य कर, 0032 – सम्पत्ति पर कर, 0037 – सीमा शुल्क, 0038 – संघीय उत्पाद शुल्क, 0044 – सेवा पर कर एवं 0045 – वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क – लघु शीर्ष 901 – निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में क – कर राजस्व में दिखलाए गए हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।

1.1.2 निम्न तालिका वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि में सृजित कर राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	वर्ष 2009–10 की अपेक्षा 2010–11 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्द्धित कर	2,081.49	2,534.80	3,016.47	3,839.29	4,557.18	(+) 18.70
2.	राज्य उत्पाद	381.93	525.42	679.14	1,081.68	1,523.35	(+) 40.83
3.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस						
	मुद्रांक न्यायिक	455.02	654.15	716.19	53.81	59.05	(+) 10.10
	मुद्रांक न्यायिकेत्तर				708.62	774.20	
	निबंधन फीस				235.47	265.43	
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	62.84	64.05	67.62	66.63	65.22	(–) 2.11
5.	वाहनों पर कर	181.38	273.21	297.74	345.13	455.43	(+) 31.96
6.	माल एवं यात्रियों पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	783.01	937.87	1,279.41	1,613.16	2,006.32	(+) 24.37
7.	भू–राजस्व	74.65	82.10	101.74	123.96	139.02	(+) 12.15
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	12.76	13.93	14.43	21.92	24.65	(+) 12.45
कुल		4,033.08	5,085.53	6,172.74	8,089.67	9,869.85	(+) 22.00

संबंधित विभागों ने वर्ष 2009–10 की तुलना में 2010–11 के दौरान कर राजस्व के संग्रहण में भिन्नता का निम्न कारण प्रतिवेदित किया:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर: यह वृद्धि (18.70 प्रतिशत) राज्य की मुद्रास्फिती, जनसंख्या एवं राज्य का आर्थिक विकास तथा सरकार द्वारा भारी मात्रा में किये गये व्यय के कारण हुई।

मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस : यह वृद्धि (10.10 प्रतिशत) राज्य के शहरी क्षेत्रों के न्यूनतम मूल्य पंजी को 1 अप्रैल 2010 से पुनरीक्षित किए जाने के कारण हुई।

माल एवं यात्रियों पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर : यह वृद्धि (24.37 प्रतिशत) राज्य की मुद्रास्फिती, जनसंख्या एवं राज्य का आर्थिक विकास तथा सरकार द्वारा भारी मात्रा में किये गये व्यय के कारण हुई।

माँगे जाने (जून एवं अक्तूबर 2011के बीच) के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता का कारण सूचित नहीं किया (अक्तूबर 2011)।

1.1.3 निम्न तालिका वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	वर्ष 2009–10 की अपेक्षा 2010–11 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	175.99	170.71	304.57	353.27	237.96	(–) 32.64
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	6.35	6.64	6.15	6.78	7.64	(+) 12.68
3.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	127.65	178.66	245.00	319.93	405.59	(+) 26.77
4.	विविध सामान्य सेवाएँ	20.88	3.02	385.82	770.28	0.34	(–) 99.96
5.	मध्यम सिंचाई	10.95	9.67	10.64	14.80	15.45	(+) 4.39
6.	चिकित्सा एवं लोक–स्वास्थ्य	17.52	21.07	17.25	14.08	15.33	(+) 8.88
7.	मत्स्य पालन	6.09	6.57	6.87	7.87	7.28	(–) 7.50
8.	पथ एवं पुल	16.75	17.95	26.40	30.02	39.60	(+) 31.91
9.	पुलिस	10.53	23.47	9.44	11.89	11.85	(–) 0.34
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	20.28	12.00	8.09	9.42	19.98	(+) 112.10
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	98.29	75.83	133.09	132.08	224.51	(+) 69.98
कुल		511.28	525.59	1,153.32	1,670.42	985.53	(–) 41.00

वर्ष 2010–11 के बिहार सरकार के वित्त लेखे के अनुसार, कर भिन्न राजस्व के संग्रहण में भिन्नता का कारण नीचे दिया गया है:

ब्याज प्राप्तियाँ: यह कमी (32.64 प्रतिशत) मुख्य रुप से विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्ति कम होने के कारण हुई।

विविध सामान्य सेवाएँ: यह कमी (99.96 प्रतिशत) मुख्य रुप से लघु शीर्ष "105– भूमि एवं सम्पत्ति की बिक्री" (₹ 9.73 लाख) तथा "800– अन्य प्राप्तियाँ" (₹ 769.85 करोड़) के तहत प्राप्ति कम होने के कारण हुई। वर्ष 2009–10 के दौरान लघु शीर्ष "800– अन्य प्राप्तियाँ" के तहत प्राप्ति (₹ 770.06 करोड़) में वृद्धि मुख्य रुप से केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये गये ₹ 769.87 करोड़ के कर्ज माफी के कारण हुई थी। वर्ष 2010–11 के दौरान इस प्रकार की कोई भी कर्ज माफी की राशि प्राप्त नहीं हुई थी।

माँगे जाने (जून एवं अक्तूबर 2011 के बीच) के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया (अक्तूबर 2011)।

1.2 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

1.2.1 उत्तरदायित्वों को लागू करने एवं राज्य सरकार के हितों को सुरक्षित रखने में वरीय पदाधिकारियों की विफलता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, लेन–देन की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों की विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संधारण की जाँच हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। उन निरीक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के रुप में, जिनमें निरीक्षण के दौरान पाई गई तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित किया जाता है, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित

अवलोकनों का अनुपालन तथा त्रुटियों और चूकों का सुधार कर निरीक्षण प्रतिवेदन भेजे जाने के एक महीने के अन्दर प्रधान महालेखाकार को प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के अध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

दिसम्बर 2010 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से स्पष्ट था कि जून 2011 के अंत तक 4,259 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 10,404.30 करोड़ से सन्निहित 22,364 कंडिकाएँ लंबित थीं, जैसा कि विगत दो वर्षों के तत्सबंधी आँकड़ों के साथ नीचे दी गई है:

	जून 2009	जून 2010	जून 2011
बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,855	4,150	4,259
लंबित कंडिकाओं की संख्या	20,552	21,968	22,364
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	5,009.24	7,876.02	10,404.30

30 जून 2011 तक बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की विभागवार विवरणी तथा सन्निहित राशि निम्न सारणी में दी गई है:

क्रम सं0	विभाग	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्द्धित कर	550	5,444	4,762.25
		प्रवेश कर	143	322	74.06
		विद्युत शुल्क	21	25	16.74
		मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि	13	21	0.61
2.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	राज्य उत्पाद	383	1,910	858.73
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	1,518	6,532	959.70
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	456	3,195	1,160.04
5.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	427	1,177	191.68
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	316	2,026	977.39
7.	पर्यावरण एवं वन	वनिकी एवं वन्य जीव	143	558	596.26
8.	जल संसाधन	जल दर	233	1,020	763.48
9.	ईख उद्योग	ईख	56	134	43.36
कुल			4,259	22,364	10,404.30

यहाँ तक कि दिसम्बर 2010 तक निर्गत किए गए 1,671 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने के एक माह के अन्दर कार्यालय अध्यक्षों से प्राप्त होना अपेक्षित था, प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण

निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद् विलम्बन, यह संसूचित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने हेतु सरकार एक प्रभावकारी प्रक्रिया की स्थापना के लिए उपयुक्त कदम उठाये। निर्धारित समय सूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया माँग वसूल करने में विफल रहे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु भी विचार कर सकती है।

1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों और निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के निष्पादन की प्रगति को त्वरित और उनका अनुश्रवण करने के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों (विभिन्न अवधियों के दौरान) का गठन किया। वर्ष 2010–11 में लेखापरीक्षा समितियों की बैठकें एवं निष्पादित कंडिकाएँ निम्न तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	संपन्न बैठकों की सं0	निष्पादित कंडिकाओं की सं0	राशि
वाणिज्यकर	1	118	7.01
भू–राजस्व	2	117	6.35
राज्य उत्पाद	2	64	14.04
कुल	**5**	**299**	**27.40**

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के माध्यम से वाणिज्यकर से संबंधित ₹ 4,853.66 करोड़ के प्रभाव वाले 5,812 लंबित कंडिकाओं के विरुद्ध मात्र ₹ 7.01 करोड़ (0.14 प्रतिशत) से सन्निहित 118 कंडिकाएँ ही निष्पादित किए जा सके। इसके अतिरिक्त, भू–राजस्व के 6,532 लंबित कंडिकाओं में सन्निहित राशि ₹ 959.70 करोड़ के विरुद्ध ₹ 6.35 करोड़ (0.66 प्रतिशत) से सन्निहित मात्र 117 कंडिकाएँ, जबकि राज्य उत्पाद के 1,910 लंबित कंडिकाओं में सन्निहित राशि ₹ 858.73 करोड़ के विरुद्ध ₹ 14.04 करोड़ (1.63 प्रतिशत) से सन्निहित मात्र 64 कंडिकाएँ ही विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की माध्यम से निष्पादित किए जा सके।

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के निष्पादन हेतु सरकार नियमित अंतराल पर विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों का आयोजन हेतु उपयुक्त कदम उठा सकती है।

1.2.3 संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना

विभिन्न कर/राजस्व प्राप्ति कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यक्रम पर्याप्त अग्रिम रुप से तैयार किया जाता है और साधारणतया लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने के एक माह पूर्व ही संबंधित विभाग को सूचनाऐं भेजी जाती है, जिससे कि लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु संबंधित अभिलेख तैयार रख सकें।

वर्ष 2010–11 के दौरान छः राजस्व शीर्षों से संबंधित 56 कार्यालयों के 187 कर निर्धारण अभिलेख/अन्य अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इन सभी मामलों में सन्निहित राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इन मामलों का वर्षवार विवरणी **परिशिष्ट–I** में दिया गया है।

1.2.4 प्रारुप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

मुख्य सचिव, बिहार सरकार ने सभी विभागों को निर्देश निर्गत (अगस्त 1967) किया था कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारुप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजें। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम के कंडिका 207 (1) के अनुसार प्रधान महालेखाकार प्रारुप कंडिकाओं को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रसारित करते हैं। विभागों से उत्तर की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अंत में निरपवाद रुप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 33 प्रारुप कंडिकाओं तथा दो समीक्षाओं को संबंधित विभागों के सचिवों को मई और सितम्बर 2011 के बीच अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किया गया था।

वाणिज्यकर विभाग के आयुक्त–सह–सचिव ने दो प्रारुप कंडिकाओं का आंशिक उत्तर भेजा। शेष कंडिकाओं में सरकार का उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.2.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

सरकारी विभागों को लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर स्वतः स्पष्ट कार्यवाई टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट) तैयार करना है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानमंडल के पटल पर रखे जाने के तीन महीने के अन्दर इसे लोक लेखा समिति को भेजी जानी है।

हमने स्थिति की समीक्षा की एवं पाया कि अगस्त 2011 तक 11 विभागों द्वारा वर्ष 1990–91 एवं 2009–10 के बीच के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 84 कंडिकाओं के संबंध में स्वतः स्पष्ट कार्यवाई टिप्पणी पुनरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। विलम्ब की अवधि 10 माह से लेकर 17 वर्षों से अधिक तक थी, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

क्रम सं0	विभाग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की तिथियाँ	विभागीय टिप्पणियों के भेजे जाने की अंतिम तिथि	कंडिकाओं की संख्या जो विभागीय टिप्पणियों के लिए बकाये थे	विलम्ब (माह में)
1.	वित्त	2004–05	मार्च 2006	जून 2006	01	62
2.	वाणिज्यकर	2000–01, 2005–06 से 2009–10	दिसम्बर 2003, जुलाई 2007 से जुलाई 2011	मार्च 2004, अक्तूबर 2007 से अक्तूबर 2011	25	10 से 89
3.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	1990–91, 1995–96 से 1997–98, 1999– 2000, 2006–07, 2009–10	मार्च 1994, मार्च 1997 से अगस्त 1999, मार्च 2002, मार्च 2008, जुलाई 2011	जून 1994, जून 1997 से नवम्बर 1999, जून 2002, जून 2008, अक्तूबर 2011	10	38 से 206
4.	राजस्व एवं भूमि सुधार	2004–05 से 2005–06, 2008–09	मार्च 2006 से जुलाई 2007, जुलाई 2010 से जुलाई 2011	जून 2006 से अक्तूबर 2007, अक्तूबर 2010 से अक्तूबर 2011	04	10 से 62

5.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	2000–01, 2002–03 से 2003–04, 2008–09 से 2009–10	दिसम्बर 2003, दिसम्बर 2004 से दिसम्बर 2005, जुलाई 2010 से जुलाई 2011	मार्च 2004, मार्च 2005 से मार्च 2006, अक्तूबर 2010 से अक्तूबर 2011	09	10 से 89
6.	परिवहन	2000–01, 2008–09 से 2009–10	दिसम्बर 2003, जुलाई 2010 से जुलाई 2011	मार्च 2004, अक्तूबर 2010 से अक्तूबर 2011	07	10 से 89
7.	खान एवं भूतत्व	2002–03 से 2003–04, 2005–06 से 2006–07, 2009–10	दिसम्बर 2004 से दिसम्बर 2005, जुलाई 2007, मार्च 2008, जुलाई 2011	मार्च 2005 से मार्च 2006, अक्तूबर 2007 से जून 2008, अक्तूबर 2011	10	38 से 77
8.	पर्यावरण एवं वन	2003–04, 2005–06 से 2007–08	दिसम्बर 2005, जुलाई 2007 से जुलाई 2009	मार्च 2006, अक्तूबर 2007 से अक्तूबर 2009	07	22 से 65
9.	जल संसाधन	1995–96, 1997–98, 2005–06 से 2009–10	मार्च 1997, अगस्त 1999, जुलाई 2007 से जुलाई 2011	जून 1997, नवम्बर 1999, अक्तूबर 2007 से अक्तूबर 2011	08	10 से 170
10.	शहरी विकास एवं आवास	1997–98	अगस्त 1999	नवम्बर 1999	1	141
11.	कृषि	2005–06	जुलाई 2007	अक्तूबर 2007	2	46
कुल					84	

स्वतः स्पष्ट कार्यवाई टिप्पणी को प्रस्तुत करने में विलम्ब इस बात का द्योतक है कि कार्यालयों/विभागों के अध्यक्षों ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों, जिसमें अवसूलित राजस्व की काफी राशि सन्निहित थी, पर त्वरित कार्रवाई नहीं की, इनमें से कुछ की वसूली अब कालातीत हो सकती है।

1.2.6 पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2005–06 एवं 2009–10 के दौरान विभागों/सरकार ने ₹ 1,292.90 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से 31 मार्च 2011 तक मात्र ₹ 3.62 करोड़ की ही वसूली हुई थी जैसाकि नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि
2005–06	304.68	8.07	1.26
2006–07	206.42	61.40	0.82
2007–08	523.80	417.49	1.48
2008–09	838.92	709.78	0.02
2009–10	977.82	96.16	0.04
कुल	**2,851.64**	**1,292.90**	**3.62**

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि स्वीकृत मामलों में वसूली (0.28 प्रतिशत), स्वीकृत राशि की तुलना में काफी कम थी।

सरकार को चाहिए कि कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की शीघ्र वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाए।

1.3 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित क्रिया–विधि का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों के निराकरण से संबंधित क्रिया–विधि के विश्लेषण के क्रम में **परिवहन विभाग** से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर सरकार/विभागों द्वारा की गई कार्रवाईयों का मूल्यांकन किया गया। विगत दस वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में पाए गए मामलों के साथ विभाग की क्रिया–विधि एवं वर्ष 2000–01 से 2009–10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित मामलों की समीक्षा अनुवर्ती कंडिकाएँ 1.3.1 एवं 1.3.2 में उल्लिखित है:

1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

अगस्त 2011 तक विगत दस वर्षों के दौरान निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाओं की सारांशित स्थिति नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निष्पादन			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि
2000–01	381	3,452	619.48	14	165	311.85	–	–	–	395	3,617	931.33
2001–02	395	3,617	931.33	22	180	11.25	–	–	–	417	3,797	942.58
2002–03	417	3,797	942.58	50	263	21.82	–	–	–	467	4,060	964.40
2003–04	467	4,060	964.40	10	103	79.63	–	–	–	477	4,163	1,044.03
2004–05	477	4,163	1,044.03	35	274	116.67	–	–	–	512	4,437	1,160.70
2005–06	512	4,437	1,160.70	46	53	198.42	–	–	–	558	4,490	1,359.12
2006–07	558	4,490	1,359.12	25	172	41.63	314	2,256	831.42	269	2,406	569.33
2007–08	269	2,406	569.33	65	201	141.29	–	55	21.01	334	2,552	689.61
2008–09	334	2,552	689.61	43	218	155.98	02	102	57.79	375	2,668	787.80
2009–10	375	2,668	787.80	43	310	253.13	–	13	–	418	2,965	1,040.93

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के अत्यधिक संचयन को देखते हुए लंबित प्रारुप कंडिकाओं, समीक्षाओं, न्यायालय में लंबित मामलों तथा गबन से संबंधित मामलों, जिसमें लोक लेखा समिति/माननीय न्यायालयों का अंतिम निर्णय बाकी है, को छोड़कर वर्ष 1995–96 तक के निरीक्षण प्रतिवेदनों और कंडिकाओं के निष्पादन की जिम्मेदारी विभागों पर छोड़ दिया गया था (अगस्त 2006)।

1.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाए गए मुद्दों पर सरकार/विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन

1.3.2.1 स्वीकृत मामलों में वसूली

विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाएँ एवं विभाग द्वारा स्वीकृत मामले की स्थिति नीचे वर्णित है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं की सं0	कंडिकाओं में सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत कंडिकाओं की सं0	स्वीकृत कंडिकाओं में सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	विभाग द्वारा प्रतिवेदित मामलों में की गई वसूली की स्थिति (₹ लाख में)
2000–01	2	238.23	2 (1 आंशिक)	15.83	0.06
2001–02	4	3.05	3	2.25	6.09
2002–03	4	12.33	4	12.33	149.43
2003–04	3	8.60	2	8.40	74.61
2004–05	2	29.60	2 (1 आंशिक)	23.29	325.70
2005–06	4	32.98	2 (1 आंशिक)	30.13	409.04
2006–07	6	30.44	4	27.70	279.29
2007–08	7	36.18	6	34.21	346.80
2008–09	1	57.68	1	57.68	0.36
2009–10	4	20.96	3	20.41	शून्य
कुल	**37**	**470.05**	**29 (3 आंशिक)**	**232.23**	**1,591.38 या ₹ 15.91 करोड़**

उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि वर्ष 2000–01 से 2009–10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 37 कंडिकाओं में सन्निहित ₹ 470.05 करोड़ राशि में से सरकार/विभाग ने ₹ 232.23 करोड़ से सन्निहित 29 (3 आंशिक) कंडिकाओं को स्वीकार किया जिसके विरुद्ध मात्र ₹ 15.91 करोड़ (6.85 प्रतिशत) की वसूली की जा सकी।

सरकार/विभाग स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित सरकारी राजस्व की वसूली के लिए प्रभावकारी कदम उठा सकती है।

1.3.2.2 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारुप निष्पादन समीक्षाओं को संबंधित विभागों/सरकार को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन समीक्षाओं पर एक्जिट कन्फरेंस में भी विचार विमर्श किया जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए समीक्षाओं को अंतिम रुप देने के समय विभागों/ सरकार के मंतव्यों को समाहित किया जाता है।

परिवहन विभाग की प्राप्तियों पर वर्ष 2004–05 एवं 2008–09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 13 अनुशंसाओं से समाहित तीन समीक्षायें शामिल थी। अनुशंसाओं की स्वीकृति से संबंधित सूचना और उनपर की गई कार्रवाई के संबंध में हमलोग उत्तर की प्रतीक्षा में हैं (अगस्त 2011) जैसा कि नीचे उल्लेखित है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	समीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या
2004–05	मोटर वाहन करों का आरोपण एवं संग्रहण	3
2004–05	सूचना प्राधौगिकी पर आधारित 'पथ परिवहन मैनेजमेंट सूचना प्रणाली (निक्ट्रान)'	3
2008–09	मोटर वाहन करों का आरोपण एवं संग्रहण	7

1.4 लेखापरीक्षा योजना

राजस्व की स्थिति, पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा अवलोकनों की प्रवृत्ति एवं अन्य मापदंडों के अनुसार विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम वाले ईकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। जोखिम के विश्लेषण, जिसमें सरकार के राजस्व और कर प्रशासन के विवेचनात्मक विषयों जैसे, बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेतपत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य एवं केन्द्र), कराधान सुधार समितियों की अनुशंसाओं, विगत पाँच वर्षों के राजस्व आय का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशेषताएँ, लेखापरीक्षा का क्षेत्र और विगत पाँच वर्षों के दौरान उसके प्रभाव आदि शामिल हैं, के आधार पर वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार किया जाता है।

वर्ष 2010–11 के दौरान सम्पूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र में 1,022 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयाँ थी, जिसमें से हमने 296 ईकाइयों की योजना बनाई एवं 280 ईकाइयों की लेखापरीक्षा किया, जो कुल लेखापरीक्षित ईकाइयों का 27.40 प्रतिशत था। विस्तृत विवरणी **परिशिष्ट–II** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त वर्णित अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त हमने उन प्राप्तियों के कर प्रशासन की प्रभावकारिता की जाँच हेतु **'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता'** तथा **'बिहार में परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण'** नामित दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी की, जिन्हे इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.5.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2010–11 की अवधि में हमने वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहन, वन और अन्य विभागीय कार्यालयों के 280 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया और 1,858 मामलों में सन्निहित ₹ 1,978.35 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का अवलोकन किया। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 232 मामलों में सन्निहित राशि ₹ 80.26 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से वर्ष 2010–11 के लेखापरीक्षा के क्रम में 11 मामलों में सन्निहित राशि ₹ 1.29 करोड़ और शेष पूर्व के वर्षों से संबंधित थे। विभागों ने वर्ष 2010–11 के दौरान 111 मामलों में ₹ 63.10 लाख की वसूली की।

1.5.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपित किए जाने से संबंधित ₹ 893.61 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 33 कंडिकाएँ (उपरोक्त संदर्भित वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा परिणामों जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में समाहित नहीं किए जा सके थे, से चयनित) और **'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य मे घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता'** तथा **'बिहार में परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण'** पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ शामिल हैं। विभागों/सरकार ने ₹ 155.08 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 1.21 करोड़ की वसूली की गई। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2011)। इन कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अनुवर्ती अध्याय II से V में चर्चा की गई है।

अध्याय II

वाणिज्यकर

कार्यपालक सारांश

बजट आकलन की तुलना में कर संग्रहण में कमी	वर्ष 2010–11 में बजट आकलन की तुलना में बिक्री, व्यापार आदि कर पर कर/मूल्यवर्द्धित कर के संग्रहण में बजट आकलन की तुलना में 19.02 प्रतिशत की कमी हुई, जिसका कारण विभाग द्वारा किरासन तेल पर कर की दर में कमी, दूर संचार क्षेत्र में ऋणात्मक विकास के साथ–साथ सीमेंट, विद्युत सामग्री, तम्बाकू आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं किया जाना, ठहराया गया था।
विभाग द्वारा हमलोगों के पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए अवलोकनों से संबंधित काफी कम वसूली	वर्ष 2005–06 से 2009–10 के अवधि के दौरान हमलोगों ने बिक्री, व्यापार आदि कर पर कर/मूल्यवर्द्धित कर से संबंधित 2,594 मामलों में ₹ 2,337.63 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कम आरोपण/आरोपण नहीं किए जाने, कम वसूली/वसूली नहीं किए जाने, अवनिर्धारण/राजस्व की हानि, गलत छूट, आवर्त का छिपाव, कर का गलत दर लगाया जाना, गलत संगणना इत्यादि इंगित किया। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 1,554.28 करोड़ से सन्निहित 1,052 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया। ₹ 1,554.28 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामलों के विरुद्ध ₹ 1.99 करोड़ की नगण्य वसूली (0.13 प्रतिशत), सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की तत्परता में अभाव को संसूचित करता है।
आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया जाना	वर्ष 2010–11 के दौरान वाणिज्यकर विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु एक भी ईकाई का चयन नहीं किया। यह आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाता है, जिसके कारण कर निर्धारण प्राधिकारियों से भूल हुई जिसे हमारे लेखापरीक्षा किए जाने तक पता नहीं लगाया जा सका एवं तदन्तर राजस्व का काफी रिसाव हुआ।
वर्ष 2010–11 में हमलोगों द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम	वर्ष 2010–11 में हमलोगों ने वाणिज्यकर से संबंधित 48 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 1,638.83 करोड़ से सन्निहित 1,107 मामलों में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियाँ को पाया। विभाग ने 136 मामलों में सन्निहित ₹ 57.98 करोड़ का अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। वर्ष 2010–11 के दौरान 111 मामलों में ₹ 63.10 लाख की वसूली की गई।
इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण	इस अध्याय में हमने **'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता'** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा वाणिज्यकर विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाए गए अवलोकनों से चयनित कम आरोपण/आरोपण नहीं किए जाने, कम वसूली/वसूली नहीं किए जाने अवनिर्धारण आदि से संबंधित ₹ 863.17 करोड़ से सन्निहित कुछ दृष्टांतस्वरुप मामलों को रखा है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। यह चिन्ता का विषय है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पिछले कई वर्षों से निरंतर हम इन चूकों को इंगित करते रहे हैं परन्तु हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने तक विभाग ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की। हमारा ध्यान इस पर भी है कि यद्यपि हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से इस तरह का चूक स्पष्ट दृष्टिगोचर थे, कर निर्धारण प्राधिकारी इन गलतियों को पता लगाने में असमर्थ थे।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि तंत्र में कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा बताये गए चूकों को भविष्य में टाला जाए। कम–से–कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है।

2.1.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य करों[1] का संग्रहण, वित्त (वाणिज्यकर) विभाग द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख वाणिज्यकर आयुक्त होते हैं। वाणिज्यकर आयुक्त के कार्य सम्पादन में अन्वेषण ब्यूरो सहित मुख्यालय स्तर पर पाँच अपर आयुक्त, तीन वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त, दस वाणिज्यकर उपायुक्त/वाणिज्यकर सहायक आयुक्त एवं पाँच वाणिज्यकर पदाधिकारी सहयोग करते हैं। क्षेत्र स्तर पर राज्य को नौ[2] प्रशासनिक प्रमंडलों, सात[3] अपीलीय प्रमंडलों एवं चार[4] लेखापरीक्षा प्रमंडलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक के प्रधान वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त होते हैं। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 49 अंचलों में विभाजित किया गया है जिसके प्रधान वाणिज्यकर उपायुक्त/वाणिज्यकर सहायक आयुक्त होते हैं जिनकी सहायता वाणिज्यकर पदाधिकारी करते हैं। अंचल, विभाग का मूलभूत केन्द्र है।

2.1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2.1.2.1 बिक्री, व्यापार आदि पर कर/ मूल्यवर्द्धित कर

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान बजट आकलन तथा बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (-)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2006–07	2,364.67	2,081.49	(–) 283.18	(–) 11.98	4,033.08	51.61
2007–08	2,879.93	2,534.80	(–) 345.13	(–) 11.98	5,085.53	49.84
2008–09	2,937.72	3,016.47	(+) 78.75	(+) 2.68	6,172.74	48.87
2009–10	3,948.03	3,839.29	(–) 108.74	(–) 2.75	8,089.67	47.46
2010–11	5,627.69	4,557.18	(–) 1,070.51	(–) 19.02	9,869.85	46.17

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक की अवधि के दौरान यद्यपि बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर के अर्न्तगत प्राप्तियों में वृद्धि हुई, राज्य की कुल कर प्राप्ति की की तुलना में इसी अवधि के दौरान इन प्राप्तियों की प्रतिशतता में लगातार कमी हुई।

वर्ष 2010–11 के दौरान बजट आकलन तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता का कारण किरासन तेल पर कर की दर में कमी, दूरसंचार क्षेत्र में ऋणात्मक विकास के साथ–साथ कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे सिमेंन्ट, विद्युत सामग्री, तम्बाकू आदि में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने को ठहराया गया।

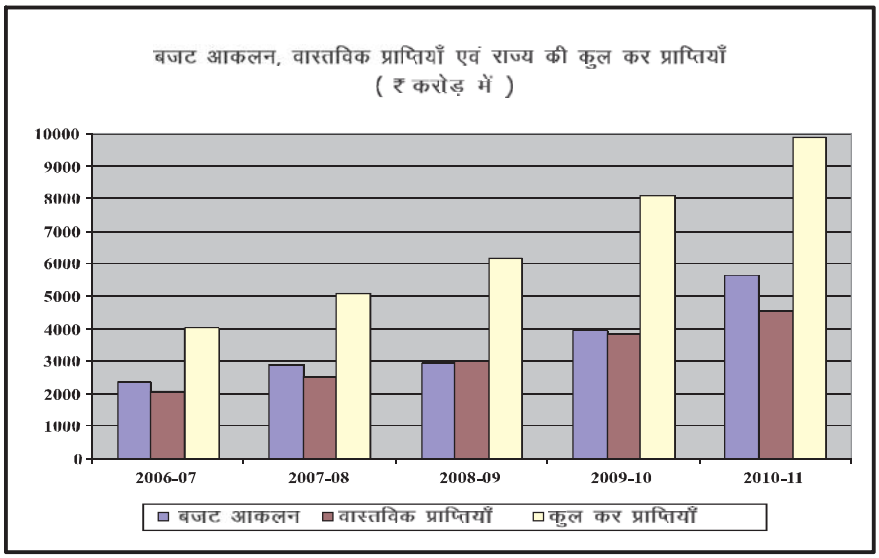
1 वाणिज्यकर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर, प्रवेश कर, विद्युत शुल्क तथा मनोरंजन कर शामिल है।

2 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णियाँ, सारण एवं तिरहुत।

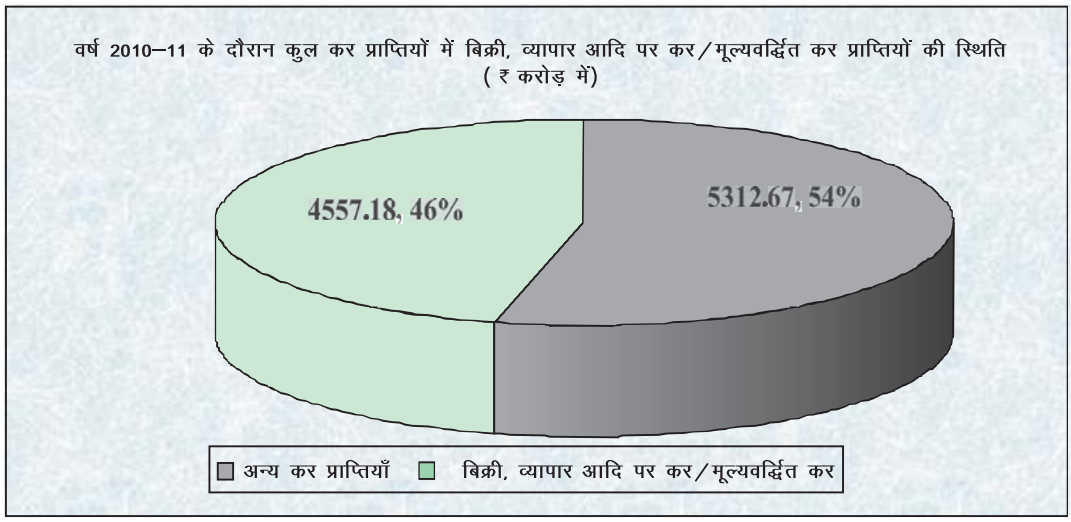
3 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना, पूर्णियाँ एवं तिरहुत।

4 भागलपुर, मगध, पटना एवं तिरहुत।

बजट आकलन तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ–साथ प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न बार डायग्राम में दिया गया है:



वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 9,869.85 करोड़) में बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर प्राप्तियों का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:



2.1.2.2 प्रवेश कर

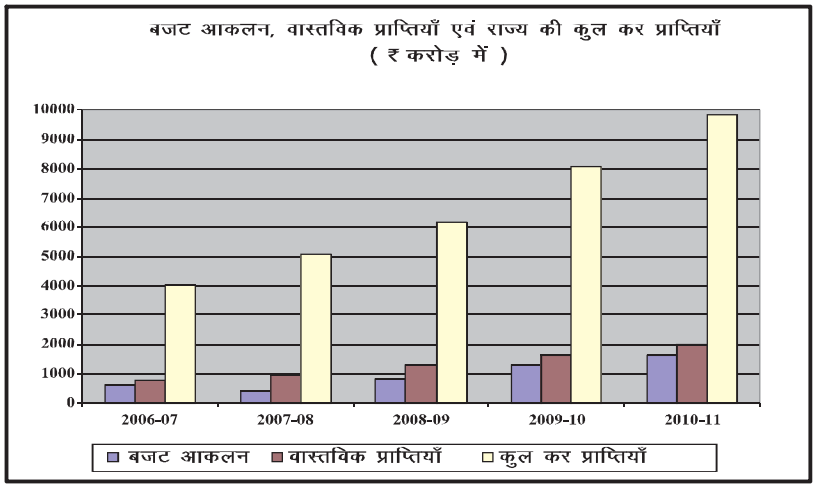
वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान बजट आकलन तथा प्रवेश कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

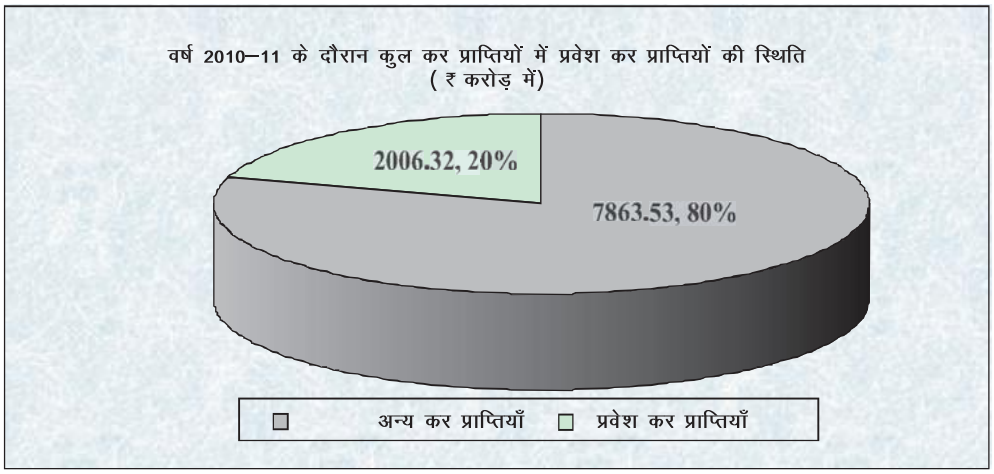
वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्रवेश कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2006–07	603.64	783.01	179.37	29.71	4,033.08	19.41
2007–08	381.33	937.87	556.54	145.95	5,085.53	18.44
2008–09	825.00	1,279.41	454.41	55.08	6,172.74	20.73
2009–10	1,270.00	1,613.16	343.16	27.02	8,089.67	19.94
2010–11	1,623.76	2,006.32	382.56	21.13	9,869.85	20.33

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान बजट आकलन के विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियों में कोई समरूपता नहीं थी।

बजट आकलन तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ–साथ प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न बार डायग्राम में दिया गया है:



वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 9,869.85 करोड़) में प्रवेश कर प्राप्तियों का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:



2.1.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2011 को वाणिज्यकर से संबंधित राजस्व के बकाये ₹ 941.61 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 428.09 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाये थे। निम्न तालिका वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान राजस्व के बकायों की स्थिति को दर्शाता है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकायों का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि	बकायों का अंत शेष
2006–07	916.01	212.21	994.17
2007–08	994.17	196.01	963.83
2008–09	963.83	168.66	1,007.25
2009–10	1,007.25	112.15	1,358.78
2010–11	1,358.78	546.24	941.61

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वाणिज्यकर से संबंधित राजस्व के बकायों के संग्रहण में वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट हुई जबकि वर्ष 2009–10 की तुलना में वर्ष 2010–11 के दौरान संग्रहण में महत्वपूर्ण वृद्धि (387 प्रतिशत) हुई जिसे आगे की वर्षों में बनाये रखने की आवश्यकता है।

2.1.4 संग्रहण की लागत

वाणिज्यकर[5] से संबंधित राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008–09	4,377.92	46.67	1.07	0.83
2009–10	5,541.00	48.84	0.88	0.88
2010–11	6,653.37	57.23	0.86	0.96

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2010–11 के दौरान वाणिज्यकर से संबंधित राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता पूर्व वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से कम था। आगे की वर्षों में इसे बनाये रखने की आवश्यकता है।

2.1.5 निर्धारिती की विवरणिका

जैसाकि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, 31 मार्च 2011 को राज्य में निबंधित व्यवसायियों की कुल संख्या 2,04,573 थी, जिसमें से 94,995[6] व्यवसायी करदाता थे।

[5] वाणिज्यकर विभाग द्वारा सकल संग्रहण में बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर, प्रवेश कर, विद्युत शुल्क तथा अन्य कर एवं वस्तुओं एवं सेवाओं पर शुल्क शामिल है।

[6] ₹ 10,000 से अधिक भुगतान करनेवाले व्यवसायियों की संख्या–24,387 (बड़े कर दाता)
₹ 10,000 तक भुगतान करनेवाले व्यवसायियों की संख्या–70,608 (छोटे कर दाता)

शेष 1,09,578 व्यवसायियों में से 61,122 व्यवसायियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किये थे जिनके विरुद्ध विभाग द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24(8) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

2.1.6 संग्रहण का विश्लेषण

वर्ष 2010–11 की अवधि के दौरान कर निर्धारण से पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण के बाद बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर के कुल संग्रहण का ब्योरा तथा वित्त (वाणिज्यकर) विभाग द्वारा दिए गए विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर निर्धारण के पूर्व संग्रहित राशि	नियमित कर निर्धारण के बाद संग्रहित राशि	कर एवं शुल्क के भुगतान में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड	वापस की गई राशि	विभाग के अनुसार निबल संग्रहण	वित्त लेखे के अनुसार निबल संग्रहण	कॉलम 7 से 2 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
2006–07	2,002.62	81.25	2.81	11.96	2,071.92	2,081.49	96.21
2007–08	2,537.11	39.86	2.24	38.00	2,538.97	2,534.80	100.09
2008–09	3,049.18	54.22	1.04	38.92	3,065.52	3,016.47	101.08
2009–10	3,793.15	50.25	1.40	19.86	3,823.54	3,839.29	98.80
2010–11	4,564.98	25.81	2.24	10.80	4,590.79	4.557.18	100.17

कर निर्धारण से पूर्व किए गये संग्रहण की प्रतिशतता को बनाये रखने हेतु प्रयास किया जा सकता है।

2.1.7 लेखापरीक्षा का प्रभाव

राजस्व प्रभाव

वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि के दौरान हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर से संबंधित राजस्व का आरोपण नहीं/कम किए जाने, वसूली नहीं/कम होने, अवनिर्धारण/हानि, गलत छूट दिए जाने, आवर्त का छिपाव, कर का गलत दर लगाए जाने, गलत संगणना किए जाने इत्यादि के 2,594 मामले जिसमें ₹ 2,337.63 करोड़ शामिल थे, इंगित किए। इसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 1,554.28 करोड़ से सन्निहित 1,052 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया। हालाँकि वसूली मात्र ₹ 1.99 करोड़ थी, जैसाकि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2005–06	48	460	30.32	58	12.29	54	1.25
2006–07	40	365	62.82	76	2.12	शून्य	शून्य
2007–08	36	479	315.60	70	2.64	–	0.14
2008–09	41	408	665.33	42	616.26	15	0.08
2009–10[7]	36	882	1,263.56	806	920.97	110	0.52
कुल	**201**	**2,594**	**2,337.63**	**1,052**	**1,554.28**	**179**	**1.99**

[7] वर्ष 2009–10 के आँकड़ों में प्रवेश कर से संबंधित आँकड़े भी शामिल हैं।

स्वीकृत मामलों में सन्निहित ₹ 1,554.28 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 1.99 करोड़ (0.13 प्रतिशत) की नगण्य वसूली किया जाना, सरकार/विभाग की ओर से सरकारी बकायों की वसूली में तत्परता का अभाव संसूचित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि सन्निहित राशि, कम से कम स्वीकृत मामलों में, की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाये।

2.1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः वित्त (लेखापरीक्षा) के लेखापरीक्षा दल में तीन सदस्य होते है, जिसमें से एक दल का प्रमुख होता है। लेखापरीक्षा हेतु अधियाचना के मात्रा को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय/प्रमंडलीय कार्यालयों से लेखापरीक्षा दल हेतु कर्मियों को लिया जाता है। हालाँकि वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा की जाने वाली कार्यालयों की संख्या, लेखापरीक्षा की गई कार्यालयों की संख्या, निर्गत अवलोकनों की संख्या तथा सन्निहित राशि से संबंधित सूचनाएँ हमें उपलब्ध नहीं कराया। वित्त (वाणिज्यकर) विभाग में चार लेखापरीक्षा प्रमंडल है जो वाणिज्यकर आयुक्त द्वारा चयनित व्यवसायियों द्वारा संधारित लेखाओं के सही होने का पता लगाने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2010–11 में विभाग ने आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु किसी भी इकाई का चयन नहीं किया।

2.1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2010–11 में हमने वाणिज्यकर से संबंधित 48 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 1,638.83 करोड़ से सन्निहित 1,107 मामलों में करों का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	**अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)**	1	16.30
	क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर		
2	कर का नहीं/कम आरोपण	107	44.74
3	आवर्त कर का छिपाव	210	648.69
4	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा	89	145.10
5	केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	91	26.19
6	कर के रियायती दर की अनियमित अनुमति	53	380.90
7	कर का गलत दर लगाया जाना	82	43.14
8	आवर्त का गलत निर्धारण के कारण कर का कम आरोपण	12	16.08
9	कर के अधिक संग्रहण हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना/संगणना में भूल	7	9.75
10	क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना	10	0.25
11	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का आरोपण नहीं/कम किया जाना	3	0.54
12	अन्य मामले	330	105.89
	कुल	**995**	**1,437.50**

ख : प्रवेश कर			
1	आयातित मूल्य का छिपाव के कारण प्रवेश कर का नहीं/कम आरोपण	33	174.11
2	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	37	20.98
3	अन्य मामले	40	6.16
कुल		**110**	**201.25**
ग: मनोरंजन कर/विलासिता कर			
1	मनोरंजन कर का नहीं/कम आरोपण	2	0.01
कुल		**2**	**0.01**
कुल योग		**1,107**	**1,638.83**

वर्ष के दौरान विभाग ने 136 मामलों में ₹ 57.98 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया और 111 मामलों में ₹ 63.10 लाख की वसूली हुई जिसे पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे।

लेखापरीक्षा के कहने पर विभाग ने पटना विशेष अंचल के दो मामलों में ₹ 16.94 लाख की वसूली की।

₹ 16.30 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से संबंधित **'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता'** पर निष्पादन लेखापरीक्षा एवं दृष्टांतस्वरूप ₹ 846.87 करोड़ से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

2.2 अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता

मुख्य अंश

घोषणा प्रपत्रों का कमीश्नरी से अंचलों को निर्गम किये जाने हेतु कोई विहित प्रणाली नहीं थी एवं प्रपत्रों के भंडार का भौतिक सत्यापन हेतु भी प्रावधान का अभाव था।

(कंडिका 2.2.8.1 एवं 2.2.9)

कर से छूट/रियायत की स्वीकृति से पूर्व घोषणा प्रपत्रों के उपयोग का टिनक्सिस (TINXSYS) वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं से जाँच करने का कोई प्रावधान नहीं था। पुनः संवीक्षा का प्रावधान भी रिटर्न में दिखलाये गये क्रय/प्राप्तियों के साथ घोषणा प्रपत्रों के उपयोग की जाँच करना विहित नहीं करता था।

(कंडिका 2.2.11 एवं 2.2.13)

वर्ष 2006–07 से 2009–10 के दौरान वाणिज्यकर विभाग के मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध द्वारा कोई घोषणा प्रपत्र सत्यापन हेतु भेजा नहीं गया था, यद्यपि यह कार्य स्कंध को सौंपा गया था।

(कंडिका 2.2.12.2)

चार व्यवसायियों ने वर्ष 2006–10 की अवधि के दौरान अन्य राज्यों के व्यवसायियों द्वारा निर्गत सात जाली घोषणा प्रपत्रों के आधार पर ₹ 1.57 करोड़ की छूट/रियायत का लाभ लिया, जबकि ये घोषणा प्रपत्र उस राज्य के संबंधित अंचलों द्वारा निर्गत नहीं किये गये थे।

(कंडिका 2.2.14.1)

बारह व्यवसायियों ने वर्ष 2006–10 के दौरान 28 घोषणा प्रपत्रों के समर्थन पर ₹ 9.10 करोड़ की छूट/रियायत का लाभ लिया/स्वीकार किया गया। परन्तु तिर्यक जाँच से हमने पाया कि ये घोषणा प्रपत्र ₹ 5.30 करोड़ हेतु ही निर्गत किये गये थे। इस प्रकार ₹ 3.80 करोड़ की छूट अनियमित थी।

(कंडिका 2.2.14.2)

नौ व्यवसायियों ने वर्ष 2006–09 के दौरान राज्य के व्यवसायियों द्वारा निर्गत 26 घोषणा प्रपत्रों के आधार पर ₹ 9.34 करोड़ की छूट/रियायत का लाभ लिया, जबकि ये घोषणा प्रपत्र वास्तव में संबंधित अंचल अथवा व्यवसायी द्वारा दूसरे व्यवसायी को निर्गत किया गया था।

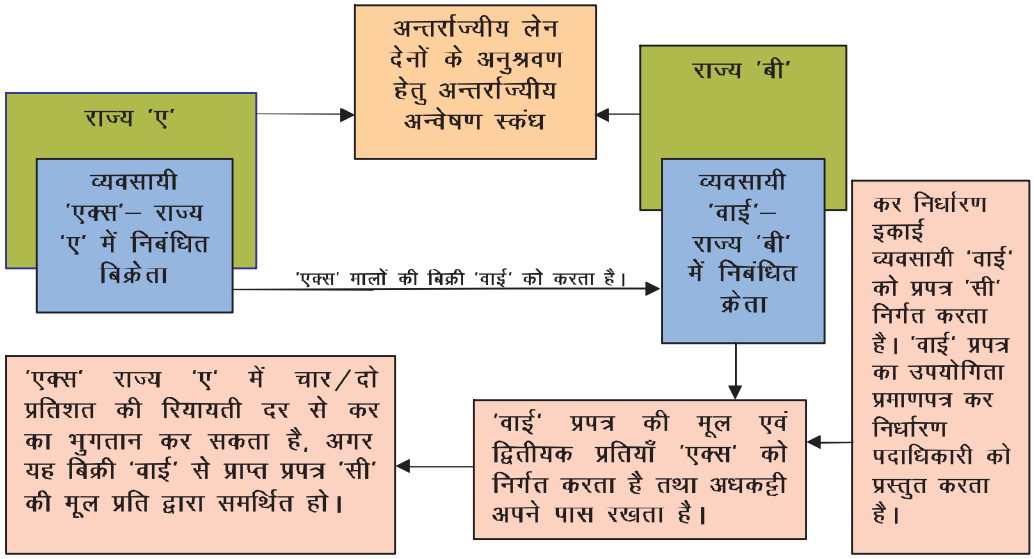
(कंडिका 2.2.14.3)

2.2.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत् निबंधित व्यवसायी, अन्तर्राज्यीय लेन–देन में प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' में विहित घोषणाओं के प्रस्तुतीकरण पर कर से कुछ रियायत एवं छूट लेने हेतु योग्य है। राज्य सरकार व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु व्यवसायियों को इन घोषणा प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण पर यह प्रोत्साहन देती है। वाणिज्यकर विभाग का यह उत्तरदायित्व है कि घोषणा प्रपत्रों का समुचित लेखांकन सुनिश्चित करे एवं घोषणा प्रपत्रों, जिसपर कर से राहत दिया गया है एवं जिनपर राजकोष का काफी राजस्व सन्निहित है, के दुरुपयोग के विरुद्ध पर्याप्त सावधानी रखे।

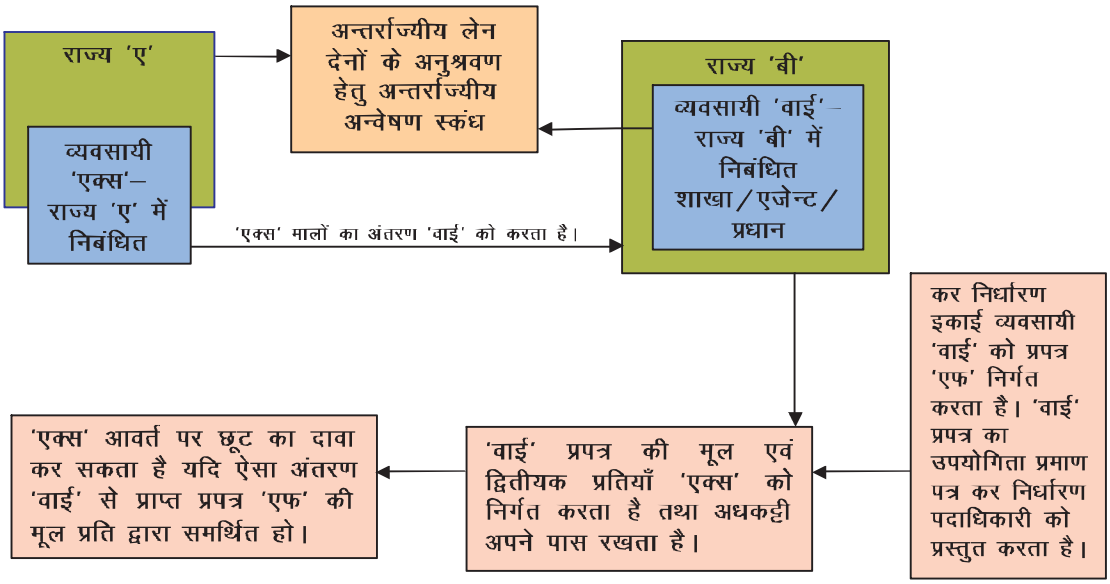
प्रपत्र 'सी'

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(1) के तहत् प्रत्येक व्यवसायी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में एक निबंधित व्यवसायी को उस श्रेणी के वस्तुओं का विक्रय करता है जो क्रेता व्यवसायी के निबंधन प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट है, तब वह वैसे आवर्त पर चार प्रतिशत की रियायती दर (1 अप्रैल 2007 से घटकर तीन प्रतिशत एवं 1 जून 2008 से दो प्रतिशत) पर कर का भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, बशर्ते ऐसी बिक्री प्रपत्र 'सी' में घोषणा से समर्थित हो।



प्रपत्र 'एफ'

समय–समय पर संशोधित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6 (ए) के अन्तर्गत एक निबंधित व्यवसायी द्वारा बिक्री से इतर राज्य के बाहर अपने व्यवसाय के अन्य स्थान पर अथवा अन्य राज्य में अपने एजेंट या प्रधान को किये जाने वाले मालों का अंतरण कर मुक्त है, बशर्ते ऐसे वस्तुओं के निर्गमन के साक्ष्य के साथ–साथ व्यवसाय के अन्य स्थान के मुख्य अधिकारी अथवा उसके एजेंट या प्रधान, जैसा मामला हो, द्वारा भरा गया एवं हस्ताक्षरित प्रपत्र 'एफ' में घोषणा प्रस्तुत किया जाय। प्रपत्र 'एफ' में घोषणा दाखिल किया जाना मई 2002 तक अनिवार्य नहीं था। हालाँकि अधिनियम, निर्धारण प्राधिकारी हेतु यह प्रावधित करता है कि अंतरण की वास्तविकता, जैसे विक्रय पट्टी, निर्गमन के ब्योरे, परिवहन विपत्र इत्यादि, पर अपनी संतुष्टि हेतु जैसा आवश्यक समझे, पूछताछ कर सकते हैं।



केन्द्रीय बिक्री कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण हेतु प्रक्रिया

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2) के प्रावधान के अन्तर्गत प्राधिकारी, जो फिलहाल उस राज्य के उपयुक्त सामान्य बिक्री कर कानून के तहत् कर निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण एवं कर का भुगतान कार्यान्वित करने हेतु नियुक्त है, भारत सरकार की ओर से इस अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण एवं उस व्यवसायी द्वारा भुगतेय कर, ब्याज अथवा अर्थदण्ड का भुगतान कार्यान्वित करेंगे, जैसा कि राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के तहत् भुगतेय कर अथवा ब्याज या अर्थदण्ड के लिये है। इस प्रयोजन हेतु वे राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के तहत् सभी अथवा किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इस कानून के प्रावधानों, जिसमें रिटर्न, औपबंधिक कर निर्धारण, कर का अग्रिम भुगतान, किसी व्यवसाय के हस्तांतरणकर्त्ता का निबंधन, हस्तांतरणकर्त्ता के व्यवसाय को जारी रखने वाले व्यक्ति के कर दायित्व का आरोपण, तृतीय पक्ष से कर की वसूली, अपील, समीक्षा, संशोधन, संदर्भित करना, वापसी, छूट, अर्थदण्ड शामिल है, तदनुसार लागू करेंगे। बिहार के मामले में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 उपयुक्त सामान्य बिक्री कर कानून है।

2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख वाणिज्यकर आयुक्त होते हैं। वाणिज्यकर आयुक्त के कार्य सम्पादन में अन्वेषण ब्यूरो सहित मुख्यालय स्तर पर पाँच अपर आयुक्त, तीन वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त, दस वाणिज्यकर उपायुक्त/वाणिज्यकर सहायक आयुक्त एवं पाँच वाणिज्यकर पदाधिकारी सहयोग करते हैं। क्षेत्र स्तर पर राज्य को नौ[8] प्रशासनिक प्रमंडलों, सात[9] अपीलीय प्रमंडलों एवं चार[10] लेखापरीक्षा प्रमंडलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक के प्रधान वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त होते हैं। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 49 अंचलों में विभाजित किया गया है जिसके प्रधान वाणिज्यकर उपायुक्त/वाणिज्यकर सहायक

[8] भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णियाँ, सारण एवं तिरहुत।
[9] भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना, पूर्णियाँ एवं तिरहुत।
[10] भागलपुर, मगध, पटना एवं तिरहुत।

आयुक्त होते हैं जिनकी सहायता वाणिज्यकर पदाधिकारी करते हैं। अंचल, विभाग का मूलभूत केन्द्र है।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की गई थी कि क्या:

- घोषणा प्रपत्रों की अभिरक्षा एवं निर्गमन हेतु एक सुस्पष्ट तंत्र विद्यमान है;
- करों की चोरी को रोकने हेतु घोषणा प्रपत्रों की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है;
- जाली, अवैध एवं त्रुटिपूर्ण (बिना समुचित विवरण अथवा अपूर्ण विवरण) घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति अथवा पता लगने पर उपयुक्त कदम उठाए गए हैं;
- निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए कर पर छूट/रियायत वैध/मूल घोषणा प्रपत्रों द्वारा समर्थित थे;
- टिनक्सिस वेबसाईट पर विवरणों को अपलोड करने का तंत्र है तथा उसपर उपलब्ध आँकड़ों को घोषणा प्रपत्रों की सत्यता की जाँच करने हेतु उपयोग किया जा रहा है; एवं
- राजस्व के रिसाव को रोकने हेतु प्रभावकारी एवं पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।

2.2.4 लेखापरीक्षा के मानदंड

निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमावली के तहत् बने प्रावधानों के संदर्भ में निष्पादन लेखापरीक्षा की गई:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली, 1957;
- केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005;
- बिहार वित्त अधिनियम, 1981;
- बिहार वित्तीय नियमावली एवं
- समय–समय पर निर्गत कार्यपालक एवं विभागीय आदेश।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में 14[11] वाणिज्यकर अंचलों को लिया गया जिनके अभिलेखों की जाँच नवम्बर 2010 एवं जनवरी 2011 के बीच की गई, जिनमें 2007–08 से 2009–10 की अवधि के दौरान स्व–कर निर्धारण/कर निर्धारण पूर्ण किए गए मामले शामिल हैं। अभिलेखों की जाँच केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत् सी/एफ प्रपत्रों के उपयोग से छूट/रियायत दिए जाने/लाभ लिये जाने तक सीमित था। हमने नमूना जाँच हेतु 1,089 अभिलेखों की माँग की। यद्यपि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने संवीक्षा हेतु 724 कर

[11] बाढ़, बेगुसराय, कदमकुआँ, खगड़िया, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना केन्द्रीय, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, समस्तीपुर, एवं सीतामढ़ी।

निर्धारण अभिलेख उपलब्ध कराये एवं 135 कर निर्धारण अभिलेखों में हमने पाया कि व्यवसायियों को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध कर में रियायत/छूट की स्वीकृति दी गई थी। इन कर निर्धारण अभिलेखों से हमने 30 अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्गत 1,839 'सी' एवं 2,459 'एफ' प्रपत्रों के विवरण का संग्रह किया, जिसके विरुद्ध राज्य के व्यवसायियों ने संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष इसे प्रस्तुत कर, कर में रियायत/छूट का लाभ लिया था। इन विवरणों को 30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के कर निर्धारण प्राधिकारियों, जिन्होने इन प्रपत्रों को निर्गत किया था, द्वारा संधारित अभिलेखों से तिर्यक जाँच हेतु उन संबंधित राज्यों को भेज दिया गया, ताकि उन प्रपत्रों की प्रमाणिकता के साथ–साथ वस्तुओं के मूल्य की सत्यता सुनिश्चित हो जाये। इसी प्रकार, 22[12] अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से 631 'सी' एवं 482 'एफ' प्रपत्रों का विवरण भी हमे प्राप्त हुये और इनका राज्य के 35 अंचलों के वाणिज्यकर उपायुक्त/वाणिज्यकर सहायक आयुक्त के अभिलेखों से तिर्यक जाँच किया। इसके अलावे, निष्पादन लेखापरीक्षा में अधिनियम के तहत् पाँच अंचलों में पूर्ण किये गये कर निर्धारण/स्व–कर निर्धारण/संवीक्षा पर लेखापरीक्षा अवलोकनों को भी शामिल किया गया है, जिनका वर्ष 2010–11 के दौरान लेखापरीक्षा किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा से काफी प्रणालीय/अनुपालन त्रुटियाँ प्रकटित हुई, जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.2.6 स्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में वाणिज्यकर विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है। नवम्बर 2010 में वाणिज्यकर आयुक्त–सह–सचिव के साथ एक आरंभिक सम्मेलन (इंट्री कन्फरेंस) की गई, जिसमें लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा की कार्य पद्धति की जानकारी सरकार/विभाग को दी गई। निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को सितम्बर 2011 में सरकार एवं विभाग को उनके उत्तर हेतु अग्रसारित किया गया था। नवम्बर 2011 में वाणिज्यकर आयुक्त–सह–सचिव के साथ एक अंतिम सम्मेलन (एक्जिट कन्फरेंस) भी आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों पर विचार–विमर्श किया गया था। उनके प्रत्युत्तर को संबंधित कंडिकाओं में अनुकूलतः शामिल कर लिया गया है।

2.2.7 केन्द्रीय बिक्री कर के अधीन राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2005–11 के दौरान बिहार मूल्यवर्द्धित कर के साथ–साथ केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहण निम्नवत थेः

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त लेखे के अनुसार मूल्यवर्द्धित कर राजस्व	केन्द्रीय बिक्री कर का बजट आकलन	केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहण	कॉलम 3 से कॉलम 4 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
2005–06	1,733.60	92.75	54.18	3.13
2006–07	2,081.49	89.61	70.05	3.37
2007–08	2,534.80	113.36	44.28	1.75

[12] आन्ध्र प्रदेश, असाम, छतीसागढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल।

2008–09	3,016.47	40.00	37.05	1.23
2009–10	3,839.29	25.00	1,227.80[13]	31.98
2010–11	4,557.18	15.00	29.58	0.65

(श्रोतः आँकड़े, संबंधित वर्षों के वित्त लेखे से ली गई है।)

इस प्रकार उपर्युक्त तालिका से यह साबित होता है कि वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहण में लगातार गिरावट हुई।

प्रणालीय त्रुटियाँ

2.2.8 घोषणा प्रपत्रों की छपाई एवं अभिरक्षा

अंचलों से उनकी आवश्यकताओं को सुनिश्चित किये जाने तथा निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात प्रपत्रों की छपाई निजी प्रेस में करायी जाती है। प्रेस से इन प्रपत्रों को कमीश्नरी में प्राप्त किये जाते हैं और इस हेतु संधारित पंजी में दर्ज किए जाते हैं एवं निर्माण भवन कोषागार पटना के स्ट्राँग रूम में रख दिए जाते हैं। अंचलों एवं प्रमण्डलों को उनके आवश्यकतानुसार ये प्रपत्र निर्गत किए जाते हैं। अंचल स्तर पर इन प्रपत्रों को पुनः व्यवसायियों को वितरित किए जाने हेतु संबंधित जिला कोषागार में रखा जाता है।

2.2.8.1 भंडार का भौतिक सत्यापन

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 143 के अनुसार सभी भंडारों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष में कम–से–कम एक बार किया जाना है। पुनः नियम 144 प्रावधित करता है कि जहाँ भी ऐसे सत्यापन किए जाते हैं, सत्यापन का एक प्रमाणपत्र उसके परिणाम के साथ उस सूची, लेखा सूची, जैसा भी मामला हो, पर दिया जाना है।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं के अनुसार (नवम्बर 2011) विभागीय पदाधिकारियों द्वारा वर्ष 2007–08 से 2009–10 की अवधि के दौरान कमीश्नरी स्तर पर प्रपत्रों के भंडार का कोई सत्यापन नहीं किया गया गया था।

घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' की वर्षवार प्राप्ति एवं विवरण नीचे दिये गये हैं:

(आँकड़े बॉक्स में[14])

वर्ष	आरम्भिक शेष		प्राप्तियाँ		कुल		निर्गमन		अंत शेष	
	प्रपत्र 'सी'	प्रपत्र 'एफ'	प्रपत्र 'सी'	प्रपत्र 'एफ'	प्रपत्र 'सी'	प्रपत्र 'एफ'	प्रपत्र 'सी'	प्रपत्र 'एफ'	प्रपत्र 'सी'	प्रपत्र 'एफ'
2006–07	104	शून्य	शून्य	25	104	25	67	19	37	06
2007–08	37	06	75	25	112	31	25	06	87	25
2008–09	87	25	शून्य	शून्य	87	25	38	18	49	07
2009–10	49	07	75	25	124	32	45	18	79	14

2.2.9 घोषणा प्रपत्रों का निर्गमन

2.2.9.1 कमीश्नरी में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि विभाग ने घोषणा प्रपत्रों के निर्गमन हेतु कोई प्रणाली विहित नहीं किया था क्योंकि प्रपत्र कमीश्नरी से अंचलों के साथ–साथ प्रमण्डलों को भी निर्गत किया गया था एवं यह भी देखा गया कि

[13] यह लेखांकन में त्रुटि के कारण है। आवश्यक सुधार हेतु लेखांकन प्राधिकारी के साथ मामले को लिया जाएगा।

[14] एक बक्से में 2000 प्रपत्र।

प्रपत्र एक अंचल से दूसरे अंचल को भी निर्गत किए गए थे। प्रपत्रों के निर्गमन हेतु अंचलवार अथवा प्रमण्डलवार कोई खाता संधारित नहीं था। प्रपत्र सीधे भंडार पंजी से ही निर्गत किए गए थे तथा एक अंचल से दूसरे अंचल को निर्गत प्रपत्रों की प्रविष्टियों का मिलान नही किया गया था।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद वाणिज्यकर आयुक्त ने एक्जिट कन्फरेंस में कहा कि प्रपत्रों के निर्गमन हेतु एक समुचित प्रणाली अपनायी जाएगी।

सरकार/विभाग, बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुरुप सांविधिक प्रपत्रों के भौतिक सत्यापन को सुनिश्चित कर सकती है तथा घोषणा प्रपत्रों के वितरण हेतु एक प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकती है।

2.2.9.2 घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति एवं उपयोग के लेखाओं का संधारण

बिहार वित्तीय नियमावली में घोषणा प्रपत्रों की अभिरक्षा एवं उसकी उपयोगिता की लेखाओं के संधारण का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागीय प्राधिकारियों पर है। कर से छूट/रियायती दर पर कर का लाभ लेने हेतु अंचलों द्वारा घोषणा प्रपत्र निबंधित व्यवसायियों को निर्गत किया जाता है और फिर वे प्रपत्र में दिए गए प्रयोजन हेतु अपने निबंधन प्रमाण पत्र में शामिल वस्तुओं के क्रय/प्राप्ति के लिए घोषणा प्रपत्र दूसरे निबंधित व्यवसायी को निर्गत करते हैं। उपरोक्त घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति एवं निर्गमन पृथक भंडार पंजी में विभिन्न घोषणा प्रपत्रों की प्राप्ति एवं निर्गमन दर्शाते हुए अंचल कार्यालयों में लेखापित किया जाता है। प्राप्ति के साक्ष्य के रुप में व्यवसायी का हस्ताक्षर लेकर प्रपत्र निर्गत किया जाना है। प्रत्येक निबंधित व्यवसायी को, जिन्हे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा कोई घोषणा प्रपत्र निर्गत किया जाता है, ऐसे प्रत्येक प्रपत्र का पूर्ण लेखा संधारित करना आवश्यक है। व्यवसायी को सक्षम प्राधिकारी के पास उपयोगिता विवरणी प्रस्तुत करना है, जिसमें उस व्यवसायी का नाम जिसे प्रपत्र निर्गत किया गया है, विपत्र संख्या एवं तिथि तथा मूल्य के साथ क्रय/प्राप्त किए गए वस्तुओं का विवरण दर्शाया गया हो। व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत माँग पत्र/उपयोगिता विवरणियों को इस हेतु संधारित पृथक फोल्डर में रखा जाना है। व्यवसायी को अंचल कार्यालय द्वारा नया घोषणा प्रपत्र तब तक निर्गत नहीं किया जाना है, जब तक कि उस व्यवसायी को पूर्व में निर्गत घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता का लेखा उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाए।

जनवरी 2006 में निर्गत अनुदेश के तहत् अंचल कार्यालयों को अपेक्षित विवरणों को भरवाने के बाद ही व्यवसायियों को प्रपत्र 'सी' निर्गत करना है। उन मामलों में, जहाँ व्यवसायियों द्वारा प्रपत्र 'सी' की माँग अग्रिम में की गई हो, प्रपत्र के सबसे ऊपर लाल स्याही से आकलित मूल्य दर्ज करने के पश्चात् ही प्रपत्र निर्गत किया जा सकता है।

हालाँकि, नवम्बर 2007 में विभाग द्वारा उपरोक्त विवरणों से संबंधित जनवरी 2006 के अनुदेश को वापस ले लिया गया तथा सादा प्रपत्र 'सी' निर्गत करने का नया अनुदेश जारी किया। इससे विपत्रों के दुरुपयोग के जोखिम की संभावना है, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में शामिल तथ्यों से साबित है।

सरकार/विभाग, प्रपत्रों के दुरुपयोग को रोकने हेतु अपेक्षित विवरणों को भरने के बाद ही प्रपत्र निर्गत किए जाने पर विचार कर सकती है।

2.2.10 घोषणा प्रपत्रों की लेखांकन में भिन्नता

संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि घोषणा प्रपत्रों का उचित लेखांकन नहीं किया गया है, जैसाकि कमिश्नरी से निर्गत घोषणा प्रपत्रों की संख्या तथा 10[15] वाणिज्यकर अंचलों में उनकी प्राप्ति में अन्तर पाए जाने से प्रमाणित होता है, जो **परिशिष्ट–III** में विवर्णित है। निर्गत करने वाले तथा प्राप्तकर्त्ता प्राधिकारी के आँकड़ों का मिलान किया जाना अपेक्षित है।

पुनः हमने पाया कि चार वाणिज्यकर अंचलों ने घोषणा प्रपत्रों का लेखा उचित ढंग से संधारित नहीं किया था, क्योंकि घोषणा प्रपत्रों के अंतिम भंडार एवं आरंभिक भंडार के बीच विसंगतियाँ थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

अंचल का नाम	वर्ष	आरम्भिक भंडार	प्राप्ति	कुल	निर्गत	अंतिम भंडार	अभ्युक्तियाँ
भागलपुर (एफ प्रपत्र)	2006–07	4,596	––	4,596	3,793	798	अंतिम भंडार में पाँच प्रपत्र कम दर्शाया गया था।
जमुई (एफ प्रपत्र)	2006–07	1,667	––	1,667	1,325	367	अंतिम भंडार में 25 प्रपत्र अधिक दर्शाया गया था।
पटना दक्षिणी (सी प्रपत्र)	2006–07	2,165	12,000	14,165	4,916	9,249	पूर्ववर्ती वर्ष का अंतिम भंडार अगले वर्ष आरंभिक भंडार के रुप में नहीं लिया गया।
	2007–08	7,257	–	7,257	4,827	2,430	
	2008–09	2,426	4,000	6,426	4,067	2,359	
	2009–10	1,738	14,000	15,738	4,632	1,106	
समस्तीपुर (एफ प्रपत्र)	2006–07	17	500	517	127	392	अंतिम भंडार में दो प्रपत्र अधिक दर्शाया गया था।

उपरोक्त तथ्यों से विभाग में, विशेष कर कमीश्नरी से अंचल स्तर तक घोषणा प्रपत्रों के लेखाओं के संधारण में, आंतरिक नियंत्रण का अभाव संसूचित होता है। घोषणा प्रपत्रों के अनुचित लेखांकन से उसके दुरुपयोग के जोखिम की संभावना है, जिससे राजकोष के राजस्व की हानि होती है।

सरकार/विभाग, निर्गत तथा प्राप्त करने वाले प्राधिकारियों के बीच घोषणा प्रपत्रों का मिलान करने हेतु एक तंत्र विहित करने पर विचार कर सकती है। वह घोषणा प्रपत्रों के लेखाओं के संधारण में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को भी सुदृढ़ कर सकती है।

[15] भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी, शाहाबाद एवं सीतामढ़ी।

2.2.11 टिनक्सिस वेबसाईट पर डाले गए आँकड़ों का उपयोग नहीं किया जाना

भारत सरकार ने टैक्स इनफारमेशन एक्सचेंज सिस्टम (टिनक्सिस) नामक एक वेबसाईट को शुरू करने की पहल की, जिसे प्रभावशाली रूप से अन्तर्राज्यीय व्यापार के अनुश्रवण हेतु विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के वाणिज्यकर विभागों की सहायता के लिए प्रारूपित किया गया था। टिनक्सिस, पूरे भारत में फैले हुए सभी अन्तर्राज्यीय व्यवसायियों का एक केन्द्रीयकृत एक्सचेंज है तथा विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के बीच हो रहे अन्तर्राज्यीय लेन–देनों का एक कोष के रूप में राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति द्वारा बनाया गया है। टिनक्सिस का उपयोग किसी भी व्यवसायी द्वारा किसी दूसरे राज्य के प्रतिस्थानी अन्तर्राज्यीय व्यवसायी का सत्यापन करने हेतु किया जा सकता है। व्यवसायी सत्यापन के अलावे, वाणिज्यकर विभाग के कर्मचारी दूसरे राज्य के वाणिज्यकर विभागों द्वारा निर्गत तथा रियायत/छूट हेतु दावे के समर्थन में व्यवसायियों द्वारा दाखिल केन्द्रीय सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन हेतु टिनक्सिस का उपयोग कर सकते हैं।

हमलोगों ने पाया कि अन्य राज्यों[16] से भेजे गए तिर्यक जाँच हेतु 631 'सी' प्रपत्रों एवं 482 'एफ' प्रपत्रों में से इस निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु 251 'सी' प्रपत्रों एवं 196 'एफ' प्रपत्रों को इस वेवसाइट पर नहीं डाला गया था।

पुनः, विभाग ने कर से छूट/रियायत की स्वीकृति से पूर्व टिनक्सिस वेबसाईट पर उपलब्ध डाटावेस के साथ व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों की जाँच हेतु एक तंत्र विहित नहीं किया था। इससे वेबसाईट के सृजन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ क्योंकि घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता की जाँच के लिए कर निर्धारण पदाधिकारी वेबसाईट का उपयोग नहीं कर रहे थे।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद वाणिज्यकर आयुक्त ने एक्जिट कन्फरेन्स में कहा कि कर छूट/रियायत की स्वीकृति से पूर्व टिनक्सिस पर उपलब्ध सूचनाओं के उपयोग हेतु सभी अंचलों को एक परिपत्र निर्गत किया जाएगा।

सरकार/विभाग, कर से छूट/रियायत की स्वीकृति से पूर्व राजस्व हित में टिनक्सिस वेबसाईट पर उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करने पर विचार कर सकती है।

2.2.12 प्रवर्तन कार्यवाही

2.2.12.1 व्यवसायियों को काली सूची में डालने हेतु प्रावधान का अभाव

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं के अनुसार उन व्यवसायियों को, जो पूर्व में अवैध/जाली घोषणा प्रपत्रों का उपयोग करते पाए गए थे, उन्हें काली सूची में डाले जाने तथा वैसे व्यवसायियों का नाम विभिन्न इकाईयों एवं राज्यों के बीच परिचालन हेतु तंत्र विहित नहीं किया गया था। ऐसे प्रावधान के विद्यमान रहने से उन व्यवसायियों को, जो अवैध/जाली घोषणा प्रपत्रों का उपयोग करते हैं, हतोत्साहित कर सकती है।

[16] आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद वाणिज्यकर आयुक्त ने एक्जिट कन्फरेन्स में तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि संदिग्ध व्यवसायियों को काली सूची में डालने का प्रावधान किया जाएगा।

सरकार, राजस्व के हित में उन व्यवसायियों को, जो अवैध/जाली घोषणा प्रपत्रों का उपयोग करते हैं, काली सूची में डाले जाने का तंत्र विहित करने पर विचार कर सकती है।

2.2.12.2 अन्वेषण ब्यूरो स्कंध का क्रियाकलाप

वाणिज्यकर आयुक्त के जून 1991 के आदेश के अनुसार मुख्यालय स्तर पर स्थित अन्वेषण ब्यूरो के अन्तर्गत एक सत्यापन कोषांग को घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' के सत्यापन का कार्य सौंपा गया था। घोषणा प्रपत्रों से संबंधित सुसंगत सूचनाओं को अंचलों द्वारा मुख्यालय स्थित अन्वेषण ब्यूरो स्कंध में भेजा जाना था तथा इन प्रपत्रों के सूचनाओं को तिर्यक जाँच के परिणामों के साथ इस हेतु संधारित एक पंजी में दर्ज किया जाना था।

पुनः विभाग ने जनवरी 2006 में यह निदेश निर्गत किया कि व्यवसायी प्रपत्रों के उपयोगिता/माँग विवरणी तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। एक प्रति व्यवसायी के संबंधित फोल्डर में, दूसरी प्रति व्यवसायी के कर निर्धारण अभिलेख में रखा जाना था तथा तीसरी प्रति सत्यापन हेतु केन्द्रीयकृत अन्वेषण ब्यूरो स्कंध को भेज दिया जाना था।

मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं के अनुसार वर्ष 2006–10 के दौरान उनके द्वारा सत्यापन हेतु कोई भी घोषणा प्रपत्र भेजा नहीं गया था। इस प्रकार, जहाँ तक प्रपत्रों के सत्यापन का संबंध है, अन्वेषण ब्यूरो स्कंध के सृजन का उद्देश्य अपूर्ण रहा। हमलोगों ने यह भी पाया कि अंचलों द्वारा घोषणा प्रपत्रों को मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध को भेजे जाने हेतु समयावधि एवं मात्रा विहित नहीं की गई थी। यह भी देखा गया कि न तो अंचलों द्वारा प्रपत्रों को मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा गया था और न ही उन्होंने निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में अंचलों से इसकी माँग की थी।

- अन्वेषण ब्यूरो स्कंध द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं के अनुसार वर्ष 2006–10 के दौरान उन्हें सत्यापन हेतु अन्य राज्यों से 5,522 'सी' प्रपत्र एवं 1,598 'एफ' प्रपत्र प्राप्त हुए थे। परन्तु मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध द्वारा कोई भी प्रपत्र सत्यापित नहीं किया गया था और बदले में इन घोषणा प्रपत्रों को संबंधित अंचलों को इस निर्देश के साथ भेज दिया गया था कि इसका परिणाम अन्य राज्यों के संबंधित कार्यालयों को सीधे सूचित कर दिया जाए। यह दर्शाता है कि मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध सिर्फ प्रपत्रों को अंचलों को अग्रसारित करने हेतु एक मध्यस्थ का कार्य कर रहा था।
- हमलोगों ने पुनः पाया कि वर्ष 1991 के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार प्रपत्रों के सूचनाओं को दर्ज करने हेतु अन्वेषण ब्यूरो स्कंध द्वारा कोई पंजी का संधारण नहीं किया गया था।

इस प्रकार यह साबित होता है कि मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध, घोषणा प्रपत्रों के सत्यापन के मामले में अप्रभावशील था।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद वाणिज्यकर आयुक्त ने एक्जिट कन्फरेन्स में कहा कि मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि प्रपत्रों के सत्यापन के मामले में अपनी भूमिका निभा सके।

सरकार, मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकती है, ताकि जाली/अप्रचलित/अवैध घोषणा प्रपत्रों अथवा गलत रुप से प्राप्त प्रपत्रों के उपयोग का तिर्यक जाँच के माध्यम से पता लगाया जा सके।

2.2.13 संवीक्षा का त्रुटिपूर्ण प्रावधान

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान एवं उसके तहत् बने नियमों के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी को व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न की संवीक्षा, उसमें विहित जाँच सूची के अनुसार नियत तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना है, ताकि वे सुनिश्चित हो जायें कि उसमें किए गए कटौती के दावे अधिनियम अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत् विहित प्रपत्र द्वारा समर्थित है।

हमने पाया कि रिटर्न की संवीक्षा करने के समय घोषणा प्रपत्रों के उपयोगिता विवरणियों को जाँचने हेतु कोई तंत्र/जाँच सूची विहित नहीं है। इससे व्यवसायियों द्वारा घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' के उपयोग से मंगाये गये वस्तुओं के नहीं/कम लेखांकन के जोखिम की संभावना है। कुछ उदाहरण अनुवर्ती कंडिकाओं में दिए गए हैं। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् व्यवसायियों का नियमित/अनिवार्य कर निर्धारण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद वाणिज्यकर आयुक्त ने एक्जिट कन्फरेन्स में कहा कि क्रय/प्राप्तियों का तिर्यक जाँच प्रपत्रों के उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ किए जाने का प्रावधान बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में संशोधन द्वारा शामिल किया जाएगा।

सरकार/विभाग, रिटर्न की संवीक्षा हेतु जाँच सूची में उपयोगिता विवरणी का सत्यापन किए जाने को शामिल करने पर विचार कर सकती है।

घोषणा प्रपत्रों की तिर्यक जाँच

2.2.14 छूट/रियायत

2.2.14.1 जाली घोषणा प्रपत्रों पर रियायत/छूट की अनियमित स्वीकृति

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(2) के तहत् प्रपत्र 'सी' में विहित घोषणा द्वारा समर्थित नहीं किए गए मालों के अन्तर्राज्यीय बिक्री (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) पर 10 प्रतिशत अथवा राज्य में लागू दर, जो भी अधिक हो, की दर पर कर आरोपित किया जाएगा। हालाँकि यह प्रावधान 1 अप्रैल 2007 से संशोधित कर दिया गया था तथा संशोधित प्रावधान के अनुसार ऐसी स्थिति में इन वस्तुओं पर राज्य में लागू दर पर कर आरोपित किया जाएगा।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम (उपयुक्त सामान्य बिक्री कर कानून) की धारा 39(4) के तहत् पूर्व में स्वीकार किए गए कर की राशि एवं अंतिम रूप से कर निर्धारित राशि के अन्तर पर उस तिथि से, जब से कर भुगतेय होगा, प्रत्येक कलेन्डर माह अथवा उसके किसी भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज आरोपित किए जाने का प्रावधान है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, व्यवसायियों द्वारा घोषणा प्रपत्रों के दुरूपयोग हेतु साधारण कैद, जिसे छः माह तक विस्तारित किया जा सकता है, अथवा दंड के साथ या दोनों अथवा ऐसे कैद के बदले अर्थदण्ड आरोपित किया जाना प्रावधित करता है।

तीन[17] अंचलों में हमने पाया कि चार व्यवसायियों ने वर्ष 2006–10 की अवधि के दौरान सात 'सी' एवं 'एफ' घोषणा प्रपत्रों के बल पर ₹ 1.57 करोड़ के छूट/रियायत का लाभ लिया/स्वीकृति दी गयी। परन्तु तिर्यक जाँच करने पर हमने पाया कि ये घोषणा प्रपत्र चार[18] राज्यों के संबंधित अंचलों, जहाँ से वे निर्गत बतलाये गये थे, से निर्गत नहीं किए गए थे। इस प्रकार, यह साबित होता है कि जाली घोषणा प्रपत्रों के आधार पर व्यवसायियों ने रियायत/छूट का दावा किया/स्वीकृति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत् ₹ 4.15 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

2.2.14.2 घोषणा प्रपत्रों के आँकड़ों में परिवर्तन के कारण रियायत/छूट की अनियमित स्वीकृति

सात[19] अंचलों में हमने पाया कि 12 व्यवसायियों ने वर्ष 2006–10 की अवधि के दौरान 28 'सी' एवं 'एफ' घोषणा प्रपत्रों के बल पर ₹ 9.10 करोड़ के छूट/रियायत का लाभ लिया/स्वीकृति दी गयी। परन्तु तिर्यक जाँच करने पर हमने पाया कि ये घोषणा प्रपत्र आठ[20] राज्यों के संबंधित अंचलों में प्रस्तुत किए गए उपयोगिता विवरणी के अनुसार मात्र ₹ 5.30 करोड़ हेतु ही निर्गत किए गए थे। इस प्रकार, यह साबित होता है कि इन घोषणा प्रपत्रों के आधार पर व्यवसायियों ने ₹ 3.80 करोड़ का अधिक रियायत/छूट का दावा किया/स्वीकृति दी गई। इस प्रकार छूट/रियायत के गलत दावे/स्वीकृति के फलस्वरूप ब्याज सहित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत् ₹ 26.20 लाख के कर का कम आरोपण हुआ **(परिशिष्ट–IV)**।

17 किशनगंज, पाटलीपुत्रा एवं समस्तीपुर।

18 छतीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश।

19 बेगुसराय, कदमकुआँ, किशनगंज, मुंगेर, पाटलीपुत्रा, पटना पश्चिमी एवं समस्तीपुर।

20 छतीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल।

2.2.14.3 अन्य व्यवसायियों को निर्गत घोषणा प्रपत्रों पर रियायत/छूट की अनियमित स्वीकृति

पाँच[21] अंचलों में हमने पाया कि नौ व्यवसायियों ने वर्ष 2006–09 की अवधि के दौरान 26 'सी' एवं 'एफ' घोषणा प्रपत्रों के बल पर ₹ 9.34 करोड़ के छूट/रियायत का लाभ लिया/स्वीकृति दी गयी। परन्तु तिर्यक जाँच करने पर हमने पाया कि ये घोषणा प्रपत्र या तो संबंधित अंचलों से उस राज्य के दूसरे व्यवसायी को निर्गत किए गए थे अथवा वे व्यवसायी जिन्हें अंचल द्वारा घोषणा प्रपत्र निर्गत किया गया था, ने इस घोषणा प्रपत्र को अपने उपयोगिता प्रमाणपत्र में किसी दूसरे व्यवसायी को निर्गत दर्शाया था। इस प्रकार यह साबित होता है कि गलत तरीके से हासिल किए गए घोषणा प्रपत्रों के आधार पर व्यवसायियों ने रियायत/छूट का दावा किया था/स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार इन घोषणा प्रपत्रों पर रियायत/छूट दिए जाने के फलस्वरूप ब्याज सहित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत् ₹ 48.90 लाख के कर का कम आरोपण हुआ **(परिशिष्ट–V)**।

अगर मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो स्कंध द्वारा उपरोक्त मामलों को सत्यापन हेतु दूसरे राज्यों को भेजा गया होता, तब इन अनियमितताओं को ससमय पता लगाया जा सकता था।

2.2.14.4 अनिबंधित व्यवसायियों को बिक्री पर रियायत की अनियमित स्वीकृति

पटना विशेष वाणिज्यकर अंचल में अप्रैल 2010 में हमने पाया कि वर्ष 2007–08 के दौरान एक व्यवसायी (स्व–कर निर्धारित) ने चार व्यवसायियों को किये गये ₹ 55.58 लाख की वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर तीन प्रतिशत की रियायती दर से छूट का दावा किया। चूँकि उन क्रेता व्यवसायियों का कर सूचकांक संख्या (टिन) अभिलेख की बिक्री सूची पर उपलब्ध नहीं था, वे व्यवसायी अनिबंधित समझे जायेंगें। इस प्रकार, उन अनिबंधित व्यवसायियों को बिक्रय किये गये वस्तुओं पर बिक्रेता व्यवसायी को छूट का लाभ नहीं लेना था। अतः व्यवसायी 12.5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान हेतु उत्तरदायी था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.82 लाख के ब्याज सहित ₹ 7.10 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

[21] बाढ़, बेगुसराय, किशनगंज, पाटलीपुत्रा एवं समस्तीपुर।

2.2.15 छिपाव

2.2.15.1 अन्तर्राज्यीय बिक्री का छिपाव

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 (2) के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के प्रावधानों के तहत् यदि निर्धारण प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत् कर योग्य कोई आवर्त का अवनिर्धारण हुआ है/कर निर्धारण से वंचित रह गया है, तब वह चार वर्षों के अन्दर भुगतेय कर का निर्धारण अथवा पुनर्निधारण करेगा तथा कर एवं ब्याज के अलावे वंचित आवर्त पर भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

हमने पाया कि छः[22] अंचलों में आठ व्यवसायियों ने वर्ष 2006–10 के दौरान ₹ 5.82 करोड़ के विभिन्न वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय बिक्री दर्शाया था तथा इसके समर्थन में अन्य राज्यों के व्यवसायियों द्वारा निर्गत 15 घोषणा प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत किया था। परन्तु पाँच[23] राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इन घोषणा प्रपत्रों को ₹ 13.90 करोड़ के वस्तुओं के क्रय हेतु निर्गत दिखलाया गया था। इस प्रकार, व्यवसायियों ने ₹ 8.08 करोड़ के अन्तर्राज्यीय बिक्री का छिपाव किया, जिसके फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत् ₹ 3.89 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ **(परिशिष्ट–VI)**।

2.2.15.2 घोषणा प्रपत्रों का अनाधिकृत उपयोग

- छः[24] राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार छः[25] अंचलों के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले नौ व्यवसायियों ने वर्ष 2004–09 की अवधि के दौरान 14 घोषणा प्रपत्रों का उपयोग कर अन्य राज्यों के व्यवसायियों से ₹ 1.47 करोड़ के विभिन्न वस्तुओं का क्रय/प्राप्त किया। परन्तु इन अंचलों में संधारित अभिलेखों से तिर्यक जाँच करने पर हमने पाया कि ये घोषणा प्रपत्र संबंधित अंचलों से निर्गत नहीं किए गए थे तथा कुछ व्यवसायी या तो अनिबंधित थे अथवा अस्तित्वविहिन थे। इस प्रकार, इन प्रपत्रों के आधार पर आयातित वस्तुओं का क्रय/प्राप्ति का लेखांकन नहीं किए जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.33 लाख के कर की चोरी हो सकती है। इसके अलावे, इन मामलों में ₹ 18.99 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपित किया जा सकता था **(परिशिष्ट–VII)**।
- त्रिपुरा से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भागलपुर अंचल में निबंधित एक व्यवसायी ने वर्ष 2008–09 के दौरान एक 'सी' घोषणा प्रपत्र का उपयोग करते हुए त्रिपुरा के एक व्यवसायी से ₹ 2.62 लाख का बोरा (गन्नी बैग) क्रय किया। परन्तु भागलपुर अंचल में संधारित अभिलेखों से तिर्यक जाँच करने पर हमने पाया कि उपरोक्त घोषणा प्रपत्र उस व्यवसायी को निर्गत नहीं दर्शाया गया था जिससे वस्तुओं का क्रय किया गया था। इस प्रकार, यह साबित होता है कि व्यवसायी ने क्रय का छिपाव किया था, जिसके फलस्वरूप अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 36,000 के कर की चोरी हुई।

22 कदमकुआँ, किशनगंज, मुंगेर, पाटलीपुत्रा, पटना पश्चिमी एवं समस्तीपुर।
23 असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल।
24 छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, नागालैंड, राजस्थान एवं सिक्किम।
25 औरंगाबाद, भागलपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना दक्षिणी, सहरसा एवं सीवान।

2.2.15.3 घोषणा प्रपत्रों के उपयोग से आयातित वस्तुओं का कम लेखांकन/लेखांकन नहीं किया जाना

चार[26] राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सात[27] अंचलों के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले आठ व्यवसायियों ने वर्ष 2004–10 की अवधि के दौरान 11 घोषणा प्रपत्रों का उपयोग कर अन्य राज्यों के व्यवसायियों से ₹ 1.01 करोड़ के विभिन्न वस्तुओं का क्रय किया। परन्तु इन अंचलों में संधारित अभिलेखों से तिर्यक जाँच करने पर हमने पाया कि इन घोषणा प्रपत्रों को व्यवसायियों द्वारा मात्र ₹ 67.20 लाख के वस्तुओं के क्रय/प्राप्ति हेतु निर्गत दिखलाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.27 लाख के वस्तुओं का कम लेखांकन/लेखांकन नहीं किया गया एवं आरोप्य अर्थदण्ड सहित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत् ₹ 6.83 लाख के कर का कम आरोपण हुआ **(परिशिष्ट –VIII)**।

2.2.16 केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण नहीं किया जाना

केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली के नियम 12(7) के प्रावधान के तहत् रियायत/छूट के दावों को समर्थित करने हेतु उस अवधि, जिससे घोषणा संबंधित है, की समाप्ति के तीन माह के अंदर प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' में घोषणा विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना है। वाणिज्यकर आयुक्त ने सभी कर निर्धारण पदाधिकारियों को यह निर्देश देते हुए परिपत्र निर्गत (अगस्त 2006) किया कि जहाँ भी व्यवसायी तीन माह के विहित समय के भीतर प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' में विहित घोषणा समर्पित नहीं करते हैं, तब ब्याज सहित कर का आरोपण किया जाना है।

पुनः, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(2) के तहत् प्रपत्र 'सी' में विहित घोषणा द्वारा समर्थित नहीं किए गए मालों के अन्तर्राज्यीय बिक्री (घोषित वस्तुओं को छोड़कर) पर 10 प्रतिशत अथवा राज्य में लागू दर, जो भी अधिक हो, की दर पर कर आरोपित किया जाएगा। हालाँकि यह प्रावधान 1 अप्रैल 2007 से संशोधित किया गया था और संशोधित प्रावधान के अनुसार ऐसी स्थिति में इन वस्तुओं पर राज्य में लागू दर पर कर आरोपित किया जाएगा।

- हमने पाया कि सत्रह[28] अंचलों में 48 व्यवसायियों ने वर्ष 2006–10 की अवधि के दौरान प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' में विहित घोषणा द्वारा दावे को समर्थित किए बगैर ₹ 108.51 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण/बिक्री के मद में छूट/रियायत का लाभ लिया। निर्धारण प्राधिकारियों को रिटर्न की संवीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु करना अपेक्षित था कि कटौतियाँ/रियायतें सुसंगत 'सी' एवं 'एफ' प्रपत्र द्वारा समर्थित था। परन्तु उन असमर्थित दावों को स्वीकार किए जाने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के फलस्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत् ₹ 5.23 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ। यह वाणिज्यकर आयुक्त के उपरोक्त निदेश का उल्लंघन भी था। इसके अलावे, व्यवसायी ब्याज हेतु भी उत्तरदायी थे।

26 झारखण्ड, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल।

27 औरंगाबाद, भभुआ, बेगुसराय, पटना विशेष, खगड़िया, शाहाबाद एवं तेघड़ा।

28 बाढ़, बेगुसराय, कदमकुआँ, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना केन्द्रीय, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी एवं समस्तीपुर (निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित); फारबिसगंज, खगड़िया, पूर्णिया, रक्सौल, सासाराम एवं शाहाबाद (नियमित लेखापरीक्षा)।

- पाटलीपुत्रा अंचल में हमने पाया कि सात व्यवसायियों ने वर्ष 2007–09 की अवधि के दौरान प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' में विहित घोषणा द्वारा दावों को समर्थित किए बगैर ₹ 133.41 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण/बिक्री पर छूट/रियायत का लाभ लिया। इन दावों को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाना था तथा उन मामलों में ₹ 6.24 करोड़ का कर आरोपण योग्य था, जैसाकि **परिशिष्ट–IX** में विवर्णित है।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया कि तीन मामलों में व्यवसायी का पूरा दावा अस्वीकार कर ₹ 1.37 करोड़ का कर आरोपित किया गया था, जबकि दो अन्य मामलों में यह कहा गया कि व्यवसायी द्वारा बाद में सभी प्रपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था तथा दावों की स्वीकृति दे दी गई थी। शेष दो मामलों में प्रपत्रों की प्रस्तुति की सीमा तक ही दावों की स्वीकृति दी गई थी तथा प्रपत्रों हेतु ₹ 9.50 लाख की माँग सृजित की गई थी। समय सीमा के बाद प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों के आधार पर दावों की स्वीकृति, केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली के प्रावधान तथा साथ–ही–साथ वाणिज्यकर आयुक्त के निदेश के अनुरुप नहीं थे।

2.2.17 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकटित हुआ कि घोषणा प्रपत्रों के लेखांकन में विसंगतियाँ थी तथा घोषणा प्रपत्रों के कमीश्नरी से अंचलों को निर्गत किए जाने हेतु कोई विहित प्रणाली भी नहीं थी। रिटर्न की संवीक्षा करते समय घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता की तिर्यक जाँच मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रावधित नहीं किया गया था। मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो को अन्तर्राज्यीय तिर्यक जाँच हेतु घोषणा प्रपत्रों की प्रतियाँ भेजने के लिए कोई समय सीमा एवं लक्ष्य अंचलों को विहित नहीं किया गया था। जहाँ तक घोषणा प्रपत्रों की तिर्यक जाँच का संबंध है, मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो पूरी तरह अक्रियाशील था। छूट/रियायत की स्वीकृति से पूर्व टिनक्सिस वेबसाईट पर उपलब्ध सूचनाओं से घोषणा प्रपत्रों को सत्यापित किए जाने का कोई तंत्र नहीं था। व्यवसायी, जो जाली/अवैध अथवा अप्रचलित घोषणा प्रपत्रों का उपयोग करते पाए गए थे, उन्हें काली सूची में डाले जाने का तंत्र विद्यमान नहीं था। कई मामलों में व्यवसायी या तो विहित समय सीमा के भीतर विहित घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत किए बगैर अथवा जाली/अवैध घोषणा प्रपत्रों के आधार पर रियायत/छूट का लाभ ले रहे थे।

2.2.18 अनुशंसाओं का सार

सरकार निम्नलिखित अनुशंसाओं को लागू करने का विचार कर सकती है:

- **घोषणा प्रपत्रों के निर्गमन हेतु एक समुचित प्रणाली विहित कर सकती है;**
- **निश्चित प्रतिशतता तक घोषणा प्रपत्रों के तिर्यक जाँच का एक प्रणाली विकसित कर सकती है;**
- **आवधिक रिटर्न में दिखलाए गए क्रय/प्राप्तियों के साथ घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता की तिर्यक जाँच करने हेतु संवीक्षा के प्रावधानों के तहत् जाँच सूची शामिल कर सकती है;**
- **छूट/रियायत स्वीकृत किए जाने से पूर्व टिनक्सिस वेबसाईट पर उपलब्ध सूचनाओं से घोषणा प्रपत्रों को सत्यापित किए जाने को अनिवार्य बना सकती है;**

- मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो को सुदृढ़ कर सकती है, ताकि जाली/अप्रचलित/अवैध घोषणा प्रपत्रों अथवा गलत ढंग से प्राप्त किए गए प्रपत्रों के उपयोग को तिर्यक जाँच के माध्यम से पता लगाया जा सके; तथा
- उन व्यवसायियों को जो जाली/अप्रचलित/अवैध घोषणा प्रपत्र का उपयोग करते हैं उन्हें काली सूची में डाले जाने हेतु तंत्र विहित करने तथा अन्य राज्यों को एलर्ट करने पर विचार कर सकती है।

2.3 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों में निम्न आरोपण एवं भुगतान आवश्यक है:

- *व्यवसायियों द्वारा उचित दरों पर बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर तथा अधिभार आदि;*
- *अग्रिम में तथा विहित अवधि के अन्दर कर;*
- *बिक्री/क्रय का छिपाव के मामले में छोड़े गये आवर्त पर निर्धारित कर के तीन गुना दर पर अर्थदण्ड; तथा*
- *कर के विलम्ब से भुगतान के लिए 1.5 प्रतिशत के दर पर ब्याज।*

अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नही किये जाने के फलस्वरूप ₹ 846.87 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, कर का अवनिर्धारण, गलत छूट/कटौती इत्यादि से संबंधित कुछ मामले, जैसा कि कंडिकायें 2.4 से 2.24 में वर्णित है।

क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर

2.4 आवर्त का छिपाव

तेईस[29] वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के अंतर्गत यदि निर्धारण प्राधिकारी यह संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के तहत् कर योग्य कोई आवर्त का अवनिर्धारण हुआ है/कर निर्धारण से वंचित रह गया है, तब वह चार वर्षों के अंदर भुगतेय कर का निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा तथा कर एवं ब्याज के अलावे वंचित आवर्त पर भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

हमलोगों ने पाया कि सरकार/विभाग ने रिटर्न की संवीक्षा करते समय रिटर्न में घोषित आवर्त का व्यवसायियों के अन्य अभिलेखों, जैसे रोड परमिट की उपयोगिता विवरणी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ–साथ घोषणा प्रपत्रों अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त विक्रय एवं क्रय की सूचनाओं के साथ तिर्यक जाँच करने हेतु कोई तंत्र विहित नहीं किया था।

हमलोगों ने मार्च 2010 एवं मार्च 2011 के बीच पाया कि 50 व्यवसायियों (कर निर्धारितः 3, संवीक्षितः 3 तथा स्व–कर निर्धारितः 44) ने वर्ष 2006–07 से 2009–10 के दौरान ₹ 2,713.64 करोड़ का माल क्रय/विक्रय किया, जैसाकि उनके क्रय/विक्रय विवरणियों, रोड परमिट, घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता विवरणी एवं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाया गया था। हालाँकि उनलोगों ने अपने रिटर्न इत्यादि में ₹ 2,099.35 करोड़ ही लेखापित किए थे एवं इस प्रकार ₹ 614.29 करोड़ के मालों के क्रय/विक्रय का छिपाव किया।

[29] आरा, बाढ़, बेगुसराय, दानापुर, दरभंगा, हाजीपुर, जहानाबाद, खगड़िया, लखीसराय, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी, नवादा, पाटलीपुत्रा, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना (दक्षिणी एवं कदमकुआँ), पटना विशेष, पटना पश्चिमी, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर और सीवान।

चूँकि विभाग ने सूचनाओं की तिर्यक जाँच हेतु कोई अनुदेश निर्गत नहीं किया था, निर्धारण प्राधिकारी उन मामलों में छिपाव का पता नहीं लगा सके, जहाँ लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्व–निर्धारित/संवीक्षित रिटर्न पर आधारित थे, जबकि छः मामलों में जहाँ कर निर्धारित थे, निर्धारण प्राधिकारी छिपाव का पता नहीं लगा सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 84.22 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 123.20 करोड़ के कर तथा ₹ 10.82 करोड़ के आरोप्य ब्याज का अवनिर्धारण हुआ **(परिशिष्ट–X)**। उदाहरणस्वरूप कुछ मामले नीचे दिये गये हैं:

(₹लाख में)

क्र0 सं0	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि	वास्तविक क्रय लेखापित	वास्तविक बिक्री बिक्री लेखापित	छिपाव की राशि	कर अर्थदण्ड	ब्याज	कुल
1	पाटलीपुत्रा 5	2006–07, 2007–08, 2008–09	5,305.83 4,528.68	1,79,866.54 1,23,825.05	56,818.64	2,518.92 7,556.75	968.38	11,044.05
2	पटना विशेष 2	2006–07, 2007–08, 2008–09	25,124.29 2,4361.13	–	763.15	95.39 286.18	43.27	424.84
3	पूर्णियाँ 1	2007–08	5,285.66 4,776.96	–.	508.71	20.35 61.05	7.33	88.72
4	हाजीपुर 1	2007–08	–	3,234.50 2,910.50	324.00	12.96 38.88	5.44	57.28
5	पटना पश्चिम 1	2008–09	–.	408.62 70.65	337.97	16.97 50.90	5.34	73.21

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने तीन[30] अंचलों में निबंधित आठ व्यवसायियों के मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 76.67 करोड़ का माँग सृजित किया। पाटलिपुत्रा अंचल के एक मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने कहा कि क्रय/प्राप्तियों का छिपाव नहीं किया गया क्योंकि व्यवसायी ने संशोधित रिटर्न दाखिल किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी को संशोधन हेतु विशेष रुप से उल्लेखित नियत तिथि की समाप्ति के बाद रिटर्न को संशोधन करने का अधिकार नहीं था एवं निर्धारण प्राधिकारी द्वारा संशोधित रिटर्न स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। पाटलिपुत्रा अंचल के एक अन्य मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने मामले को आंशिक रुप से स्वीकार किया एवं ₹ 20.42 करोड़ के बदले केवल ₹ 3.41 करोड़ का माँग सृजित किया तथा शेष राशि के लिए कहा कि व्यवसायी ने ₹ 27.95 करोड़ का प्रपत्र डी–X के परमिटों को निरस्त किया था। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा डी–X के निरस्तीकरण की स्वीकृति अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप नहीं था, जैसाकि व्यवसायी ने पूर्व में प्रपत्र भी0आर0– IX में डी–X की उपयोगिता विवरणी को दाखिल किया था एवं इसे रिटर्न के साथ प्रस्तुत किया था तथा अधिनियम के तहत् भी0आर0– IX के संशोधन का कोई प्रावधान नहीं था। लखीसराय अंचल के एक मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने कहा कि क्रय में अन्तर प्लांट एवं मशीनरी से संबंधित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि व्यवसायी के तुलन पत्र के अनुसार उस वर्ष के दौरान प्लांट एवं मशीनरी में उस प्रकार की कोई भी बढोतरी नहीं किया गया था। हमलोग स्वीकृत मामलो में वसूली की स्थिति पर प्रतिवेदन एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

[30] हाजीपुर, पाटलीपुत्रा एंव पटना दक्षिणी।

2.5 कर का गलत दर लगाया जाना

सतरह[31] वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत् विहित प्राधिकारी लागू किये गये सही दर पर करों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के अन्तर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की समय सीमा के अन्दर तथा विहित तरीकों से संवीक्षा करेगा।
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 (2) के प्रावधान के अंतर्गत विहित दर पर ब्याज एवं अर्थदण्ड आरोप्य है यदि भुगतेय कर की राशि को कम करने के उद्देश्य से बिक्री का पूर्ण एवं सही ब्योरा देने में व्यवसायी विफल रहता है।

हमने मार्च 2010 एवं मार्च 2011 के बीच पाया कि 32 व्यवसायियों (कर निर्धारित/संविक्षितः सात एवं स्व–कर निर्धारितः 25) ने वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान ₹ 259.16 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर एक से 12.5 प्रतिशत की सही दर के बदले शून्य से चार प्रतिशत का कम दर निर्धारित किया। संवीक्षा नहीं/त्रुटिपूर्ण किये जाने के कारण कर का गलत दर लगाये जाने का पता निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.21 करोड़ के ब्याज एवं ₹ 39.35 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 57.68[32] करोड़ का कर कम आरोपित हुआ **(परिशिष्ट–XI)**। उदाहरणस्वरूप कुछ मामले नीचे दिये गये हैं:

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अंचल का नाम व्यवसायी की सं0	अवधि	बिक्री मूल्य	सामग्री	आरोप्य कर/ आरोपित कर (प्रतिशत में)	कम आरोपण अर्थदण्ड	ब्याज	कुल
1.	पाटलीपुत्रा 4	2007–08, 2008–09	15715.43	रोड रोलर, डी0जी0 सेट, रेल रोड वाहन, गैंग कार, यूटिलिटी ट्रैक्ट वाहन, खाद्य पदार्थ, अलकतरा, बालू, टेलिफोन बिलिंग मशीन	12.5/4 1/0	458.47 1,375.40	162.03	1,995.89
2.	पटना विशेष 2	2006–07, 2007–08, 2008–09	5,449.11	गिट्टी, इसबगोल एवं च्यवनप्राश	12.5/4	463.17 1,389.52	176.87	2,029.57

[31] आरा, भभुआ, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, नवादा, पाटलीपुत्रा, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी एवं केन्द्रीय, पूर्णियाँ, समस्तीपुर तथा सासाराम।

[32] दृष्टान्तस्वरूप दो मामलों की गणनाः
(i) मेसर्स तांतिया कन्सट्रक्सन (2007–08) –
वर्ष के दौरान गिट्टी की कुल खपत – ₹ 9,72,54,334.80, 1.4.2007 से 12.9.2007 तक दिनों की संख्या = 165 दिन, 12.9.2007 तक गिट्टी का अनुपातिक खपत = 9,72,54,334.80 X 165/365 = ₹ 4,39,64,288.33
(ii) मेसर्स श्याम सुनील कन्सट्रक्सन इंडिया लिमिटेड (2007–08) –
वर्ष के दौरान गिट्टी की कुल खपत – ₹ 13,00,61,729, 1.4.2007 से 12.9.2007 तक गिट्टी की अनुपातिक खपत = 13,00,61,729 X 165/365 = ₹ 5,87,95,028

3.	बक्सर 1	2006–07	326.55	केश तेल	12.5 / 4	23.39 70.18	14.39	107.96
4.	दरभंगा 2	2006–07, 2007–08	1,345.32	गिट्टी	12.5 / 4	114.35 343.06	56.19	513.59
5.	मुजफ्फरपुर पश्चिमी 1	2008–09	694.92	एक्सकेभेटर एवं अर्थ मूविंग मशीन	12.5 / 4	59.07 177.20	19.49	255.77

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद विभाग ने चार[33] अंचलों में निबंधित छः व्यवसायियों के मामलों को स्वीकार किया तथा ₹ 5.46 करोड़ का माँग सृजित किया। बक्सर अंचल के एक मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया कि सामग्री (हिमगंगे केश तेल) एक आयुर्वेदिक औषधि है, अतः चार प्रतिशत के दर पर कर देय है। हम इस उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह सामग्री बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अनुसूची III के क्रमांक 45 (दवा एवं औषधि) में से विशेष रुप से अलग कर दिया गया है तथा इस प्रकार, अधिसूचित सामग्री नहीं मानते हुए 12.5 प्रतिशत के दर पर कर देय है। हमलोंगो को अन्य मामलों में सरकार / विभाग से उत्तर प्राप्त होना बाकी है (अक्तूबर 2011)।

2.6 इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति

आठ[34] वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 प्रावधित करता है कि जब एक निबंधित व्यवसायी बिहार राज्य के अन्दर किसी अन्य निबंधित व्यवसायी से कर का भुगतान करने के पश्चात् कोई इनपुट का क्रय करता है, तब वह विहित तरीके से इनपुट के क्रेडिट का दावा करने के योग्य है, अगर मालों की बिक्री राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गई हो अथवा राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री के लिए वस्तुओं (अनुसूची– IV के वस्तुओं के अलावे) के निर्माण में खपत की गई हो। पुनः अधिनियम की धारा 31 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक / गलत दावों के लिए ब्याज की राशि के अलावे भुगतेय कर के तीन गुना के समतुल्य अर्थदण्ड लगाए जाने का भी प्रावधान है। केवल धारा 4 एवं 14 के तहत् किया गया कर का भुगतान ही धारा 16 के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु दावे योग्य है तथा धारा 3 ए ए के तहत् भुगतान किया गया कोई अन्य अतिरिक्त कर इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु अनुज्ञेय नहीं है। बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार पूंजीगत वस्तुयें जैसे कि मोटर वाहन, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर, फिटिंग एवं साज–सज्जा पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं है।

हमलोगों ने अप्रैल 2010 एवं मार्च 2011 के बीच 12 व्यवसायियों के स्व–कर निर्धारित रिटर्न से पाया कि उन्होंने वर्ष 2007–08 से 2009–10 के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 781.04 करोड़ के मालों के क्रय मूल्य पर ₹ 15.99 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। हालाँकि उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यवसायी मालों के उस क्रय पर सिर्फ ₹ 6.53 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हकदार थे। इस प्रकार व्यवसायियों ने ₹ 9.45 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया। इस अधिक दावे के लिए ₹ 27.77 करोड़ का अर्थदण्ड तथा

[33] मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्रा, पटना केन्द्रीय एवं पटना दक्षिणी।

[34] भभुआ, दानापुर, फारबिसगंज, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्रा, पटना दक्षिणी तथा पटना विशेष।

₹ 3.04 करोड़ के ब्याज संगणित किया गया है। कुल राजस्व प्रभाव ₹ 40.26 करोड़ था **(परिशिष्ट–XII)**।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने तीन[35] अंचलों में निबंधित तीन व्यवसायियों के मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 10.01 करोड़ का माँग सृजित किया। पुनः, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल के एक व्यवसायी के मामले में सरकार ने जुलाई 2011 में कहा कि पूर्व में संगणक भूल के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत गणना हो गई थी तथा रिटर्न में क्रय एवं उसपर इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों को दर्शाते हुए एक नया परिशिष्ट भी प्रस्तुत किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान हमलोगों के संवीक्षा के समय अभिलेख पर रखे परिशिष्ट, जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जाँचा तथा प्रमाणित किया गया था, में कोई गलत गणना नहीं की गयी थी। उत्तर के साथ प्रस्तुत एवं चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित किया हुआ नया परिशिष्ट भी यह दर्शाता है कि इसमें दिये गये विवरण व्यवसायी के अभिलेख पर पूर्व मे रखे परिशिष्ट के विवरण से भिन्न थे। हमलोग स्वीकृत मामलों में वसूली की स्थिति पर प्रतिवेदन एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.7 कटौतियों की गलत अनुमति

अठारह[36] वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 35 तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 18 के तहत् एक कार्य संवेदक, मजदूरी एवं किसी प्रकार के प्रभार जैसे कि मजदूरी एवं सेवाओं के मद में उप–संवेदक को किया गया भुगतान की राशि, योजना, रूपांकन एवं वास्तुकार फीस हेतु प्रभार, किराये पर प्राप्त किए गए मशीन एवं औजार के उपयोग हेतु प्रभार, उपभोग्य वस्तुओं की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित स्थापना की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य इसी प्रकार के खर्चे, संवेदक द्वारा मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अर्जित लाभ या बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 6 अथवा धारा 7 के तहत् छूट प्राप्त मालों अथवा लेन–देनों पर, कटौती लिए जाने हेतु योग्य है।

हमलोगों ने अप्रैल 2010 एवं अप्रैल 2011 के बीच 35 व्यवसायियों (कार्य संवेदकों) (कर निर्धारितः सात, संवीक्षितः चार तथा स्व–कर निर्धारितः 24) के रिटर्न से पाया कि वर्ष 2005–06 तथा 2009–10 के बीच की अवधि के दौरान उन्होने ₹ 341.04 करोड़ की कटौती का लाभ उन मदों पर प्राप्त किया जो अधिनियम के तहत् कटौती योग्य नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.36 करोड़ **(परिशिष्ट–XIII)** के कर का कम आरोपण हुआ जिसकी संगणना ₹ 237.22 करोड़ के वस्तुओं के विभाजित मूल्य पर की गई।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने छः[37] अंचलों के नौ मामलों को स्वीकार किया एवं ₹ 6.05 करोड़ के माँग का सृजन किया तथा ₹ 65.58 लाख के लेखापरीक्षा अवलोकन के विरुद्ध मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल के एक मामले में केवल ₹ 28.13 लाख की वसूली की। गलत गणना एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, की

35 दानापुर, पटना विशेष तथा पाटलीपुत्रा।

36 आरा, बगहा, बेगुसराय, बेतिया, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मोतीहारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पाटलीपुत्रा, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना (पश्चिमी एवं केन्द्रीय), पूर्णियाँ एवं सासाराम।

37 बगहा, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पाटलीपुत्रा एवं पटना दक्षिणी।

धारा 35 के प्रावधानों का अनुपालन नही किये जाने के कारण माँग का सृजन कम हुआ। हमलोग शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.8 केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण

पटना विशेष वाणिज्यकर अंचल

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6(2) के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली के नियम 8 (4), 12 (1) एवं 12 (4) के प्रावधानों के तहत् यदि कोई व्यवसायी एक निबंधित व्यवसायी को वस्तुओं के अंतरण/अनुवर्ती बिक्री के मद में छूट का दावा करता है तो उसे (i) उस व्यवसायी से, जिससे वस्तुओं का क्रय किया गया था, प्राप्त प्रपत्र 'ई–I/ई–II' में एक प्रमाण पत्र तथा (ii) उस व्यवसायी, जिसे वस्तुओं को बेचा गया था, द्वारा निर्गत प्रपत्र 'सी' में एक घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।

पुनः, मई 2002 में संशोधित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत् कम दर पर कर/कर की छूट लेने के समय मालों की अंतर्राज्यीय बिक्री के मामले में प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 (2) प्रावधित करता है कि विहित घोषणा प्रपत्र के प्रस्तुत नहीं किये जाने के मामले मे राज्य में बिक्री कर कानून के अर्न्तगत लागू दर ही कर का दर होगा।

हमलोगों ने फरवरी 2011 में पाया कि एक व्यवसायी (कर निर्धारित) ने वर्ष 2007–08 के दौरान ₹ 142.27 करोड़ के वस्तुओं के अंतरण/अनुवर्ती बिक्री के मद में छूट का दावा किया लेकिन ₹ 107.48 करोड़ के लिए घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'ई–I' प्रपत्र प्रस्तुत नही किया तथा निर्धारण प्राधिकारी ने राज्य में लागू 12.5 प्रतिशत के बदले तीन प्रतिशत के दर पर कर का आरोपण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.21 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 15.42 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.9 छूट की गलत अनुमति

पाटलीपुत्रा वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 10 तथा उनके अधीन निर्गत अधिसूचना के तहत् अनुसूची IV के मालों की बिक्री पर कर बिहार में इनके बिक्री के प्रथम बिन्दु पर आरोपित किया जाएगा। बिहार में उन मालों की किसी भी अनुवर्ती बिक्री पर कर से छूट होगा, बशर्ते अनुवर्ती बिक्रेता प्रपत्र 'डी– III' (उस व्यवसायी द्वारा निर्गत जिससे माल खरीदा गया था) में एक घोषणा प्रस्तुत करता है कि राज्य में इन मालों पर कर, इनके बिक्री के प्रथम बिन्दु पर ही आरोपित किया जा चुका है।

हमलोगों ने दिसम्बर 2009 में पाया कि एक व्यवसायी (कर निर्धारित) ने बिक्री के अनुवर्ती स्तर पर अनुसूची IV के मालों की बिक्री के मद में ₹ 17.18 करोड़ के छूट का दावा किया तथा इसे निर्धारण पदाधिकारी द्वारा मार्च 2008 में व्यवसायी का कर निर्धारण करते समय बिना प्रपत्र 'डी– III' में

घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत किये, छूट की अनुमति दिया गया। इस प्रकार छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 7.04 करोड़ के कर का कम आरोपण किया गया। इसके अलावे 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ₹ 2.43 करोड़ का ब्याज भी आरोप्य था।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद निर्धारण पदाधिकारी ने आदेश को संशोधित किया तथा दिसम्बर 2010 में ₹ 7.04 करोड़ का माँग सृजित किया। वसूली पर प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2011)।

2.10 किराया प्रभार पर कर का आरोपण नहीं किया जाना

पटना विशेष वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 2 (जेड सी) प्रावधित करता है कि बिक्री का अर्थ मालों के रूप में किसी भी सम्पत्ति के हस्तांतरण से है, जिसमे नगद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रयोजन हेतु किसी भी उद्देश्य से किसी भी मालों के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण भी शामिल है।

हमलोगों ने फरवरी 2011 में पाया कि एक व्यवसायी (स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2005–06 से 2008–09 के दौरान विद्युत मीटर, सर्विस लाईन तथा ट्रांसफार्मर से संबंधित ₹ 43.92 करोड़ का किराया प्रभार प्राप्त किया था। हालाँकि व्यवसायी ने किराया प्रभार के विरुद्ध कर को स्वीकार नहीं किया था, यद्यपि यह उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार बिक्री में शामिल योग्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.49 करोड़ के कर का आरोपण नही हुआ। इसके अलावे 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ₹ 3.09 करोड़ का ब्याज भी आरोप्य था।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.11 रिवर्स क्रेडिट की संगणना कम किया जाना

सात[38] वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 15 एवं 16 के तहत् एक विनिर्माता व्यवसायी रिवर्स क्रेडिट लेगा, जब वह अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अलावे किसी इनपुट से उसके द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण करेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि, जिसके लिए व्यवसायी हकदार है, की संगणना क्रयों पर भुगतान किए गए इनपुट टैक्स की राशि में से रिवर्स क्रेडिट को घटाने के बाद की जाएगी।

हमलोगों ने मार्च 2010 एवं फरवरी 2011 के बीच नौ व्यवसायियों (कर निर्धारितः 1, संविक्षितः 3 तथा स्व–कर निर्धारितः 5) के रिटर्न से पाया कि उन्होंने वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान ₹ 67.77 करोड़ के कर योग्य मालों का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण किया। इन मालों के लिए इनपुट भी राज्य में उन पर कर भुगतान के उपरान्त राज्य के अन्दर क्रय की गई थी, जिसके लिए व्यवसायी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। यद्यपि व्यवसायी को रिवर्स क्रेडिट की गणना करना था तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट की कुल राशि से इसे घटाना आवश्यक था, व्यवसायी द्वारा ₹ 91.82 लाख के रिवर्स क्रेडिट की गणना कम किया गया था। यहाँ तक कि चार कर निर्धारित/संविक्षित मामलों में भी निर्धारण प्राधिकारी इस चूक का

[38] बेगुसराय, गोपालगंज, पाटलीपुत्रा, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी एवं पटना विशेष।

पता नहीं लगाये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.75 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड तथा ₹ 33.39 लाख के ब्याज सहित ₹ 4.01 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गयी।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने दो अंचलों (पाटलीपुत्रा एवं पटना विशेष) के दो व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा ₹ 46.34 लाख के माँग का सृजन किया। हमलोग स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.12 कर की रियायती दर की गलत अनुमति

आठ[39] वाणिज्यकर अंचल

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(5) के तहत् बिहार सरकार ने अक्तूबर 2006 में एक अधिसूचना निर्गत कर लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा विनिर्मित मालों की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की दर एक प्रतिशत निर्धारित किया। पुनः, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 में प्लांट एवं मशीनरी में विनिवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। इस लाभ का उपभोग करनेवाले व्यवसायी को प्रपत्र 'सी' या प्रपत्र 'डी' (1 अप्रैल 2007 से पूर्व), जैसा भी मामला हो, में घोषणा प्रस्तुत करना था।

2.12.1 हमलोगों ने अगस्त 2010 एवं अप्रैल 2011 के बीच पाया कि सात[40] अंचलों में निबंधित नौ व्यवसायी (स्व–कर निर्धारितः 8, तथा कर निर्धारितः 1) वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश की विहित मापदण्ड[41] के अनुसार लघु या मध्यम उद्योग के श्रेणी के अन्तर्गत नही आते थे, परन्तु उन्होने ₹ 13.67 करोड़ के अंतर्राज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत के दर पर कर के रियायती दर का लाभ लिया। त्रुटिपूर्ण संवीक्षा/ संवीक्षा नहीं किये जाने के कारण निर्धारण प्राधिकारी कर के रियायती दर के गलत उपभोग किये जाने का पता लगाने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.16 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 31.15 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

2.12.2 हमलोगों ने अगस्त 2010 एवं फरवरी 2011 के बीच गया तथा मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचलों के तीन व्यवसायियों के स्व–कर निर्धारित रिटर्न से पाया कि उनलोगों ने वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान रेलवे को ₹ 14.66 करोड़ के मालों की बिक्री पर एक तथा तीन प्रतिशत के बीच रियायती दर का लाभ का उपभोग किया। चूँकि रेलवे एक सरकारी विभाग था तथा प्रपत्र 'डी' के आधार पर रियायती दर पर बिक्री को 1 अप्रैल 2007 के प्रभाव से वापस ले लिया गया था, अतः किसी भी सरकारी विभाग को की गई बिक्री, रियायती दर हेतु योग्य नहीं था। इस प्रकार कर के रियायती दरों के गलत दावे के परिणामस्वरूप ₹ 15.42 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 54.21 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

39 आरा, फारबिसगंज, गया, हाजीपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

40 आरा, फारबिसगंज, गया, हाजीपुर, किशनगंज, पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

41 प्लान्ट एवं मशीनरी में विनिवेश सुक्ष्म उद्योगः ₹ 25 लाख से अधिक नहीं हो; लघु उद्योगः ₹ 25 लाख से अधिक परन्तु ₹ पाँच करोड़ से कम; एवं मध्यम उद्योगः ₹ पाँच करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 10 करोड़ से कम।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने फारबिसगंज अंचल के एक व्यवसायी से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 1.54 लाख के माँग का सृजन किया। हमलोग स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.13 स्वीकृत कर के विलम्ब से भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

छः[42] वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत्, प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबधित भुगतेय कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले भुगतान करेगा, जिसमे विफल रहने पर व्यवसायी देय राशि पर, भुगतेय होने की तिथि से इसके भुगतान की तिथि तक 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज का भुगतान करने हेतु दायी होगा।

धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत् विहित प्राधिकारी, समय से भीतर तथा विहित तरीकों से उसके साक्ष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के तहत् जैसा कि प्रावधित है, जमा किये गये प्रत्येक रिटर्न का संवीक्षा करेगा, जैसा कि कर तथा भुगतेय ब्याज के भुगतान के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

2.13.1 हमलोगों ने नवम्बर 2009 तथा फरवरी 2011 के बीच पाया कि छः व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारितः चार, संविक्षितः एक तथा कर निर्धारितः एक) ने वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान एक दिन से लेकर 508 दिनों के विलम्ब से अपने स्वीकृत कर का भुगतान किया था। निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 22.81 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.81 लाख के ब्याज की राशि का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने दरभंगा अंचल से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 3.58 लाख के माँग का सृजन किया। वसूली पर प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.13.2 हमलोगों ने जून एवं अगस्त 2010 के बीच पाया कि दो अंचलों (गोपालगंज एवं सहरसा) में निबंधित दो व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2007–08 से 2008–09 के दौरान ₹ 25.63 लाख के स्वीकृत कर का कम भुगतान किया था। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारियों को रिटर्न की संवीक्षा तथा कर के भुगतान के साक्ष्य को देखना एवं तद्नुसार व्यवसायी को माँग पत्र निर्गत करना चाहिए था, परन्तु लेखापरीक्षा की तिथि तक कोई भी संवीक्षा नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.36 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 31.99 लाख के स्वीकृत कर के कम भुगतान का पता नहीं लगा।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

[42] बेगुसराय, दरभंगा, गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर पश्चिमी एवं सहरसा।

2.14 निर्यात बिक्री की अनियमित छूट

पाटलीपुत्रा तथा सहरसा वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 35 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 के तहत् भारतीय क्षेत्र से बाहर मालों के निर्यात के दौरान मालों की बिक्री पर कोई कर भुगतेय नही होगा। वाणिज्यकर आयुक्त, बिहार द्वारा 1986 में निर्गत परिपत्र, जिसकी पुनरावृति 1991 में की गयी थी, के अनुसार छूट का दावा उचित दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे, निर्यात विपत्र द्वारा समर्थित होना आवश्यक है।

हमलोगों ने जनवरी एवं जून 2010 के बीच पाया कि दो व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारित) को वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान भारतीय क्षेत्र से बाहर निर्यात के दौरान बिना दस्तावेजी साक्ष्य के ₹ 6.71 करोड़ के मूल्य की मालों की बिक्री पर कर के आरोपण से छूट की स्वीकृति दी गयी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.24 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 53.47 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने पाटलीपुत्रा अंचल से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 22.62 लाख का माँग सृजित किया। शेष अंचल का उत्तर तथा स्वीकृत मामलों में वसूली पर प्रतिवेदन हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.15 ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

पटना विशेष तथा पटना (पश्चिमी एवं केन्द्रीय) वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39 (4) के प्रावधानों के तहत् यदि विहित प्राधिकारी को पता लगता है कि कोई भी व्यवसायी अपने आवर्त का पूर्ण अथवा किसी भाग का कर योग्य नहीं होने का गलत दावा किया है एवं तदोपरान्त उसके द्वारा भुगतेय कर की राशि से कम का भुगतान किया गया है तब वह व्यवसायी किसी भी कार्यवाही के तहत् निर्धारित कर की राशि के अतिरिक्त कर का भुगतेय होने कि तिथि से पूर्व में स्वीकृत राशि तथा अंतिम रूप से निर्धारित कर की अन्तर की राशि पर प्रत्येक कैलेन्डर माह या उसके किसी भाग के लिए 1.5 प्रतिशत के दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

हमलोगों ने अप्रैल 2010 तथा जनवरी 2011 के बीच पाया कि दो व्यवसायियों (कर निर्धारित) ने वर्ष 2006–07 के दौरान ₹ 52.18 लाख का कर स्वीकार किया था। जबकि निर्धारण प्राधिकारी ने मार्च तथा अगस्त 2009 में कर निर्धारण पूरा करते समय ₹ 92.71 लाख के कर का आरोपण किया, किन्तु ₹ 40.53 लाख के निर्धारित कर की अन्तर राशि पर कोई भी ब्याज का आरोपण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.02 लाख के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.16 मूल्यवर्द्धित कर की अधिक प्रतिपूर्ति

दानापुर तथा गया वाणिज्यकर अंचल

बिहार औद्योगिक नीति, 2006 की कंडिका 2 (ix) के अनुसार, 1 अप्रैल 2006 के पूर्व कार्यशील उद्योगों को सरकारी खाता में उनके द्वारा किये गये जमा मूल्यवर्द्धित कर का 25 प्रतिशत का प्रतिपूर्ति लेना था। पुनः औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की कंडिका 4 तथा उद्योग विभाग के पत्र सं0 2609 दिनांक 11 नवबर 2006 प्रावधित करता है कि उपरोक्त औद्योगिक ईकाईयाँ, जिसने विस्तारण/परिवर्तन/आधुनिकीकरण किया हो, वे अपने बढ़े हुए उत्पादन पर उनके द्वारा सरकारी खाता में जमा किये गये मूल्यवर्द्धित कर का 80 प्रतिशत के दर पर, इस प्रकार के प्रतिपूर्ति लेने हेतु हकदार होंगे। केन्द्रीय बिक्री कर या प्रवेश कर जमा के विरूद्ध कोई भी प्रतिपूर्ति नहीं दिया जाना था।

बिहार स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश (वहाँ खपत, उपभोग अथवा बिक्री हेतु) अधिनियम के प्रावधान के तहत् अनुसूचित मालों का एक आयातक, इस अधिनियम के तहत् कर का भुगतान करने हेतु दायी है तथा आयातित अनुसूचित मालों की बिक्री अथवा इस प्रकार के आयातित मालों से निर्मित वस्तुओं की बिक्री के कारण बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् उसपर कर का दायित्व है, तब बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् उसका कर दायित्व, उस हद तक इस अधिनियम के अन्तर्गत कम कर दिया जायेगा।

2.16.1 हमलोगों ने सितम्बर 2010 में दानापुर वाणिज्यकर अंचल में पाया कि आयरण एवं स्टील के एक विनिर्माता (स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2007–08 से 2009–10 की अवधि (तीसरे तिमाही तक) के लिए ₹ 82.80 लाख के मूल्यवर्द्धित कर जमा के विरुद्ध ₹ 66.24 लाख का प्रतिपूर्ति पाया। इस प्रकार, व्यवसायी ने कुल उत्पादन पर भुगतान किये गये मूल्यवर्द्धित कर के पूरे राशि का 80 प्रतिशत के दर पर प्रतिपूर्ति पाया। मूल उत्पादन पर भुगतान किये गये मूल्यवर्द्धित कर की राशि ₹ 44.84 लाख संगणित होती थी तथा बढे हुए उत्पादन पर भुगतान किये गये मूल्यवर्द्धित कर की राशि ₹ 37.96 लाख होती थी तथा इस प्रकार प्रतिपूर्ति की कुल राशि, जिसके लिए व्यवसायी हकदार था, ₹ 41.58 लाख होती थी। हमलोगों ने इसे मूल स्थापित क्षमता तथा विस्तारण के उपरान्त स्थापित क्षमता (उद्योग विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार) के अनुपातिक विभाजन के आधार पर गणना किया। इस प्रकार व्यवसायी को प्रतिपूर्ति के रुप में ₹ 24.66 लाख का अधिक राशि भुगतान किया गया।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने मई 2011 में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 20.90 लाख का माँग सृजित किया। हमलोग वसूली एवं आगे के उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.16.2 गया वाणिज्यकर अंचल में हमलोंगों ने पाया कि एक व्यवसायी (संवीक्षित) ने वर्ष 2008–09 के दौरान ₹ 1.32 करोड़ के मूल्यवर्द्धित कर के जमा के विरुद्ध ₹ 33.01 लाख का प्रतिपूर्ति पाया। वर्ष के दौरान व्यवसायी ने अपने कर दायित्व से ₹ 98.79 लाख के प्रवेश कर का समायोजन किया। उसमें से ₹ 60.81 लाख के प्रवेश कर भुगतान का केन्द्रीय बिक्री कर दायित्व से तथा ₹ 37.98 लाख का मूल्यवर्द्धित कर दायित्व से समायोजन किया गया था। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रवेश कर के पूरे राशि का समायोजन मूल्यवर्द्धित कर दायित्व से किया जाना था। इस प्रकार, मूल्यवर्द्धित कर दायित्व से ₹ 60.81 लाख के प्रवेश कर का समायोजन नही किये

जाने से व्यवसायी देय से अधिक वापसी लिये जाने की मंशा से मूल्यवर्द्धित कर के भुगतेय राशि को उसी राशि तक वृद्धि कर दिया। इस प्रकार, प्रवेश कर के गलत समायोजन के परिणामस्वरूप ₹ 60.81 लाख से मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान की वृद्धि हुई तथा ₹ 15.20 लाख (₹ 60.81 लाख का 25 प्रतिशत) के अनुवर्ती अदेय प्रतिपूर्ति की गयी।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.17 आस्थगन का गलत दावा किया जाना

भागलपुर वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 96 (3) (ख) तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 57 प्रावधित करता है कि कोई भी व्यवसायी जिसे बिहार वित्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट दिया गया था तथा जो इस अधिनियम के लागू होने की तिथि पर पूरे हकदारी का लाभ नहीं लिये थे तो इस अधिनियम के तहत् उन्हे कर दायित्व के आस्थगन हेतु विकल्प लेने के लिए अनुमति दिया जायेगा, बशर्ते की वे हकदारी की शर्तों को पूरा करें।

हमलोगों ने मई 2010 में पाया कि यद्यपि अधिनियम, केवल मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् भुगतेय कर का आस्थगन प्रावधित करता है, एक व्यवसायी (स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2008–09 के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत् ₹ 4.55 लाख के भुगतेय कर के आस्थगन का लाभ लिया था। इसके परिणामस्वरूप आरोप्य ब्याज सहित ₹ 5.44 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 6.08 लाख का माँग सृजित किया। वसूली पर प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2011)।

2.18 क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना

सासाराम वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक व्यवसायी जो वैसे माल का क्रय करता है जिस पर कोई बिक्री कर भुगतेय नहीं है तथा बिक्री के लिए अन्य सामग्रियों के विनिर्माण में खपत करता है या अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान बिक्री अथवा राज्य में बिक्री के अलावे अन्य तरीकों से उस माल का निपटारा करता है तो उस माल के क्रय मूल्य पर उस दर से कर देना होगा जिस दर पर उन मालों के विक्रय मूल्य पर कर आरोप्य है।

हमलोगों ने मार्च 2011 में पाया कि ब्रान (भूसी) तेल एवं तेल रहित ब्रान केक के एक विनिर्माता (स्व–कर निर्धारित) ने अनिबंधित व्यवसायियों से राज्य के अन्दर ₹ 6.56 करोड़ के करदेय (पाँच प्रतिशत के दर पर) माल (राइस ब्रान) का क्रय किया था तथा वर्ष 2008–09 के दौरान ₹ 1.95 करोड़ के तेल रहित ब्रान केक (कर मुक्त सामग्री) के निर्माण में आंशिक रुप से खपत किया था। उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस पर क्रय कर दिया जाना था, परन्तु व्यवसायी ने क्रय कर का भुगतान नहीं

किया था जिसके परिणामस्वरूप तेल रहित केक की बिक्री के आधार पर आनुपातिक संगणित ₹ 5.81 लाख के क्रय कर का आरोपण नही किया गया।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.19 कर का अधिक संग्रहण

बेगुसराय तथा भभुआ वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 43 (3) के प्रावधानों के तहत् कोई भी निबंधित व्यवसायी अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति से कोई भी राशि, भुगतेय कर की राशि से अधिक का संग्रहण नहीं करेगा। उल्लंघन के मामले में प्रावधान के विरुद्ध संग्रहित राशि की दुगनी राशि के बराबर, इस प्रकार अधिक संग्रहित कर की राशि की जब्ती के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रुप में आरोप्य है।

हमलोगों ने फरवरी एवं मार्च 2011 के बीच पाया कि यद्यपि दो व्यवसायियों (एक कर निर्धारित तथा एक स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान अपने कर दायित्व से ₹ 1.70 लाख की अधिक कर राशि का संग्रह किया था, इसके लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अर्थदण्ड के आरोपण हेतु कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.11 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ तथा तथा अधिक संग्रहित कर की राशि जब्त नहीं की गई।

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.20 मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन

छः[43] वाणिज्यकर अंचल

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 4 (क) के तहत् अगर कोई व्यवसायी बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् कर का भुगतान करने हेतु दायी है, आयातित अनुसूचित मालों की बिक्री अथवा ऐसे आयातित अनुसूचित मालों से विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री के कारण उसपर बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान की देयता बनती है, तब उपरोक्त अधिनियम के तहत् उसका कर दायित्व प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर की सीमा तक कम कर दिया जायेगा।

विनिर्माता के मामले में सिर्फ लघु, मध्यम एवं रुग्न औद्योगिक इकाईयों को ही कर दायित्व में कमी किये जाने की स्वीकृति दी जायेगी। पुनः आयातित अनुसूचित मालों से विनिर्मित किसी वस्तु की बिक्री बिहार राज्य अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में अथवा भारतीय क्षेत्र से बाहर निर्यात किये जाने के क्रम में किये जाने के मामले में कर दायित्व को घटाने के दावे को समानुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी।
पुनः मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39 (4) के तहत् अवनिर्धारित राशि पर 1.5 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज भी आरोप्य है।

हमलोगों ने सितम्बर 2010 तथा मार्च 2011 के बीच पाया कि 11 व्यवसायियों (एक कर निर्धारित, एक संविक्षित एवं नौ स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान ₹ 33.92 करोड़ के प्रवेश कर का भुगतान किया तथा उनके देय मूल्यवर्द्धित कर की करदेयता से ₹ 33.77 करोड़ के प्रवेश कर समायोजन का दावा किया/अनुमति दिया गया। हालाँकि हमलोगों की संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि व्यवसायी केवल ₹ 27.92 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन के लिए ही हकदार थे। इस प्रकार व्यवसायियों को ₹ 5.85 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन की गलत अनुमति दी गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 7.84 करोड़ के अधिक प्रवेश कर का समायोजन, भुगतेय मूल्यवर्द्धित कर के विरुद्ध किया गया **(परिशिष्ट–XIV)**।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने चार[44] अंचलों के सात व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 5.41 करोड़ का माँग सृजित किया। हमलोग स्वीकृत मामलों मे वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

[43] दानापुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्रा, पटना विशेष एवं सासाराम।
[44] दानापुर, हाजीपुर, पाटलीपुत्रा एव पटना विशेष।

खः प्रवेश कर

2.21 आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण

छः[45] वाणिज्यकर अंचल

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के साथ पठित बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत् यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण, मालों की बिक्री अथवा क्रय से संबंधित कोई कर का अवनिर्धारण हुआ है अथवा कर निर्धारण से वंचित रह गया है तब विहित प्राधिकारी ऐसे व्यवसायी द्वारा देय कर का चार वर्षो के भीतर कर निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा। विक्रय अथवा क्रय अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूर्ण एवं सही ब्योरा देने में व्यवसायी द्वारा जानबूझ कर गलती किए जाने की स्थिति में विहित प्राधिकारी भुगतेय ब्याज की राशि के अलावे छूटे हुए कर निर्धारण पर कर की राशि का तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा। आरोपित अर्थदण्ड छूटे हुए आवर्त्त पर कर की राशि के अतिरिक्त होगा।

हमने पाया कि सरकार/विभाग ने व्यवसायी द्वारा रिटर्न मे घोषित आवर्त का तिर्यक जाँच अन्य अभिलेखों, यथा रोड परमिट की उपयोगिता प्रमाणपत्र, घोषणा प्रपत्रो तथा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ–साथ बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् दाखिल रिटर्न के साथ, करने की कोई प्रणाली विहित नहीं की।

हमलोगों ने तेरह व्यवसायियों (कर निर्धारितः दो एवं स्व–कर निर्धारितः 11) द्वारा दाखिल रिटर्न के साथ रोड परमिट की उपयोगिता, घोषणा प्रपत्रों, क्रय विवरणियों, व्यापार एवं विनिर्माण खातों इत्यादि का तिर्यक जाँच मार्च 2010 एवं मार्च 2011 के बीच किया। तिर्यक जाँच के दौरान हमने पाया कि वे अपने रिटर्न में ₹ 1,352.38 करोड़ के अनुसूचित मालों का आयात दिखलाया था जब कि वास्ताविक आयात ₹ 2,166.79 करोड़ का था, जैसाकि घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'ई टी–V' में दर्शाया गया था और इस प्रकार व्यवसायियों ने 2007–08 से 2009–10 के दौरान ₹ 814. 41 करोड़ के अनुसूचित मालों के आयात/क्रय का छिपाव किया। निर्धारण प्राधिकारी या तो रिटर्न की संवीक्षा नही किये अथवा दो मामलों में, जो कि कर–निर्धारित थे, छिपाव का पता नहीं लगाये। जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा की तिथि तक आरोप्य अर्थदण्ड ₹ 354.55 करोड़ एवं ब्याज ₹ 39.30 करोड़ सहित ₹ 512.04 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट **XV**)। दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले निम्न सारणी में दिया गया है :

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	कर निर्धारण का अवधि	वास्तविक आयात किया गया लेखापित	छिपाव की राशि	आरोप्य प्रवेश कर अर्थदण्ड	ब्याज	कुल
1	पाटलीपुत्रा 2	2007–08	3,717.57 1,655.02	2,062.55	152.29 456.87	75.38	684.55
2	पटना विशेष 3	2007–08, 2008–09	94,726.89 21,268.19	78,458.70	11,600.73 34,802.19	3,829.96	50,232.88
3	पूर्णियाँ 1	2007–08	144.18 43.58	100.60	8.05 24.15	3.50	35.69
4	सासाराम 1	2007–08, 2008–09	2,209.05 2,034.32	174.73	13.98 41.93	6.43	62.34

[45] आरा, नवादा, पाटलीपुत्रा, पटना विशेष, पूर्णियाँ एवं सासाराम।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने तीन[46] अंचलो के चार व्यवसायियों के मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा ₹ 14.37 करोड़ हेतु माँग सृजित किया। इनमें से पटना विशेष एवं सासाराम अंचल के एक–एक मामले में ₹ 9.38 लाख की वसूली की। हमलोग स्वीकृत मामलों मे वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011).

2.22 कर का गलत दर लगाया जाना

नौ[47] वाणिज्यकर अंचल

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के तहत् अनुसूचित मालों के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उन वस्तुओं के आयात मूल्य पर उस दर से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो तथा जो 20 प्रतिशत से अधिक न हो, कर का आरोपण एवं संग्रहण किया जाएगा, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अनुसूचित मालों एवं भिन्न–भिन्न स्थानीय क्षेत्रों हेतु विभिन्न दर विनिर्दिष्ट किया गया हो। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 (2) के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत् छूटे हुए कर निर्धारण की राशि की तिगुना अर्थदण्ड एवं अवनिर्धारित राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज भी आरोप्य है।

2.22.1 हमलोगों ने मई 2010 एवं जनवरी 2011 के बीच पाया कि चार[48] अंचलो के सात व्यवसायियों (कर निर्धारित : चार एवं संवीक्षित : तीन) ने वर्ष 2007–09 के दौरान ₹ 33.05 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया एवं विहित दर से कम दर पर प्रवेश कर स्वीकार किया। जुलाई 2008 एवं अगस्त 2010 के बीच कर निर्धारण/संवीक्षा करने के समय इन चूकों का निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पता नहीं लगा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.14 करोड़ के अर्थदण्ड एवं ₹ 72. 45 लाख के ब्याज सहित ₹ 7.58 करोड़ के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ।

2.22.2 अप्रैल 2010 एवं मार्च 2011 के बीच हमने पाया कि सात[49] अंचलो के 13 स्व–कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2007–10 के दौरान ₹ 246.75 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया एवं अपने रिटर्न में विहित दर से कम दर पर प्रवेश कर स्वीकार करते हुए कर निर्धारित किया। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारियों को निर्धारित समयावधि में रिटर्न की संवीक्षा तथा कर के सही दर लगाये जाने की जाँच करनी थी, लेकिन यह किसी भी मामले में नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य ₹ 28.02 करोड़ के अर्थदण्ड तथा ₹ 3.02 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 40.38 करोड़ के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ।

उपरोक्त सभी मामलों में कर के गलत दर लगाये जाने के परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड ₹ 33.16 करोड़ तथा ब्याज ₹ 3.75 करोड़ सहित ₹ 47.96 करोड़ के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ **(परिशिष्ट– XVI)**। दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले नीचे दिये गये हैं:

46 पाटलीपुत्रा, पटना विशेष एवं सासाराम।

47 आरा, दरभंगा, जमुई, किशनगंज, मधुबनी, पाटलीपुत्रा, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष एवं सासाराम।

48 दरभंगा, जमुई, मधुबनी एवं पाटलीपुत्रा।

49 आरा, जमुई, किशनगंज, पाटलीपुत्रा, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष एवं सासाराम।

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	वर्ष	आयात मूल्य	वस्तु का नाम	कर का दर आरोप्य / आरोपित (प्रतिशत में)	कम आरोपण अर्थदण्ड	ब्याज	कुल
1	पाटलीपुत्रा (कर निर्धारित) 1	2007–08 2008–09	1,926.13	विद्युत सामग्रियाँ	8 / 4	77.05 231.14	34.95	343.13
2	दरभंगा 1	2007–08	549.94	तम्बाकू उत्पाद	16 / 5	60.49 181.48	23.59	265.56
3	पटना विशेष 1	2008–09	14,590.07	तम्बाकू उत्पाद	16 / 12.5	510.65 1,531.96	168.52	2,211.13
4	सासाराम 1	2007–08	850.08	विद्युत सामग्रियाँ	8 / 4 8 / 0	47.10 141.31	24.73	213.12
5	पाटलीपुत्रा (स्व–कर निर्धारित) 5	2007–08 2008–09 2009–10	8,687.03	विद्युत सामग्रियाँ	8 / 4 8 / 0	346.48 1,039.44	97.42	1,483.34

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार / विभाग ने दो अंचलों (पाटलीपुत्रा और सासाराम) के छह व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकनो को स्वीकार किया तथा ₹ 2.42 करोड़ हेतु माँग सृजित किया। इनमें सासाराम एवं पाटलीपुत्रा अंचल के एक–एक मामले में ₹ 66.46 लाख की वसूली की। स्वीकृत मामलों में वसूली तथा अन्य मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.23 निबंधन नहीं किए जाने के कारण प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

पाँच[50] वाणिज्यकर अंचल

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित बिहार प्रवेश कर नियमावली के नियम 3 के प्रावधानों के तहत् अनुसूचित वस्तुओं के प्रत्येक व्यवसायी को कर के भुगतान हेतु दायी होने के सात दिनों के अंदर अपने को इस अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन करा लेना होगा।

पुनः, बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के तहत् यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई व्यवसायी कर का भुगतान करने हेतु दायी था और निबंधन के लिए आवेदन करने में जानबूझकर विफल रहा, तब वे स्वविवेक से देय कर की राशि का निर्धारण करेंगे तथा वे निर्देश देंगे कि व्यवसायी निर्धारित कर की राशि के अतिरिक्त, प्रत्येक चूक दिवस के लिए एक सौ रुपये की राशि अथवा निर्धारित कर की राशि के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान अर्थदण्ड के रुप में करेगा।

हमलोगों ने अप्रैल 2010 तथा अप्रैल 2011 के बीच पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् आठ व्यवसायियों (एक संवीक्षित तथा सात स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2007–08 से 2009–10 की अवधि के दौरान ₹ 31.32 करोड़ मूल्य के विभिन्न अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया था। हालाँकि बिहार प्रवेश कर अधिनियम के तहत् उन्होंने अपना निबंधन नहीं कराया था, जबकि

[50] मधेपुरा, पाटलीपुत्रा, पटना (दक्षिणी एवं कदमकुआँ), पटना विशेष एवं पूर्णियाँ।

वे ऐसा करने हेतु दायी थे। कर निर्धारण प्राधिकारी अनिबंधन के तथ्यों का पता लगाने में विफल रहे, जबकि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् रिटर्न की संवीक्षा किये जाने के समय कर निर्धारण प्राधिकारियों के पास, निबंधन हेतु उनके दायित्वों से संबंधित सूचनायें, उपलब्ध थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.61 करोड़ के अधिकतम आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 3.22 करोड़ के प्रवेश कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद सरकार/विभाग ने दो अंचलों (पाटलीपुत्रा एवं पटना विशेष) के दो व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा ₹ 59.13 लाख की माँग सृजित की। स्वीकार्य मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

2.24 प्रवेश कर पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

दरभंगा एवं हाजीपुर वाणिज्यकर अंचल

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत् यदि कोई व्यवसायी नियत तिथि (अर्थात् अगले माह के 15 तारीख अथवा उससे पहले) तक अपने रिटर्न के अनुसार भुगतेय कर की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तब वह कर के भुगतेय होने की तिथि से भुगतान किये जाने की तिथि तक देय राशि का 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज का भुगतान करने हेतु दायी होगा।

हमलोगों ने जून एवं अगस्त 2010 के बीच पाया कि यद्यपि दो व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2008–09 के दौरान प्रवेश कर का भुगतान 14 से 350 दिनों के विलम्ब से किया, लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी विलम्ब से जमा किये गये कर पर ब्याज का आरोपण नहीं किये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.33 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ जैसाकि निम्न सारणी में वर्णित है:

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम टीन	वर्ष	विलम्ब (दिनों में)	प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर पर आरोप्य ब्याज
1	दरभंगा	मे0 दुर्गा ट्रेडिंग 10384489231	2008–09	14 एवं 315 दिनों के बीच	3.07
2	हाजीपुर	मे0 जैन इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड 10293197293	2008–09	167 एवं 350 दिनों के बीच	5.26
कुल					8.33

मामले सरकार/विभाग को मई 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

अध्याय III

मोटर वाहनों पर कर

कार्यपालक सारांश

बजट आकलन की तुलना में कर संग्रहण में कमी	वर्ष 2010–11 में बजट आकलन की तुलना में मोटर वाहनों पर करों के संग्रहण में 17.19 प्रतिशत की कमी आई।
विभाग द्वारा हमलोगों के पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए अवलोकनों से संबंधित काफी कम वसूली	वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि के दौरान हमलोगों ने मोटर वाहनों पर करों से संबंधित 954 मामलों में ₹ 790.45 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कम आरोपण/आरोपण नहीं किए जाने, कम वसूली/वसूली नहीं किए जाने, राजस्व की हानि इत्यादि इंगित किए। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 482.69 करोड़ से सन्निहित 863 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया। स्वीकृत मामलों में सन्निहित ₹ 482.69 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.35 करोड़ की नगण्य वसूली (0.27 प्रतिशत), सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की तत्परता में अभाव को संसूचित करता है।
वर्ष 2010–11 में हमलोगों द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम	वर्ष 2010–11 में हमलोगों ने मोटर वाहनों पर करों से संबंधित 48 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 20 करोड़ से सन्निहित 199 मामलों में कर का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली, राजस्व की हानि एवं अन्य त्रुटियाँ पाया। विभाग ने 64 मामलों में सन्निहित ₹ 19.43 करोड़ के राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली, राजस्व की हानि एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें ₹ 1.23 करोड़ से सन्निहित आठ मामले वर्ष 2010–11 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे ।
इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण	इस अध्याय में हमने **'बिहार में परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण'** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा जिला परिवहन कार्यालयों में अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाए गए कम आरोपण/आरोपण नहीं किए जाने, कम वसूली/वसूली नहीं किए जाने आदि से संबंधित अवलोकनों से चयनित ₹ 17.81 करोड़ से सन्निहित दृष्टांतस्वरूप कुछ मामलों को रखा है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। यह चिन्ता का विषय है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पिछले कई वर्षों से निरंतर हम इन चूकों को इंगित करते रहे हैं परन्तु हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने तक विभाग ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की थी। हमारा ध्यान इस पर भी है कि यद्यपि हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से इस तरह का चूक स्पष्ट दृष्टिगोचर थे, जिला परिवहन पदाधिकारी इन गलतियों को पता लगाने में असमर्थ थे।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि तंत्र की कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा पाए गए चूकों को भविष्य में टाला जाए। कम–से–कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है।

3.1.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर वाहनों पर करों का संग्रहण परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके प्रधान राज्य परिवहन आयुक्त होते हैं। मुख्यालय में दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, उनके कार्य संपादन में सहयोग करते हैं। राज्य को नौ क्षेत्रों एवं 38 जिलों में बाँटा गया है जिन पर क्रमशः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों का नियंत्रण रहता है। उन्हें राजस्व के संग्रहण हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है।

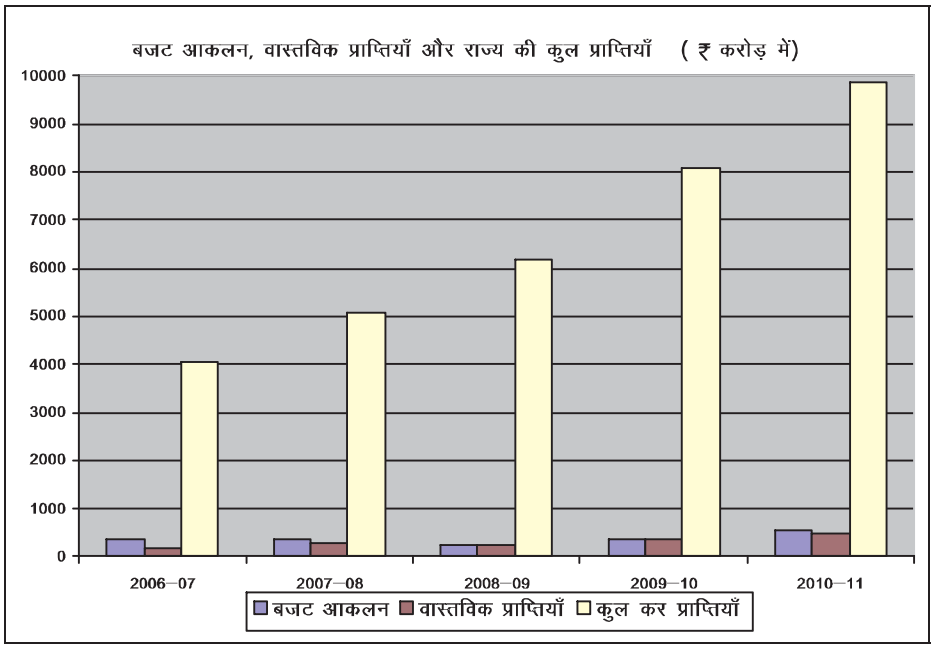
3.1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान बजट आकलन तथा मोटर वाहनों पर कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है:

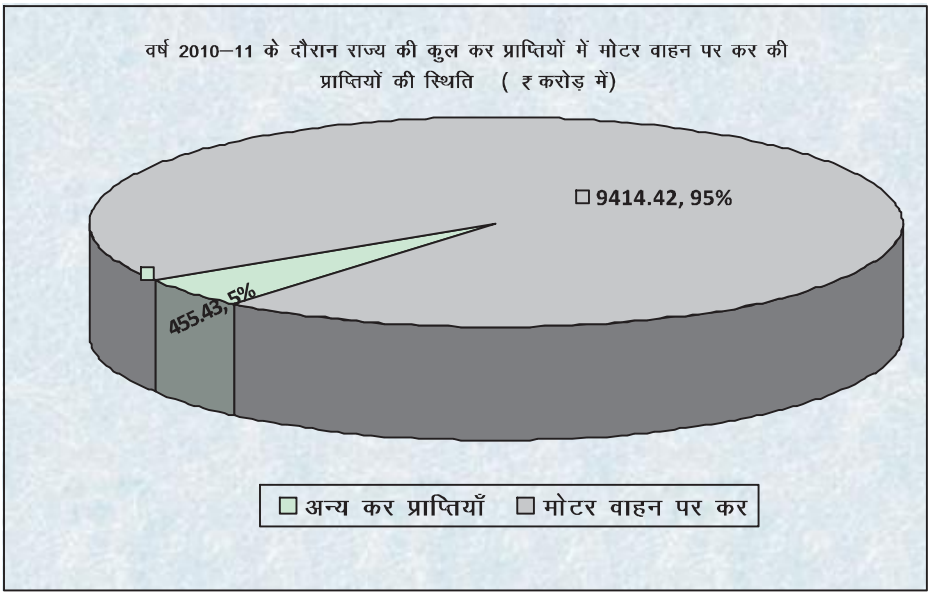
(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2006–07	350.00	181.38	(–) 168.62	(–) 48.18	4,033.08	4.50
2007–08	375.00	273.21	(–) 101.79	(–) 27.14	5,085.53	5.37
2008–09	256.60	297.74	(+) 41.14	(+) 16.03	6,172.74	4.82
2009–10	355.00	345.13	(–) 9.87	(–) 2.78	8,089.67	4.27
2010–11	550.00	455.43	(–) 94.57	(–) 17.19	9,869.85	4.61

मोटर वाहनों पर कर की आकलित प्राप्तियाँ तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ–साथ प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न बार डायग्राम में दिया गया है:



वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 9,869.85 करोड़) में मोटर वाहनों पर कर का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:



3.1.3 संग्रहण की लागत

मोटर वाहनों पर कर प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008–09	297.74	6.95	2.33	2.58
2009–10	345.13	10.41	3.02	2.93
2010–11	455.43	16.92	3.72	3.07

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान, संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक था।

सरकार को आवश्यकता है कि आने वाले वर्षों में संग्रहण की लागत की प्रतिशतता को अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से नीचे रखने हेतु उचित कदम उठाए।

3.1.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

राजस्व प्रभाव

वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि के दौरान, हमने अपनी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से राजस्व का आरोपण नहीं/कम किए जाने, कम/नहीं वसूली किए जाने, हानि इत्यादि के 954 मामले, जिसमें ₹ 790.45 करोड़ के राजस्व शामिल थे, इंगित किए। इसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 482.69 करोड़ से सन्निहित 863 मामलों के

लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं मात्र ₹ 1.35 करोड़ की वसूली की। विस्तृत विवरणी निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2005–06	42	53	198.42	27	13.99	1	0.01लाख
2006–07	47	172	41.63	116	28.49	शून्य	शून्य
2007–08	47	201	141.29	215	142.94	5	0.37
2008–09	46	218	155.98	210	96.04	4	0.98
2009–10	38	310	253.13	295	201.23	शून्य	शून्य
कुल	**220**	**954**	**790.45**	**863**	**482.69**	**10**	**1.35**

स्वीकृत मामलों में सन्निहित ₹ 482.69 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.35 करोड़ (0.27 प्रतिशत) की नगण्य वसूली सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की ओर से तत्परता का अभाव संसूचित करता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि कम से कम स्वीकृत मामलों में, सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उपयुक्त कदम उठाये।

3.1.5 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा सरकार के विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है।

वित्त (लेखापरीक्षा) की लेखापरीक्षा दल में तीन सदस्य होते हैं, जिसमें एक दल का प्रमुख होता है। लेखापरीक्षा हेतु अधियाचना की मात्रा को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय/प्रमंडलीय कार्यालयों से लेखापरीक्षा दल हेतु कर्मियों को लिया जाता है। विभाग ने लेखापरीक्षा की जाने वाली कार्यालयों की संख्या, किये गये लेखापरीक्षा की संख्या, निर्गत अवलोकनों की संख्या तथा सन्निहित राशि से संबंधित सूचनाएँ हमें उपलब्ध नहीं कराया।

3.1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2010–11 की अवधि के दौरान मोटर वाहनों पर कर से संबंधित 48 ईकाइयों के अभिलेखों की हमारी नमूना जाँच से, ₹ 20 करोड़ से सन्निहित 199 मामलों में कर के नहीं/ कम निर्धारण, नहीं/कम वसूली, राजस्व की हानि एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	**'बिहार में परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण' (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)**	1	0.96
2	करों का आरोपण नहीं/कम किया जाना	55	15.56
3	व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना	32	1.39
4	एक मुश्त कर/ फीस का वसूली नहीं किया जाना	21	0.40
5	ड्राईविंग लाइसेंस का अनियमित निर्गमन	10	0.22

6	अभ्यर्पण में संलग्न वाहनों से कर की वसूली नहीं किया जाना	9	0.33
7	योग्यता प्रमाणपत्र का अनियमित निर्गमन	4	0.10
8	अन्य मामले	67	1.04
कुल		**199**	**20.00**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 64 मामलों में अंतर्निहित ₹ 19.43 करोड़ के नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली, राजस्व की हानि तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 1.23 करोड़ से सन्निहित आठ मामले वर्ष 2010–11 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

'बिहार में परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा परिणाम, जिसमें कुल ₹ 95.94 लाख का वित्तीय प्रभाव शामिल है तथा दृष्टान्तस्वरूप कुछ अन्य मामले, जिनमें ₹ 16.85 करोड़ अंतर्निहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

3.2 बिहार में परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य अंश

आठ नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में एक परियोजना के रूप में वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर तीन से 27 माह के विलम्ब से क्रियान्वित किये गए थे।

(कंडिका 3.2.6)

सुरक्षा नीति अपर्याप्त थी तथा आँकड़ों का दुरूपयोग/हेरा–फेरी अथवा अनाधिकृत रूप से जोड़ने/विलोपित करने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली सुभेद्य थी ।

(कंडिका 3.2.11.1)

इनपुट कंट्रोल तथा वैधता जांच की अपर्याप्तता के फलस्वरूप दोहरा इंजन संख्या एवं चेसिस संख्या, एक ही बीमा कवर नोट में दो या अधिक वाहनों का निबंधन, कर भुगतान की असंगत अवधि दर्ज किये जाने और गलत बैठान क्षमता दर्शाये जाने के कारण डाटावेस अविश्वसनीय था।

(कंडिका 3.2.14)

वाहन सॉफ्टवेयर द्वारा जनित कर की राशि, स्थापित व्यावसायिक नियमों के अनुसार नहीं थे।

(कंडिका 3.2.15.3)

3.2.1 प्रस्तावना

निबंधित मोटर वाहनों और ड्राइभिंग लाइसेसों का एक राष्ट्रीय पंजी तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सुरक्षा एजेन्सियों को महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को वाहन[1] एवं सारथी[2] सॉफ्टवेयर अंगीकार करने का निदेश जारी किया। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। राष्ट्रीय पंजी के अतिरिक्त, इन सॉफ्टवेयर में मोटर वाहनों और लाइसेसों की राज्य पंजी भी विकसित किया जाना उद्देशित था। यह कम्प्यूटरीकरण प्रयास केन्द्रीय प्रक्षेत्र योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था तथा इसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के ओर से एन आई सी द्वारा राज्य परिवहन विभाग के समन्वय से कार्यान्वित किया जाना था।

शुरूआत में, परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने सारथी एप्लिकेशन मई 2008 में तथा वाहन सॉफ्टवेयर फरवरी 2009 में जिला परिवहन कार्यालय, पटना में क्रियान्वित किया। सॉफ्टवेयर ऑरेकल 10जी[3] के साथ क्लाईंट सर्वर संरचना पर क्रियान्वित किया गया था। सर्वर के लिए विंडों 2000 तथा सभी क्लाईंट के लिए विंडो एक्स.पी ऑपरेटिंग प्लेटफार्म था। परिवहन विभाग हेतु हार्डवेयर, भारत सरकार की निधि से प्राप्त हुआ था और राज्य को एन आई सी दिल्ली द्वारा आपूर्ति किया गया था। सितम्बर 2011 तक वाहन एवं सारथी एप्लिकेशन राज्य के सभी 38 जिला परिवहन कार्यालयों में लागू किया गया था। वाहन एवं सारथी एप्लिकेशन लागू करने के पूर्व विभाग पाँच[4] जिला

1 वाहनों के निबंधन तथा पथ कर समाधान हेतु विकसित एक एप्लिकेशन।
2 विभिन्न लाइसेंसों के निर्गमन हेतु विकसित एक एप्लिकेशन।
3 ऑरेकल 10जी एक ग्रीड कम्प्यूटिंग प्रोडक्ट ग्रुप है जिसमें एक डाटावेस मैनेजमेंट सिस्टम तथा एक एप्लिकेशन सर्वर शामिल है।
4 भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णियाँ।

परिवहन कार्यालयों में निबंधन और लाइसेंस के आँकड़ों को सड़क परिवहन प्रबंधन सूचना पद्धति (निक्ट्रान) नामक एप्लिकेशन पर संधारित कर रहा था एवं शेष जिला परिवहन कार्यालय आँकड़ों को मैनुअली रख रहे थे।

3.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

शीर्ष स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार विभाग के प्रधान होते हैं तथा अधिनियमों एवं नियमों के संचालन तथा सभी नीतिगत मामलों के अनुपालन हेतु उत्तरदायी हैं। मुख्यालय में दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, उनके कार्य संपादन में सहयोग करते हैं। राज्य को नौ[5] क्षेत्रों एवं 38[6] जिलों में बाँटा गया है जिन पर क्रमशः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों का नियंत्रण रहता है। उन्हें राजस्व के संग्रहण हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है।

संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार सभी कम्प्युटरीकरण क्रियाकलापों हेतु नोडल पदाधिकारी हैं। राज्य मुख्यालय में राज्य सूचना पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होते हैं। जिला स्तर पर जिला सूचना पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी हैं।

3.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह निष्पादन लेखापरीक्षा, इस उद्देश्य का आकलन एवं मूल्यांकन करने के लिए किया गया था कि क्याः

- वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य पूरा हुआ;
- आँकड़ों की विश्वसनीयता तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय सामान्य एवं सुरक्षा नियंत्रण मौजुद थे;
- वाहनों और लाइसेंस की राज्य पंजी के निर्माण के लिए राज्य में जिला परिवहन कार्यालयों के बीच संबंध स्थापित था; और
- तंत्र में व्यापार नियमों का समावेश किया गया था।

3.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

बिहार में परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा जून एवं अक्तूबर 2011 की अवधि के बीच 38 जिला परिवहन कार्यालयों में से नौ[7] और राज्य परिवहन प्राधिकार कार्यालय, पटना में की गयी। राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय द्वारा एम एस एक्सेस फॉर्मेट में आँकड़ों की सॉफ्ट कॉपी लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया जिसका इन्ट्रेक्टिव डाटा एक्सट्रेक्सन एनालाइसिस (आइडिया) सॉफ्टवेयर, जो की साधारणतया सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण में लेखापरीक्षा किये जाने हेतु स्वीकार्य एवं उपयोग किया जाने वाला एक कम्प्यूटर एसीस्टेड ऑडिट टेकनीक एण्ड टूल्स (सीएएटीटी) है, की उपयोग से विश्लेषण एवं तिर्यक जाँच किया गया।

5 भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ एवं वैशाली।

6 अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, बेतिया, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल एवं वैशाली।

7 भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ एवं वैशाली–रैण्डम आधार पर चयनित।

3.2.5 स्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनाऐं एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में राज्य परिवहन आयुक्त के सहयोग को स्वीकार करता है। सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार एवं निदेशक, एन आई सी, बिहार के साथ जुलाई 2011 में एक आरम्भिक सम्मेलन (इन्ट्री कन्फरेंस) आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं कार्य पद्धति पर चर्चा की गई। प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा पर उनके विचारों को भी प्रकाश में लाया गया और उनके सुझावों को उपयुक्त रुप से अपनाया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को अक्तूबर 2011 में अग्रसारित किया गया था। नवम्बर 2011 में अन्तिम सम्मेलन (एक्जिट कन्फरेंस) आयोजित की गई जिसमें राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.2.6 परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब

अनुमोदित प्रस्ताव (दिसम्बर 2008) के अनुसार परिवहन विभाग ने कम्प्यूटरीकरण के लिए सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा परियोजना की समीक्षा/अनुश्रवण, नियंत्रण तथा सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु एक समिति गठित की गयी। इस समिति में राज्य परिवहन आयुक्त, संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त एवं एन आई सी, बिहार इकाई के तीन अन्य सदस्य शामिल थे।

परिवहन विभाग ने परियोजना के रूप में वाहन एवं सारथी के सफल कार्यान्वयन हेतु एक समय सारणी निर्धारित किया। कार्यान्वयन सारणी के अनुसार विभाग के सभी कार्यालयों को जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यभार के अनुरूप चार[8] श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था तथा यह निर्णय लिया गया था कि परिवहन विभाग के अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार 30 जून 2009 तक सम्पूर्ण राज्य में वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित कर लिया जाये।

नमूना जाँचित आठ जिला परिवहन कार्यालयों में हमने पाया कि इस परियोजना का वास्तविक कार्यान्वयन तीन से 27 माह के विलम्ब से हुआ था। विस्तृत विवरणी निम्न सारणी में दिया गया है:

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम/श्रेणी	कार्यान्वयन का लक्ष्य तिथि	कार्यान्वयन का वास्तविक माह		विलम्ब माह में	
			वाहन	सारथी	वाहन	सारथी
1	भागलपुर/ख	30 अप्रैल 2009	नवम्बर 2009	फरवरी 2009	6	शून्य
2	दरभंगा/ख	30 अप्रैल 2009	अगस्त 2011	जून 2010	27	13
3	गया/ख	30 अप्रैल 2009	अगस्त 2010	अगस्त 2009	15	3
4	कटिहार/ग	31 मई 2009	नवम्बर 2010	मई 2010	17	11
5	मधुबनी/ग	31 मई 2009	अगस्त 2011	फरवरी 2011	26	20

[8] श्रेणी कः–राज्य परिवहन आयुक्त और जिला परिवहन कार्यालय, पटना– 31 मार्च 2009 तक।
श्रेणी खः–प्रमंडलीय कार्यालयों (भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ एवं सहरसा)–30 अप्रैल 2009 तक
श्रेणी गः– शेष 29 जिले–31 मई 2009 तक।
श्रेणी घः– सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालयों–30 जून 2009 तक।

6	मुजफ्फरपुर/ख	30 अप्रैल 2009	दिसम्बर 2009	फरवरी 2009	7	शून्य
7	पटना/क	31 मार्च 2009	फरवरी 2009	मई 2008	शून्य	शून्य
8	पूर्णियाँ/ख	30 अप्रैल 2009	मार्च 2010	जनवरी 2010	10	8
9	वैशाली/ग	31 मई 2009	सितम्बर 2009	फरवरी 2009	3	शून्य

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि विभाग ने जिला परिवहन कार्यालय, पटना में लक्ष्य तिथि के पूर्व ही परियोजना का क्रियान्वयन कर दिया था, जो कि यह देखते हुए एक सराहनीय प्रयास है कि जिला परिवहन कार्यालय, पटना में सर्वाधिक वाहन निबंधित है। इसी प्रकार सर्वाधिक संख्या में ड्राइभिंग लाइसेंस भी जिला परिवहन कार्यालय, पटना से ही निर्गत किया गया है। यद्यपि हमने पाया कि परियोजना के क्रियान्वयन में 27 माह का अत्यधिक विलम्ब (दरभंगा) था।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में कहा कि संरचना एवं सॉफ्टवेयर के अभाव में नियत तिथि तक परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका।

3.2.7 एन आई सी, दिल्ली द्वारा हार्डवेयर की आपूर्ति

3.2.7.1 अनुमोदित प्रस्ताव का पालन नहीं किया जाना

संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि सम्पूर्ण राज्य के 37 जिला परिवहन कार्यालयों, नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों और राज्य परिवहन प्राधिकार में कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिसम्बर 2008 में अनुमोदित किया गया था। इस प्रस्ताव में जिला परिवहन कार्यालय, पटना शामिल नहीं था, क्योंकि राज्य निधि से मार्गदर्शी जिला के रुप मे इसका कम्प्यूटरीकरण पहले ही किया जा चुका था।

अनुमोदित परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा हार्डवेयर की आपूर्ति अनुमोदित आवश्यकतानुसार एवं स्वीकृत स्थलों के लिए किया जाना था। जबकि हमलोगों ने अवलोकन किया कि परिवहन विभाग ने एन आई सी, पटना के माध्यम से जिला परिवहन कार्यालय पटना के कम्प्यूटरीकरण के लिये हार्डवेयर प्राप्त करने हेतु एक अधियाचना एन आई सी, दिल्ली को भेजा था, यद्यपि यह अनुमोदित परियोजना में शामिल नहीं था। तथापि एन आई सी, दिल्ली ने कम्प्यूटरीकरण के लिए जिला परिवहन कार्यालय पटना को आवश्यक हार्डवेयर भेजा (मई 2010 और अगस्त 2010 के बीच) था। परिवहन विभाग द्वारा भेजा गया अधियाचना और एन आई सी, दिल्ली द्वारा की गई आपूर्ति, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रस्ताव के विपरीत था और इसके फलस्वरुप केन्द्रीय निधि का भी अनियमित उपयोग हुआ।

3.2.7.2 जिला परिवहन कार्यालय, पटना द्वारा हार्डवेयर का उपयोग नहीं किया जाना

जिला परिवहन कार्यालय, पटना में हार्डवेयर की उपयोगिता का विवरण नीचे दिया गया है:

हार्डवेयर की संख्या	सर्वर सिस्टम	कम्प्यूटर	डॉट मैट्रीक्स प्रिंटर	कलर प्रिंटर/लेजर प्रिंटर	वेब कैमरा	सिग्नेचर पैड	फिंगर प्रिंट उपकरण	यू पी एस
कुल संख्या[9]	4	40	26	4	16	10	7	6
जिला परिवहन कार्यालय, पटना द्वारा किया गया उपयोग	4	28	17	4	5	5	6	6
उपयोग नहीं किये गये हार्डवेयर	शून्य	12	9[10]	शून्य	11	5	1	शून्य

यह स्पष्ट है कि आपूर्ति किये गए/क्रय किये हुए हार्डवेयर का जिला परिवहन कार्यालय, पटना द्वारा पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया था।

हमलोगों के इंगित किये जाने पर विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा कि हार्डवेयर का उपयोग कर लिया जायेगा।

3.2.7.3 हार्डवेयर की आपूर्ति और प्राप्ति के आँकड़ों में भिन्नताऐं

कम्प्यूटरीकरण के लिए एन आई सी, दिल्ली द्वारा की गई आपूर्ति और जिला परिवहन कार्यालय, पटना द्वारा प्राप्त हार्डवेयर का विवरण निम्नवत है:

	सर्वर सिस्टम	कम्प्यूटर	डॉट मैट्रीक्स प्रिंटर	कलर प्रिंटर	वेब कैमरा	सिग्नेचर पैड	फिंगर प्रिंट उपकरण	यू पी एस (5 के. भी. ए.)
एन आई सी द्वारा की गई आपूर्ति	2	25	15	–	10	10	10	2
जिला परिवहन कार्यालय,पटना द्वारा प्राप्त	2	25	15	2	10	–	–	2

(श्रोतः एन आई सी, पटना एवं जिला परिवहन कार्यालय, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनायें)

जैसाकि उपरोक्त सारणी संसूचित करता है कि कुछ हार्डवेयर यथा, कलर प्रिंटर, सिग्नेचर पैड एवं फिंगर प्रिंट उपकरण की प्राप्ति में भिन्नता थी।

9 कुल संख्या, एन आई सी के माध्यम से प्राप्त हार्डवेयर तथा जिला परिवहन कार्यालय द्वारा स्थानीय क्रय को, दर्शाता है।

10 सात डॉट मैट्रीक्स प्रिंटर मरम्मती में थे।

3.2.8 मॉड्यूल की उपयोगिता

वाहन एप्लिकेशन के मॉड्यूल में वाहन का निबंधन, नये वाहन का निबंधन, वाहन के निबंधन का नवीकरण, स्वामित्व का हस्तांतरण, पता मे बदलाव, हाइपोथिकेशन को हटाया जाना, परमिट एवं कर, राष्ट्रीय परमिट और अखिल भारतीय पर्यटन परमिट का निर्गमन, परमिट का नवीकरण, राज्य विशेष पथ कर की संगणना एवं संग्रहण, योग्यता, योग्यता प्रमाणपत्र का निर्गमन, योग्यता प्रमाणपत्र का नवीकरण और प्रर्वतन समाहित है।

हमलोगों ने पाया कि निम्नलिखित मॉड्यूल/सारणी का उपयोग नही किया जा रहा था अथवा आंशिक उपयोग किया जा रहा था:

मॉड्यूल/सारणी	विवरण	अभिलेखों की संख्या	अभियुक्ति
प्रवर्तन मॉड्यूल	प्रवर्तन स्कंध के कार्यकलाप को रखने हेतु अभिकल्पित	कोई अभिलेख नहीं	इस मॉड्यूल में सड़क पर पाये गये दोषी वाहनों, जैसे बिना निबंधन/परमिट के वाहनों का उपयोग, बीमा रहित वाहन चलाना, बिना योग्यता प्रमाणपत्र के वाहन, लदान भार संबंधी दोष इत्यादि, पर दण्ड आरोपण से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि हेतु स्थान है। हमने पाया कि वर्ष 2010–11 में प्रवर्तन स्कन्ध द्वारा कुल ₹ 1.94 करोड़ का कम्पाउन्डिग फीस वसूल किया गया था, लेकिन इन आँकड़ों को वाहन में नहीं रखा गया था।
परमिट मॉड्यूल	यात्री वाहनों/माल वाहनों के परमिट विवरणों से संबंधी सूचनायें प्रदान करता है।	कोई अभिलेख नहीं	हमने पाया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट मैनुअली निर्गत किया जाता है।
व्यापार	व्यापार प्रमाणपत्र धारकों के संबंध में सूचनायें प्रदान करता है।	कोई अभिलेख नहीं	इसमें व्यापार अनुज्ञप्ति फीस एवं एजेन्सियों का नाम है। यह कार्य अभी भी मैनुअली किया जा रहा है।
पिन कोड	किसी स्थान का नाम एवं उसकी संख्या के बारे में सूचनायें प्रदान करता है।	–	इसमें पटना क्षेत्र के बदले दिल्ली क्षेत्र का पिन कोड है।
अस्थायी वाहन फीस, अस्थायी वाहन बीमा	अस्थायी वाहन फीस एवं इसके बीमा के संबंध में जानकारी प्रदान करता है।	कोई अभिलेख नहीं	उपयोग नहीं किया गया।
ट्रेलर	निबंधन संख्या, चेसिस संख्या जैसे सूचनायें प्रदान करता है।	कोई अभिलेख नहीं	उपयोग नहीं किया गया।
निजी वाहन कर एवं यात्री वाहन कर सारणी	विभिन्न कर श्रेणियों की जानकारी प्रदान करता है।	अप्रासांगिक अभिलेख	इसमें अप्रासांगिक आँकड़ें जैसे "9999999" है।
निजी वाहन एम भी आई जाँच एवं योग्यता प्रमाणपत्र प्रिंट	निजी वाहन निरीक्षण विवरण एवं योगयता प्रमाणपत्र का प्रिंटिंग संबंधी विवरण उपलब्ध कराता है।	कोई अभिलेख नहीं	वाहनों को योग्यता प्रमाणपत्र मैनुअली निर्गत किया गया।

निबंधन अभ्यर्पण एवं इतिहास	किसी वाहन के निबंधन प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण विवरण संबंधी जानकारी संग्रह/प्रदान करता है।	कोई अभिलेख नहीं	उपयोग नहीं किया जा रहा था।
चोरी प्रतिवेदन	किसी वाहन के चोरी प्रतिवेदन संबंधी सूचना उपलब्ध कराता है।	सिर्फ तीन अभिलेख	सिर्फ दो वाहनों को विवरण वर्ष 2009 में एवं एक का वर्ष 2011 में प्रविष्ट किया गया था।
योग्यता संबंधी सूचनायें	वाहनों के योग्यता का विवरण रखता है।	22,557	1,45,193 वाहनों के निबंधन (31.05.2009 के बाद) के विरुद्ध मात्र 22,557 अभिलेख दर्शाये गये हैं।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में कहा कि इस प्रवर्तन मॉड्यूल का उपयोग करना कठिन है और शेष मॉड्यूल का उपयोग एन आई सी के मदद से किया जाएगा।

3.2.9 लिगेसी डाटा से संबंधित मामले

परिवहन विभाग के 8 दिसम्बर 2009 के निर्गत आदेश के अनुसार सभी वाणिज्यिक वाहनों हेतु लिगेसी डाटा (पिछले आँकड़ों) की प्रविष्टि 18 दिसम्बर 2009 तक पूरा कर लिया जाना था। लिगेसी डाटा से सम्बंधित सारे कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अद्यतन आँकड़ों को नये वाहन सॉफ्वेयर में लाया जाना था। हमलोगों ने नौ[11] जिला परिवहन कार्यालयों का नमूना जाँच किया एवं पाँच[12] जिला परिवहन कार्यालयों में पाया कि पूर्ववर्ती कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से लिगेसी डाटा को वाहन सॉफ्टवेयर में नहीं ले जाया गया है, यद्यपि बतलाया गया था कि इसे पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष चार[13] जिला परिवहन कार्यालयों में लिगेसी डाटा की प्रविष्टि का कार्य अभी भी प्रगति (अगस्त 2011) पर था। पुनः हमने पाया कि वाहन प्रणाली में आँकड़े को नहीं लाये जाने के कारण चार[14] जिला परिवहन कार्यालयों मे करों के संग्रहण के लिए निक्ट्रान परिचालित था। अतः वाहन सॉफ्टवेयर का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया था। निजी वाहनों और ड्राइभिंग लाइसेंस के मामलों में लिगेसी डाटा की प्रविष्टि का कार्य अभी शुरू किया जाना था। वाहन सॉफ्टवेयर में समेकित आँकड़ों के अभाव में राज्य पंजी और राष्ट्रीय पंजी पूर्ण नहीं किया जा सकता है।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा कि उन वाहनों, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक कर सन्निहित है, के लिगेसी डाटा को प्राथमिकता के आधार पर नये सॉफ्टवेयर में लाया जा रहा है।

11 भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ एवं वैशाली।
12 भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं पूर्णियाँ।
13 दरभंगा, कटिहार, मधुबनी एवं वैशाली।
14 भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ।

3.2.10 समुचित प्रलेखन और प्रणाली विकास नियंत्रण का अभाव

साधारणतया स्थापित प्रक्रियायों के अनुसार, यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (यू आर एस) एवं सिस्टम डिजाईन डॉक्यूमेंट (एस डी डी) जो कि प्रस्तावित प्रणाली को विकसित करने के लिए पूर्ण रूप में विवरण देता है, यूजर एजेन्सी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि क्लाईन्ट के आवश्यकताओं को वेंडर समझ सके। परियोजना के कम्प्यूटरीकरण हेतु समुचित प्रलेखन, जैसे यू आर एस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन (एस आर एस), विस्तृत रुपरेखा, डाटा फ्लो डायग्राम, सारणियों इत्यादि के बीच डाटा डिक्सनरी सम्बद्धता भी महत्वपूर्ण है।

प्रणाली विकसित करने वालों द्वारा तैयार प्रासांगिक प्रलेखन (यू आर एस, एस डी डी), माँग के बावजूद भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इन अभिलेखों के अभाव में इन प्रलेखनों की पर्याप्तता की जाँच हम नहीं कर सके।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा कि सॉफ्टवेयर एन आई सी द्वारा विकसित किया गया था और इसे प्राप्त किया जाएगा।

3.2.11 सूचनाओं की सुरक्षा

यद्यपि विभाग ने वाहन का निबंधन एवं लाइसेंसिग क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया था, फिर भी आँकड़ों की विश्वसनीयता एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु निर्मित सूचना प्रणाली की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किये गये थे।

3.2.11.1 पासवर्ड नीति का अभाव

नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में हमलोगों ने पाया कि कम्प्यूटर प्रणाली में पहुँच के लिए यूजर आई डी और पासवर्ड उपयोगकर्त्ता द्वारा साझा किया जाता था। किसी भी चयनित जिला परिवहन कार्यालय में कम्प्यूटर प्रणाली तक पहुँच का स्तर तय नहीं था। पासवर्ड साझा करने की प्रथा, प्रणाली का अनाधिकृत उपयोग के जोखिम से भरा था एवं उत्तरदायित्व का अभाव था। विभाग ने न तो जोखिम का आकलन ही किया और न ही पासवर्ड स्थापित किया जिसके फलस्वरूप आँकड़ों का दुरुपयोग/हेरा फेरी अथवा अनाधिकृत रूप से जोड़ने/ विलोपित करने के लिए प्रणाली सुभेद्य थी। कम्प्यूटर प्रणाली में पहुँच एवं उपयोग के लिए पासवर्ड में बदलाव की प्रथा नहीं थी।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा कि इसे सुधार लिया जाएगा।

सरकार/विभाग, कम्प्यूटर प्रणाली में पहुँच को नियंत्रित करने के लिए पासवर्ड नीति बनाने हेतु कदम उठा सकती है।

3.2.11.2 एन्टीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जाना

कम्प्यूटर प्रणाली से वायरस को रोकने, खोजने एवं हटाने के लिए एन्टीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।

हमलोगों ने पाया कि पटना को छोड़कर किसी भी नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों के कम्प्यूटर प्रणाली में एन्टीवायरस स्थापित नहीं था।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस के दौरान कहा कि एन आई सी द्वारा इसकी आपूर्ति नहीं की गयी थी। यद्यपि विंडों आधारित मुफ्त एन्टीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित किया जाएगा।

3.2.12 भौतिक एवं पर्यावरणीय नियंत्रण

भौतिक नियंत्रण आई टी प्रणाली में अनाधिकृत पहुँच और हस्तक्षेप को रोकता है। आग, पानी, भूकम्प, विद्युत शक्ति का उतार–चढ़ाव या विद्युत की कमी के कारण पर्यावरणीय क्षति से इसे बचाना चाहिए।

हमलोगों ने नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों में पाया कि भौतिक एवं पर्यावरणीय नियंत्रण कमजोर था। उदाहरणार्थ, आई टी केन्द्रों पर फायर अलार्म तथा स्वचालित अग्निशामक स्थापित नहीं की गई थी। जिला परिवहन कार्यालय, गया एवं वैशाली के आई टी केन्द्र जीर्ण भवनों में स्थापित थे और भवनों के छत से रिसाव था।

3.2.13 अपूर्ण डाटावेस

अपूर्ण डाटावेस का अर्थ है महत्वपूर्ण सूचनाओं का अभाव, जो प्रणाली की विश्वसनीयता को बुरी तरह प्रभावित करता है।

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत एक वाहन मालिक को अपने वाहन के निबंधन हेतु प्रपत्र– 20 में आवेदित करना होगा। यह प्रपत्र–20 वाहन एवं इसके मालिक से संबंधित सूचनायें रखता है। सात[15] नमूना जाँचित जिला परिवहन कार्यालयों के 3,77,696 वाहनों के आँकड़ों के विश्लेषण में हमने पाया कि प्रविष्ट आँकड़े अपूर्ण थे। महत्वपूर्ण सूचनाओं, जैसे मालिक का नाम, पता, इंजन संख्या, मेक, पैन के साथ–साथ क्यूबिक कैपेसिटी, लैडेन/अनलैडेन भार प्रविष्ट नहीं थे, जैसाकि **परिशिष्ट–XVII** में दर्शाया गया है।

यह सूचित करता है कि सॉफ्टवेयर में महत्त्वपूर्ण सूचनाओं की आरम्भिक प्रविष्टि को अनिवार्य नहीं बनाया गया था और परिणामस्वरुप डाटावेस अपूर्ण रहा। इन महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के अभाव में जैसे इंजन संख्या, चोरी की गई गाड़ियों का निबंधन और एक ही निबंधन संख्या का उपयोग एक से अधिक वाहन में किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस के दौरान तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा कि यह लिगेसी डाटा हस्तांतरण के कारण था। फिर भी इसकी जाँच की जायेगी और सुधारा जाएगा।

3.2.14 एप्लिकेशन नियंत्रण

आँकड़ों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने एवं गलत आँकड़ों को रोकने को आवश्यक बनाने हेतु इनपुट नियंत्रण और इनपुट पर वैधता जाँच महत्वपूर्ण है। पर्याप्त इनपुट और वैधता नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि प्रविष्ट आँकड़ें पूर्ण एवं सही हैं।

[15] भागलपुर, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ एवं वैशाली।

3.2.14.1 इनपुट नियंत्रण

• वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित अल्फान्युमेरिक चेसिस संख्या और इंजन संख्या, मोटर वाहन का अलग पहचान चिन्ह् होता है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली प्रावधित करता है कि कोई व्यक्ति जब अपने वाहन के निबंधन हेतु आवेदन करता है तब आवेदन प्रपत्र में चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या अंकित करेगा।

नौ[16] जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन में निबंधन डाटावेस के नमूना जाँच के दौरान हमलोगों ने सात [17] जिला परिवहन कार्यालयों मे पाया कि 3,77,696 निबंधन अभिलेखों में से 2,015 वाहनों का दोहरा इंजन संख्या था और 3,322 वाहनों में इंजन संख्या और चेसिस संख्या एक ही था जैसाकि **परिशिष्ट–XVIII** में वर्णित है।

दोहरा इंजन संख्या/एक ही इंजन एवं चेसिस संख्या की उपस्थिति यह इंगित करता है कि आरम्भिक प्रविष्टि के समय दोहरा इंजन संख्या/एक ही इंजन और चेसिस संख्या को रोकने में इनपुट नियंत्रण का अभाव था। इस प्रकार आँकड़ों की वैधता जाँच के अभाव में एक ही वाहन का एक से अधिक निबंधन संख्या आवंटित किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

• मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वाहन के निबंधन के लिए आवेदन के साथ वैध बीमा प्रमाण पत्र होना चाहिए।

जिला परिवहन कार्यालय, पटना एवं मुजफ्फरपुर के डाटावेस के विश्लेषण के दौरान हमलोगों ने पाया कि 1,54,579 और 25,472 निबंधन अभिलेखों में से क्रमशः 262 और 12 अभिलेखों में दोहरा बीमा कवर नोट संख्या डाटावेस में दर्ज था। उचित इनपुट नियंत्रण के अभाव में कम्प्यूटर प्रणाली एक ही बीमा कवर नोट संख्या में एक से अधिक वाहनों के निबंधन को रोकने में असमर्थ था। श्रोत अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण हमलोगों द्वारा अभिलेखों का मैनुअल जाँच नहीं किया जा सका।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में तथ्य को स्वीकार किया तथा कहा कि इसकी जाँच की जायेगी और सुधार कर लिया जाएगा।

3.2.14.2 वैधता जाँच

• सात जिला परिवहन कार्यालयों में हमलोगों ने पाया कि 1,370 वाहनों के मामले में 'बैठान क्षमता' से संबंधित क्षेत्र 'मेकर मॉडल' के तद्नुरुपी क्षेत्र के संदर्भ में गलत आँकड़ा प्रदर्शित कर रहा था, जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

क्र0सं0	जिला परिवहन कार्यालयों के नाम	वाहनों की संख्या	मेकर मॉडल	दर्ज बैठान क्षमता
1	भागलपुर	402	ट्रेलर	1
		2	मोटर साईकिल	124–125
		3	ऑटो रिक्शा	399–435
2	गया	199	ट्रेलर	1
3	कटिहार	17	ट्रेलर	1
		1	मोटर साईकिल	110
4	मुजफ्फरपुर	55	ट्रेलर	1
		1	बस	580

16 भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ एवं वैशाली।
17 भागलपुर, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ एवं वैशाली।

5	पटना	97	ट्रेलर	1–750
		5	बस	70–85
		3	ट्रक	74–970
		4	डिलवरी भान	70–415
6	पूर्णियाँ	245	ट्रेलर	1
7	वैशाली	335	ट्रेलर	1
		1	मोटर साईकिल	25
कुल		1,370		

यह दर्शाता है कि बैठान क्षमता क्षेत्र में वैधता जाँच नहीं थी।

- डाटावेस में कर अदायगी की सूचना का क्षेत्र रहता है। पाँच [18] जिला परिवहन कार्यालयों के नमूना जाँच के दौरान हमलोगों ने पाया कि 13 मामलों में 'तिथि से' एवं 'तिथि तक' से संबंधित क्षेत्र, जिसके लिए कर का भुगतान किया गया था, असंगत था, क्योंकि 'तिथि से' एवं 'तिथि तक' कैलेन्डर वर्ष 2016 एवं 2041 के बीच विभिन्न तिथियाँ प्रदर्शित कर रहा था, जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

क्र0 सं0		वाहन निबंधन संख्या	रसीद सं0 / तिथि	कर किस तिथि से	कर किस तिथि तक
1	गया	बी आर 02एम 4468	टी एक्स 3603057 / 10.12.10	18 / 11 / 2025	17 / 11 / 2040
		बी आर 02एम 7821	टी ए 3681703 / 03.05.11	26 / 02 / 2021	25 / 02 / 2031
		बी आर 02एम 6187	टी एक्स 3638758 / 10.02.11	24 / 12 / 2020	23 / 12 / 2030
2	पटना	बी आर 01जीए 8950	ए सी 3624007 / 18.02.11	05 / 08 / 2025	04 / 08 / 2026
		बी आर 01पीए 5716	ओ 3306993 / 29.01.10	31 / 01 / 2024	30 / 01 / 2025
		बी आर 01पीए 6367	एस3394717 / 11.05.10	14 / 07 / 2016	13 / 10 / 2016
3	कटिहार	बी आर 39जी 2816	के ए 3615094 / 25.03.11	28 / 01 / 2026	27 / 01 / 2041
4	पूर्णियाँ	बी आर 11एल0264	पी यू 3261474 / 23.02.11	10 / 02 / 2021	09 / 02 / 2031
5	मुजफ्फरपुर	बी आर 06जीए 0198	एम टी 3675153 / 27.05.11	20 / 05 / 2021	19 / 05 / 2031
		बी आर 06जीए 0204	एम टी 3685287 / 06.06.11	20 / 05 / 2021	19 / 05 / 2031
		बी आर 06जीए 0169	एम टी 3685786 / 08.06.11	14 / 05 / 2021	13 / 05 / 2031
		बी आर 06जीए 0170	एम टी 3685787 / 08.06.11	14 / 05 / 2021	13 / 05 / 2031
		बी आर 06जीए 0250	एम टी 3687718 / 18.06.11	25 / 05 / 2021	24 / 05 / 2031

यह अपर्याप्त वैधता जाँच को दर्शाता था, जिसके परिणामस्वरूप कर संग्रहण में चूक और गलत एम आई एस प्रतिवेदन का सृजन हो सकता है।

- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 40 प्रावधित करता है कि प्रत्येक मोटर वाहन मालिक उस निबंधन प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में, जहाँ इनका आवास है अथवा व्यवसाय के स्थान पर जहाँ साधारणतया गाड़ी रखी जाती है, वाहन का निबंधन करायेंगे। पुनः इस अधिनियम की धारा 46 प्रावधित करता है कि मोटर वाहन का किसी भी राज्य में निबंधन होने पर भारत में किसी अन्य जगह निबंधन की आवश्यकता नहीं होगा और इस वाहन के संबंध में निर्गत निबंधन प्रमाणपत्र सम्पूर्ण भारत के लिए प्रभावी होगा। जिला परिवहन कार्यालय, पटना एवं मुजफ्फरपुर के वाहन सॉफ्टवेयर के 'ऑनर टेबुल' की तिर्यक जाँच में हमलोगों ने पाया कि जो वाहन मुजफ्फरपुर में निबंधित थे

[18] गया (3), कटिहार (1), मुजफ्फरपुर (5), पटना (3) और पूर्णियाँ (1)।

और उनका निबंधन संख्या आवंटित था, जिला परिवहन कार्यालय, पटना द्वारा रखे गये डाटावेस में भी पाया गया। यद्यपि इन मामलों में चेसिस/ इंजन संख्या भिन्न था, जैसा कि निम्न सारणी में वर्णित है:

क्र0सं0	वाहन निबंधन संख्या	जिला	निबंधन की तिथि	इंजिन संख्या चेसिस संख्या	मेकर मॉडल	अभियुक्ति
1	बी आर 06 जी 7069	पटना	09.08.1996	एफ एक्स इ 252441 एफ एक्स जी 033261	ट्रक	इसी निबंधन संख्या का वाहन जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर के डाटावेस में भी मौजूद था (क्र0 सं0–2)
2	बी आर 06 जी 7069	मुजफ्फरपुर	08.07.2010	497टी94एनओजेड847557 एमएटी38213198एन33515	दूध टैंकर	जिला परिवहन कार्यालय, पटना में वाहन (क्र0 सं0–1) को आवंटित करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फपपुर द्वारा एन ओ सी देने के बाद पुनः वही निबंधन संख्या दूसरे वाहन को आवंटित किया गया था।
3	बी आर 06 जी 7851	पटना	30.01.1999	697डी22इआरक्यू112575 373011इआरक्यू109136	ट्रक	इसी निबंधन संख्या का वाहन जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर के डाटावेस में भी मौजूद था (क्र0 सं0–4)
4	बी आर 06 जी 7851	मुजफ्फरपुर	07.10.2010	सी13326 06123028	ट्रैक्टर	इसी निबंधन सांख्या का वाहन जिला परिवहन कार्यालय, पटना के डाटावेस में भी मौजूद था (क्र0 सं0–3)
5	बी आर 06 जी 9130	पटना	17.02.1989	ए एल इ एल 71864 ए एल इ एल 199688	ट्रक	इसी निबंधन संख्या का वाहन जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर के डाटावेस में भी मौजूद था (क्र0 सं0–6)
6	बी आर 06 जी 9130	मुजफ्फरपुर	14.02.2011	सी73081 04140384	ट्रैक्टर	जिला परिवहन कार्यालय, पटना के अन्तर्गत वाहन को आवंटित करने के लिए (क्र0 सं0–5), जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा एन ओ सी देने के बाद पुनः वही निबंधन संख्या दूसरे वाहन को आवंटित किया गया था।
7	बी आर 06 जी 7852	मुजफ्फरपुर	07.10.2010	सी 69303 04135353	ट्रक	जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में एक ही निबंधन संख्या के दो वाहन, जिनका इंजन संख्या एवं चेसिस संख्या भिन्न–भिन्न था, निक्ट्रान एवं वाहन सॉफ्टवेयर, दोनों में दर्शाया गया था।
8	बी आर 06 जी 7852	मुजफ्फरपुर	09.10.2009	497टीसी94एफक्यूजेड823047 एमएटी 38213198एफए442	ट्रक	

अतः, विशिष्ट निबंधन संख्या के सुसंगत विशिष्ट चेसिस और इंजन संख्या के आवंटन हेतु वैधता जाँच को सुनिश्चित नहीं किया गया था। फलस्वरूप एक ही निबंधन संख्या वाले वाहनों का भिन्न– भिन्न स्थानों पर परिचालन, न सिर्फ नियमों के विपरीत था, बल्कि एक गम्भीर सुरक्षा का मामला भी था।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि ट्रेलर के मामले में बैठान क्षमता '0' के रूप में कम्प्यूटर प्रणाली स्वीकार नहीं कर रहा था। दो वाहनों का एक ही निबंधन संख्या के साथ परिचालन के संबंध में इनका मत था कि यह एक गम्भीर मामला है और कार्रवाई की जाएगी।

सरकार/विभाग, इनपुट नियंत्रण और वैधता जाँच में त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाए जिससे कि राष्ट्रीय पंजी के लिए विश्वसनीय डाटावेस तैयार किया जा सके।

3.2.14.3 जिला परिवहन कार्यालयों के बीच सम्बद्धता

राज्य सरकार के ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) परियोजना के तहत् इंटरनेट पर मॉडम के माध्यम से सभी जिला परिवहन कार्यालयों के बीच सम्बद्धता बनाने की योजना थी।

जिला परिवहन कार्यालय से राज्य पंजी में डाटा को ले जाने के लिए जिला परिवहन कार्यालयों को एन आई सी, पटना स्थित डाटा केन्द्र से जोड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रत्येक जिला परिवहन कार्यालय और राज्य पंजी/राष्ट्रीय पंजी के बीच आँकड़ों के अन्तरण को समर्थन देने हेतु पर्याप्त बैंडविड्थ का उपयुक्त और सुरक्षित नेटवर्क अन्तः संरचना होना चाहिए।

दो जिला परिवहन कार्यालयों में एक ही निबंधन संख्या का होना (उपर्युक्त सारणी में दर्शाए गए) स्पष्टतः सूचित करता है कि जिला परिवहन कार्यालयों के बीच सम्बद्धता नहीं है।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि जिला परिवहन कार्यालयों के बीच सम्बद्धता नहीं थी। यद्यपि सभी जिला परिवहन कार्यालय राज्य डाटा केन्द्र से जुड़ा हुआ है।

3.2.15 व्यापार नियमों का समावेश नहीं/विलम्ब से किया जाना

3.2.15.1 एक मुश्त कर टोकन का अनुचित सृजन

बिहार वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधित मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की अनुसूची भाग–I के अनुसार सभी तीन पहिया वाहन जिनकी बैठान क्षमता चार व्यक्ति से अधिक नहीं हो (चालक को छोड़कर) निबंधन के समय ही एक मुश्त कर ₹ 5,000 आरोप्य है। प्रथम निबंधन से दस वर्षों तक यह एक मुश्त कर वैध है।

जिला परिवहन कार्यालय, पटना तथा वैशाली में हमलोगों ने पाया कि वाहन सॉफ्टवेयर, तीन पहिया वाहन के लिए एक मुश्त कर ₹ 5,000 के बदले ₹ 7,500 का माँग स्वतः सृजित कर रहा था। यह सूचित करता है कि अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों को प्रणाली में सही रुप से समावेशित नहीं किया गया था।

3.2.15.2 एक मुश्त कर की कम वसूली

बिहार वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत व्यक्तिगत वाहनों के निबंधन के समय वाहन के पूर्ण जीवन काल

के लिए बिक्री कर को छोड़कर वाहन के क्रय मूल्य पर पाँच प्रतिशत की दर (1 अप्रैल 2011 से प्रभावी) से एक मुश्त कर आरोप्य होगा।

चार[19] जिला परिवहन कार्यालयों के डाटा विश्लेषण के दौरान हमलोगों ने पाया कि 1 अप्रैल 2011 और 4 जुलाई 2011 के बीच निबंधित 2,888 वाहनों के मामले में पूर्व संशोधित दर, जो तीन प्रतिशत थी, पर कर की गणना की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 95.94 लाख का एक मुश्त कर कम आरोपित किया गया जैसा कि निम्न सारणी में वर्णित किया गया है:

(राशि ₹ में)

कार्यालयों के नाम	निबंधित वाहनों की संख्या	भुगतेय राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
भागलपुर	1,556	68,27,072	44,38,749	23,88,323
गया	10	88,427	54,820	33,607
पटना	619	1,33,73,431	81,00,709	52,72,722
वैशाली	703	50,61,433	31,62,310	18,99,123
कुल	**2,888**	**2,53,50,363**	**1,57,56,588**	**95,93,775**

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस के दौरान तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि सॉफ्टवेयर में सुधार कर लिया जाएगा और कम संग्रहित राजस्व की वसूली की जाएगी।

3.2.15.3 पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर की गलत गणना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 7 (3) के अन्तर्गत व्यक्तिगत वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों के मामले में कर का भुगतान तिमाही में देय कर की वार्षिक दर पर एक अथवा अधिक त्रैमास अवधि हेतु किया जाये। पुनः अधिनियम की धारा 5 (1) और 5 (2) जैसा कि विहित है, प्रावधित करता है कि निबंधित मोटर वाहन के प्रत्येक मालिक अनुसूची–I में विर्निदिष्ट दर पर कर और अनुसूची–II में विर्निदिष्ट अतिरिक्त कर का भुगतान करेगा।

जिला परिवहन कार्यालय, गया और पटना के डाटा विश्लेषण के दौरान हमलोगों ने पाया कि सॉफ्टवेयर द्वारा कर का सृजन, स्थापित व्यवसायिक नियमानुसार नहीं किया गया था। यह सूचित करता है कि प्रणाली में उपरोक्त व्यवसायिक नियम सही रूप से समावेशित नहीं थे।

3.2.15.4 वाहनों के श्रेणी का अपर्याप्त कोडिंग

- बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 7 (3), समय–समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत सभी प्रकार के परिवहन वाहन (मालवाहक एवं मोटर कैब को छोड़कर) पर मोटर वाहन कर और अतिरिक्त कर की गणना वाहन के व्हील वेस पर आधारित यात्रियों के बैठने की क्षमता पर की जाएगी। राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्गत (सितम्बर 2000) निदेश के अनुसार साधारण बस जिसका व्हील वेस 205 ईंच (5195 एमएम) है, को 53 बैठने की क्षमता के आधार पर निबंधित किया जाना था। इस श्रेणी के वाहन का कोड 73 निश्चित किया गया था। जिला परिवहन कार्यालय, पटना और मुजफ्फरपुर में वाहन के श्रेणी 73 (बस) के आँकड़ों का विश्लेषण में हमलोगों ने पाया कि 59 बसें, 36 और 52 बैठने की क्षमता के साथ निबंधित थी जबकि इन वाहनों का व्हील वेस 205 ईंच था। इस चूक से कर की कम वसूली हो सकती है।

[19] भागलपुर, गया, पटना और वैशाली।

- वाहन सॉफ्टवेयर, प्रत्येक श्रेणी के वाहन के लिए विशिष्ट कोड निर्धारित करता है और उनको अन्य महत्त्वपूर्ण मानदण्ड जैसे कर, रोड परमिट की स्वीकृति आदि से जोड़ना था। हमलोगों ने पाया कि जिला परिवहन कार्यालय, कटिहार के तीन मामलों एवं जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ के एक मामले में इनपुट नियंत्रण के अभाव के कारण प्रणाली ने वाहन श्रेणी 1 (मोपेड) का आवंटन वाहन श्रेणी 3 (मोटर साईकिल) में किया गया था। पुनः पूर्णियाँ के दो मामलों में वाहन श्रेणी 106 (ट्रक) बस (बस वाहन के लिए 73 कोड है) को आवंटित किया गया था। किसी खास श्रेणी के वाहन का कोड किसी दूसरे श्रेणी को आवंटित किया जाना यह इंगित करता है कि डाटावेस में आँकड़ों की प्रविष्टि पूर्ण एवं सही नहीं थी।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि इसे सुधारा जाएगा।

3.2.15.5 योग्यता प्रमाणपत्र

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 यह प्रावधित करता है कि एक परिवहन वाहन वैध निबंधित तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसे योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 62 के अनुसार एक परिवहन वाहन को दो/एक वर्ष के लिए, जैसा भी मामला हो, योग्यता प्रमाणपत्र निर्गत/नवीकरण किया जाता है।

जिला परिवहन कार्यालय, पटना और मुजफ्फरपुर में हमलोगों ने पाया कि परिवहन वाहनों के 36 मामलों में योग्यता जाँच की तिथि के पूर्व ही निबंधन की तिथि थी। पुनः चार [20] जिला परिवहन कार्यालयों में हमलोगों ने पाया कि 404 वाहनों के मामले में योग्यता प्रमाणपत्र एवं निबंधन प्रमाणपत्र में चेसिस संख्या अलग–अलग था। जिला परिवहन कार्यालय, पटना के पाँच मामलों में योग्यता प्रमाणपत्र नवीकरण की वैधता दो से तीन वर्ष थी जबकि भागलपुर के एक मामले में नये परिवहन वाहन का योग्यता प्रमाणपत्र मात्र एक वर्ष के लिए जारी किया गया था। यह इंगित करता है कि उपरोक्त व्यावसायिक नियम सही रूप से समावेशित नहीं किये गये थे।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि वाहनों का कम्प्यूटरीकृत जाँच हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों को निदेशित किया जायेगा और इसे डाटावेस से जोड़ा जाएगा।

[20] भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और वैशाली।

3.2.15.6 ड्राइभिंग लाइसेंस के निर्गमन हेतु अनुचित फीस प्रभारित किया जाना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 14 के साथ पठित नियम 32 के अनुसार प्रपत्र–7 में ड्राइभिंग लाइसेंस के निर्गमन के लिए कम्प्यूटरीकृत चीप की लागत सहित ₹ 200 का शुल्क प्रभारित किया जायेगा। पुनः यह अनुबंधित करता है कि वाहन चलाने हेतु सक्षमता जाँच हेतु ₹ 50 प्रभारित होगा। बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना (अक्तूबर 1996) के अनुसार इस प्रकार के जाँच के लिए ₹ 50 का अधिभार भी प्रभारित किया जाएगा।

हमलोगों ने नौ [21] जिला परिवहन कार्यालयों के सारथी सॉफ्टवेयर के आँकड़ों के विश्लेषण में पाया कि लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा प्रपत्र–7 में सभी ड्राइभिंग लाइसेंस आवेदकों को ₹ 40 और ₹ 80 की अतिरिक्त राशि प्रभारित कर निर्गत किया गया था जो निम्नवत् वर्णित है:

(राशि ₹ में)

उद्देश्य	प्रभार्य राशि	प्रभारित राशि
ड्राइभिंग लाइसेंस का निर्गमन	200	200
प्रत्येक श्रेणी हेतु वाहन चलाने की सक्षमता जाँच हेतु	50+50 (अधिभार)	100
ड्राइभिंग लाइसेंस शुल्क (मुजफ्फरपुर के अलावे अन्य नमूना जाँचित जिले)	कोई शुल्क विहित नहीं	वाहनों के दो विभिन्न श्रेणियों[22] के लिए–40 एक श्रेणी के लिए– 40
ड्राइभिंग लाइसेंस शुल्क (मुजफ्फरपुर)	कोई शुल्क विहित नहीं	वाहनों के दो विभिन्न श्रेणियों के लिए– 80 एक श्रेणी के लिए– 40

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में तथ्य को स्वीकार किया।

3.2.16 अन्य रोचक बिन्दुएँ

3.2.16.1 चोरी की वाहनों की आँकड़ों में त्रुटि

जिला परिवहन कार्यालयों को प्रतिवेदित चोरी की वाहनों का एक डाटावेस रखना आवश्यक है ताकि इन वाहनों का लेन–देन तब तक रोका जा सके जब तक कि इसके वैध मालिक द्वारा दावा प्रस्तुत न किया जाये।

'इनभैलिड चेसिस नम्बर' के रुप में प्रदर्शित त्रुटि के कारण जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में चोरी की वाहनों का डाटावेस संधारित नहीं था। अतः पुलिस विभाग द्वारा प्रतिवेदित चोरी की वाहनों का विवरण की प्रविष्टि डाटावेस में नहीं थी। पुनः, जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली में पुलिस विभाग के आँकड़ों के संदर्भ में चोरी की वाहनों का डाटावेस अद्यतित नहीं था। इस प्रकार, चोरी की वाहनों की लेन–देन की अनुमति दिये जाने का खतरा था।

21 भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ और वैशाली।

22 वाहनों की श्रेणीः मोटर साईकिल बिना गेयर के, मोटर साईकिल गेयर के साथ, हल्के मोटर वाहन, इनभैलिड कैरेज, मध्यम माल वाहन, मध्यम यात्री वाहन, भारी माल वाहन एवं भारी यात्री मोटर वाहन।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि एन आई सी के मदद से इसे सुधारा जाएगा।

3.2.16.2 निबंधन प्रमाण पत्र में वाहन मालिक के पहचान साक्ष्य का अभाव

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 48 के अनुसार निबंधन प्रमाण पत्र (इलेक्ट्रोनिक माध्यम में स्मार्ट कार्ड के रूप में) वाहन मालिक को प्रपत्र 23 क (स्मार्ट कार्ड) में निर्गत किया जाता है।

नमूना जाँच के दौरान हमलोगों ने पाया कि इन स्मार्ट कार्ड में वाहन मालिक का पहचान साक्ष्य, जैसे कि नमूना हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान और फोटोग्राफ नहीं था, जबकि प्रपत्र 23 (मैनुअल) में निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र में वाहन मालिक का नमूना हस्ताक्षर का प्रावधान था। स्मार्ट कार्ड में वाहन मालिक के पहचान साक्ष्य के अभाव में निबंधन प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारियों द्वारा निबंधन प्रमाण पत्र से मालिक के पहचान की सत्यता की जाँच करना कठिन था।

3.2.16.3 दैनिक प्राप्ति प्रतिवेदन के सृजन में अशुद्धि

जिला परिवहन कार्यालय, गया के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमलोगों ने पाया कि वाहन सॉफ्टवेयर द्वारा सृजित दैनिक प्राप्ति प्रतिवेदन में, अर्थदण्ड दो बार संगणित की गयी थी, एक बार कर कॉलम में कर के साथ और पुनः एक अलग कॉलम में भी। इस प्रकार, वास्तविक संग्रहित राशि और सृजित प्रतिवेदन में दर्शायी गई राशि में अन्तर थी।

पुनः प्रणाली, निबंधन शुल्क संग्रहण काउन्टर और कर संग्रहण काउन्टर की प्राप्तियों का समेकित प्रतिवेदन सृजित कर रहा था। अतः काउन्टर–वार संग्रहण प्रतिवेदन को अलग से निर्धारित नहीं किया गया था।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में कहा कि एन आई सी के मदद से इसे सुधारा जाएगा।

3.2.17 कर्मियों के प्रशिक्षण का अभाव

बिहार सरकार एवं भारत सरकार के बीच सहमति पत्र के अनुसार आवश्यक राज्य कर्मियों को कम्प्यूटर प्रयोग तथा एप्लिकेशन के प्रशिक्षण हेतु एन आई सी द्वारा निःशुल्क व्यवस्था किया जाना था। जहाँ तक संभव हो, प्रशिक्षण एन आई सी के क्षेत्रीय/राज्य/जिला कम्प्यूटर केन्द्रों पर दिया जाना था।

हमलोगों ने पाया कि जिला परिवहन कार्यालय, पटना द्वारा परिवहन विभाग के कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए एन आई सी को ₹ 5.27 लाख का भुगतान किया गया (जून 2008) जबकि सहमति पत्र के आधार पर राज्य कर्मियों को प्रशिक्षण एन आई सी द्वारा निःशुल्क दिया जाना था। फिर भी परिवहन विभाग के कर्मियों को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद विभाग ने एक्जिट कन्फरेंस में कहा कि कर्मियों की कौशलता को सुधारने और सुदृढ करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

3.2.18 निष्कर्ष

वाहनों के निबंधन एवं कराधान के प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। वाहन और सारथी सॉफ्टवेयर में लिगेसी डाटा सफलतापूर्वक एकीकृत नहीं किया गया था, जिसके कारण राज्य पंजी और राष्ट्रीय पंजी बनाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। आई टी सुरक्षा नीति अपर्याप्त थी और आँकड़ों का दुरुपयोग/हेरा

फेरी अथवा अनाधिकृत रूप से जोड़ने/विलोपित करने हेतु सूचना प्रणाली को सुभेद्य बनाया। सॉफ्टवेयर में वैधता जाँच अपर्याप्त थे। आँकड़ों की सत्यता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु नियंत्रण पर्याप्त नहीं थे। प्रणाली में व्यावसायिक नियम भी सही ढंग से समावेशित नहीं किये गये थे। विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकरण का समग्र उद्देश्य पूर्ण रुप से प्राप्त किया जाना अभी बाकी था, क्योंकि कई कार्यों को मैनुअली ही निस्तारित किया जा रहा था। लगभग सभी चयनित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों से प्राप्त उत्तर से हमें प्रतीत होता है कि विभाग वेसिक/ कोर कार्यों के लिए भी एन आई सी पर पूर्णतः निर्भर था तथा आत्मनिर्भर होने से काफी दूर था।

3.2.19 अनुशंसाओं का सार

विभाग निम्नलिखित अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर विचार कर सकती है:

- **प्रणाली में पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित होना चाहिए ताकि नीतियों में परिवर्तन होने पर अथवा कर के दरों या शुल्क में कोई संशोधन होने पर सॉफ्टवेयर को अद्यतित करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा पूर्ण एवं विश्वसनीय डाटावेस रखा जा सके।**
- **उपयोगकर्त्ता प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रणाली में पहुँच को प्रतिबंधित किया जाए।**

3.3 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि निम्न का आरोपण एवं भुगतान हो:

- *वाहन मालिकों द्वारा उचित दरों पर मोटर वाहन कर/अतिरिक्त कर;*
- *निर्धारित अवधि के अन्दर तथा अग्रिम में कर/अतिरिक्त कर; तथा*
- *यदि 90 दिनों के अन्दर कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कर के दुगना तक अर्थदण्ड।*

कुछ मामलों में, जैसा कि कंडिकायें 3.4 से 3.8 में वर्णित है, अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 16.85 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि हुई ।

3.4 मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना

बत्तीस[23] जिला परिवहन कार्यालय

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 5 एवं 9 के अंतर्गत मोटर वाहन कर का भुगतान उस करारोपण पदाधिकारी को किया जाना है, जिनके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित हुआ है। आवास/व्यवसाय में परिवर्तन होने के मामले में वाहन मालिक पूर्व के करारोपण पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर नये करारोपण पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। पुनः करारोपण पदाधिकारी वाहन मालिक को कर के भुगतान से छूट दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा विहित शर्तों को पूरा कर लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को समय पर करों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु माँग पत्र निर्गत करना आवश्यक है।

कर का भुगतान 90 दिनों से भी अधिक समय तक नहीं किये जाने पर बकाया कर के 200 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड लगाया जाना है। बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत, यदि कर या अर्थदण्ड या दोनों का भुगतान इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया है, तब पदाधिकारी, जो मोटर वाहन निरीक्षक स्तर के नीचे का न हो या राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विशेष रुप से अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी मोटर वाहन को जब्त कर सकता है तथा करों के भुगतान होने तक इसे रोक कर रख सकता है।

हमने पाया कि सरकार/विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कराधान पंजी की आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र स्थापित नही किया था तथा चूककर्त्ता वाहन मालिकों को निर्गत की जाने वाली माँग पत्र हेतु समय सीमा भी विहित नहीं थी।

अप्रैल 2010 तथा मार्च 2011 के बीच कराधान पंजियों एवं कम्प्यूटरीकृत डाटावेस की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि 1,025 परिवहन वाहन मालिकों ने अप्रैल 2001 एवं दिसम्बर 2010 के बीच की अवधि से

[23] आरा, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, बेतिया, बक्सर, छपरा, जमुई, जहानाबाद, कैमूर (भभुआ), कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, सासाराम, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल एवं वैशाली (कराधान पंजी), भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ (कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस)।

संबंधित ₹ 5.34 करोड़ के कर का भुगतान नियत तिथियों के अन्दर नहीं किया, फिर भी, जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो चूककर्त्ता वाहनों को जब्त किया और न ही चूककर्त्ता वाहन मालिकों से बकाये की वसूली हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ की। कर के भुगतान से छूट पाने के लिए दस्तावेजों के अभ्यर्पण या मालिकों के पता में परिवर्तन का कोई भी मामला अभिलेख में नहीं पाया गया। जिसके परिणामस्वरुप अर्थदण्ड ₹10.68 करोड़ सहित ₹ 16.02 करोड़ के कर की वसूली नहीं की गई **(परिशिष्ट– XIX)**।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) ने मई 2010 में बताया कि चूककर्त्ता वाहन मालिकों के विरुद्ध नीलामवाद मामले प्रारम्भ की जाएगी जबकि शेष संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अप्रैल 2010 एवं मार्च 2011 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा। हमलोग मामले में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

3.5 अभ्यर्पण में सन्निहित मोटर वाहनों से कर की वसूली नहीं किया जाना

पाँच[24] जिला परिवहन कार्यालय

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994 की धारा 17(1) एवं 19 तथा इसके अधीन बने नियमों के तहत् जब कोई मोटर वाहन मालिक, एक माह से अधिक लेकिन एक बार में अधिकतम छः माह की अवधि के लिए अपने वाहन का उपयोग नहीं करने का इरादा रखता हो, तब उसे वाहन का उपयोग नहीं किए जाने वाली अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर के भुगतान करने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते की छूट का दावा प्रलेखों को अभ्यर्पण कर दिये जाने के साक्ष्यों से समर्थित हो। उपरोक्त अवधि के विस्तार, यदि कोई हो, के लिए वाहन मालिक को समय–समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी के समक्ष वचन–पत्र प्रस्तुत करना होगा। करारोपण पदाधिकारी को ऐसे मामलों में महीने में कम–से–कम एक बार वाहन के पार्किंग–स्थल का औचक भौतिक सत्यापन करना है और वाहन के अभिलेख में इस निरीक्षण ज्ञापन को दर्ज करना है। यदि वचन–पत्र में उल्लेखित अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि वाहन का उपयोग किया गया है अथवा वाहन को वचन–पत्र में उल्लेखित स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर रखा गया है, तो ऐसा वाहन इस अधिनियम के उद्देश्य से, उक्त सम्पूर्ण अवधि में बिना कर भुगतान किए, उपयोग में लाया गया माना जाएगा। तदनुसार ऐसे मामलों में अर्थदण्ड सहित कर आरोप्य है।

हमने जून 2010 तथा मार्च 2011 के बीच कराधान पंजियों तथा अभ्यर्पण पंजियों के नमूना जाँच के दौरान पाया कि 12 वाहनों के अभ्यर्पण की अनियमित स्वीकृति दी गई। जिसके परिणामस्वरुप अर्थदण्ड ₹ 23.83 लाख सहित ₹ 35.74 लाख के कर की वसूली नहीं की गयी जिसका उल्लेख नीचे सारणी में दिया गया है:

[24] गया, लखीसराय, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ

(₹ लाख में)

क्रम सं0	जिला परिवहन कार्यालयों के नाम	वाहनों की सं0	अवधि जिसमें कर का भुगतान नहीं किया गया था	अनियमितताएँ	कर–प्रभाव		
					कर	अर्थदण्ड	कुल
1.	गया एवं मोतिहारी	03	अक्तूबर 2002 से नवम्बर 2010 के बीच	अद्यतन कर के भुगतान के बगैर अनियमित रूप से अभ्यर्पण स्वीकार किया गया था।	6.55	13.10	19.65
2.	गया, लखीसराय एवं पूर्णियाँ	05	फरवरी 2008 से नवम्बर 2010 के बीच	अधिनियम के अनुसार समुचित अभिलेखों के बगैर आरम्भिक अभ्यर्पण स्वीकार किया गया था।	2.68	5.37	8.05
3.	मुजफ्फरपुर	04	अगस्त 2006 से सितम्बर 2010 तक	बगैर नये वचन–पत्र के छः माह से अधिक तक अभ्यर्पित वाहनों से संबंधित कर की वसूली हेतु विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया था।	2.68	5.36	8.04
कुल					11.91	23.83	35.74

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ ने फरवरी एवं मार्च 2011 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा जबकि शेष संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जून 2010 एवं मार्च 2011 के बीच कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी। हमलोग आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे, उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

3.6 परिवहन वाहन ड्राईभिंग लाइसेंस का अनियमित निर्गमन

पाँच[25] जिला परिवहन कार्यालय

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 9 के तहत् लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी ऐसी श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए ड्राईभिंग लाइसेंस वैसे आवेदक को प्रदान करेंगें जिसके पास उस श्रेणी का लर्नर्स लाइसेंस हो और उसने वाहन को चलाने के लिए सक्षमता जाँच उर्त्तीण की हो। पुनः, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 10 के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर्स लाइसेंस तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास कम से कम एक वर्ष के लिए हल्के मोटर वाहन को चलाने का लाइसेंस न हो।

हमने मार्च 2010 और मार्च 2011 के बीच परिवहन वाहन ड्राईभिंग लाइसेंस पंजियों की नमूना जाँच के दौरान पाया कि वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान 10,530 परिवहन वाहन ड्राईभिंग लाइसेंस वैसे आवेदकों को स्वीकृत किये गये थे, जिनके पास हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था। इस भूल से न केवल अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ बल्कि इसमें सड़क सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल थे। इसके फलस्वरुप ड्राईभिंग लाइसेंस प्रदान करने हेतु फीस के रूप में ₹ 22.11 लाख के सरकारी

[25] बांका, छपरा, गया, कटिहार एवं नवादा।

राजस्व की हानि हुई।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार ने अगस्त 2010 में कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा और इस राशि की वसूली लाइसेंस के नवीकरण के समय कर ली जायेगी, जबकि शेष जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कहा कि बकायों की वसूली हेतु कार्रवाई की जायेगी। हमलोग आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे, उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

3.7 मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर का नहीं/कम वसूली

चौदह[26] जिला परिवहन कार्यालय

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 6 तथा उसके तहत् बने नियमों के अंतर्गत मोटर वाहन के निर्माता या व्यवसायी को अपने व्यापार के क्रम में अपने अधिकार में रखे गये मोटर वाहनों के लिए एक व्यवसायी/निर्माता के रुप में, करों का निर्धारित वार्षिक दर पर भुगतान करना होगा। नियत तिथि के भीतर करों का भुगतान नहीं करने पर बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित धारा 23, जैसाकि विहित है, के तहत् वर्णित प्रावधान के अनुसार बकाये करों के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है। पुनः, राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को करों की वसूली और व्यापार प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया।

हमने मार्च 2010 और मार्च 2011 के बीच मोटर वाहन के निर्माताओं/ व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न और निबंधन पँजियों के नमूना जाँच में पाया कि मोटर वाहनों के 73 व्यवसायियों ने जनवरी 2004 से जून 2010 की अवधि के बीच अपने अधिकार में रखे गये 33,507 वाहनों (30,320 दो पहिया और 3,187 तीन/चार पहियों वाली) से संबंधित व्यापार कर या तो विहित दर पर जमा नहीं किया अथवा कम जमा किया। यद्यपि जिला परिवहन पदाधिकारियों को व्यापार कर की वसूली के लिए मोटर वाहन के निर्माताओं/ व्यवसायियों के भंडार पँजियों की जाँच करना आवश्यक था, लेकिन ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे यह पता लगे कि उन अभिलेखों की जाँच की गयी थी। इसके फलस्वरुप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 19.23 लाख के व्यापार कर की वसूली नहीं/कम हुई।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी, आरा ने फरवरी 2011 में कहा कि व्यापार कर की वसूली के लिए माँग पत्र निर्गत किया जाएगा जबकि शेष जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मार्च 2010 और मार्च 2011 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा और नियमानुसार वसूली हेतु कार्रवाई की जायेगी। हमलोग उन मामलों, जिसमें माँग पत्र निर्गत किया गया था, में वसूली पर प्रतिवेदन तथा शेष मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

[26] आरा, बेगुसराय, भागलपुर, छपरा, गया, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, पटना, पूर्णियाँ, समस्तीपुर और सासाराम।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

3.8 अतिरिक्त कर और हरित कर का नहीं/कम वसूली

पाँच[27] जिला परिवहन कार्यालय

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 5 एवं 7 के तहत् प्रत्येक निबंधित मोटर वाहन के मालिक को अनुसूची में निर्धारित दर से कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन पर कर का भुगतान करना है। बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 6 के अर्न्तगत जैसाकि प्रावधित है, करारोपण पदाधिकारी स्वंय को संतुष्ट करते हुए कि भुगतान की गयी कर की राशि, भुगतेय कर की राशि के बराबर है, कर की भुगतान को स्वीकार करेगा और रसीद के साथ टैक्स टोकन निर्गत करेगा।

पुनः, संशोधित बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 5(6) (जैसाकि 9 अप्रैल 2010 से लागू बिहार वित अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधित है) तीन पहिया, ट्रैक्टर एवं ट्रेलर को छोड़कर 12 वर्ष से अधिक पुराने प्रत्येक निबंधित परिवहन मोटर वाहन मालिक द्वारा अतिरिक्त कर के साथ भुगतेय कर के 10 प्रतिशत के दर पर हरित कर भुगतेय होगा। इसके अलावे, अतिरिक्त मोटर वाहन कर पर छूट की अनुमति के प्रावधान को भी कथित संशोधन द्वारा वापस ले लिया गया है। नियत तिथि के अन्दर कर के भुगतान नहीं किये जाने पर बकाये कर का 25 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक का अर्थदण्ड प्रभावित होता है जैसाकि उपर्युक्त बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित धारा 23 के तहत् प्रावधित किया गया है।

हमने अगस्त 2010 तथा मार्च 2011 के बीच कराधान पंजियों एवं कम्प्यूटरीकृत डाटावेस की नमूना जाँच के दौरान पाया कि 193 परिवहन वाहन मालिकों ने मई एवं सितम्बर 2010 के बीच की अवधि से संबंधित ₹ 84,000 के हरित कर का भुगतान नहीं किया था जबकि वाहन 12 वर्ष पुरानी थी। पुनः, संशोधित अधिनियम के विपरीत ₹ 1.36 लाख का अतिरिक्त कर का भी छूट दिया गया था। इन सभी मामलों में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने बकाये हरित कर की वसूली सुनिश्चित किये बिना अनियमित रूप से टैक्स टोकन निर्गत किया तथा अतिरिक्त कर पर छूट भी दिया। इसके फलस्वरुप ₹ 4.41 लाख के आरोपित अर्थदण्ड सहित ₹ 6.62 लाख के हरित कर एवं अतिरिक्त कर नहीं/कम वसूल किये गये।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अगस्त 2010 तथा मार्च 2011 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा। हमलोग आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

[27] छपरा, कटिहार, मधेपुरा, सासाराम (कराधान पंजी) एवं पटना (कम्प्यूटरीकृत डाटावेस) ।

अध्याय IV

अन्य कर प्राप्तियाँ

कार्यपालक सारांश

कर संग्रहण में वृद्धि	वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान राज्य की कुल प्राप्ति की तुलना में राज्य उत्पाद प्राप्ति की प्रतिशतता में 9.47 प्रतिशत से 15.43 प्रतिशत की निरन्तर वृद्धि हुई, जबकि उपरोक्त अवधि के दौरान मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस से प्राप्तियों की प्रतिशतता, बजट आकलन की तुलना में (–) 35 प्रतिशत से (+) 33.05 प्रतिशत के बीच था, जो अवास्तविक बजट तैयार किये जाने को दर्शाता है।
विभाग द्वारा हमलोगों के पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए अवलोकनों से संबंधित काफी कम वसूली	वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि के दौरान हमलोगों ने राज्य उत्पाद से संबंधित 6,500 मामलों में ₹ 1,141.77 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कम आरोपण/आरोपण नहीं किए जाने, कम वसूली/वसूली नहीं किये जाने, राजस्व की हानि इत्यादि इंगित किए। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 387.11 करोड़ से सन्निहित 540 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया। ₹ 387.11 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामलों के विरुद्ध ₹ 0.23 करोड़ की नगण्य वसूली (0.06 प्रतिशत), सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की तत्परता में अभाव को संसूचित करता है। वर्ष 2007–08 से 2009–10 की अवधि के दौरान हमलोगों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से निबंधन विभाग से संबंधित 184 मामलों में ₹ 40.47 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कम आरोपण/आरोपण नहीं किए जाने, कम वसूली/वसूली नहीं किये जाने, सरकारी राजस्व का अवरुद्ध रहना इत्यादि इंगित किए। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 37.03 करोड़ से सन्निहित 185 मामलों, जिनमें पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये मामले भी शामिल हैं, में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा ₹ 3.16 लाख की वसूली की। ₹ 37.03 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामलों के विरुद्ध ₹ 3.16 लाख की नगण्य वसूली (0.09 प्रतिशत), सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की तत्परता में अभाव को संसूचित करता है।
वर्ष 2010–11 में हमलोगों द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम	वर्ष 2010–11 में हमलोगों ने राज्य उत्पाद से संबंधित 38 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 131.62 करोड़ से सन्निहित 95 मामलों में राजस्व की नहीं/कम वसूली, हानि एवं अन्य त्रुटियाँ पाया, जबकि मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस से संबंधित 30 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान ₹ 3.02 करोड़ से सन्निहित 38 मामलों में राजस्व की नहीं/कम वसूली, हानि एवं अन्य त्रुटियाँ पाया।
इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण	इस अध्याय में हमने अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाए गए कम आरोपण/आरोपण नहीं किए जाने, कम वसूली/वसूली नहीं किए जाने आदि से संबंधित अवलोकनों से चयनित ₹ 4.35 करोड़ से सन्निहित दृष्टांतस्वरुप कुछ मामलों को रखा है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावली/सरकारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। यह चिन्ता का विषय है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पिछले कई वर्षों से निरंतर हम इन चूकों को इंगित करते रहे हैं परन्तु हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने तक विभाग ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की थी। हमारा ध्यान इस पर भी है कि यद्यपि हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से इस तरह का चूक स्पष्ट दृष्टिगोचर थे, सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद एवं जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक इन गलतियों को पता लगाने में असमर्थ थे।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि तंत्र की कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा पाए गए चूकों को भविष्य में टाला जाए। कम–से–कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है।

क : राज्य उत्पाद

4.1.1 कर प्रशासन

उत्पाद राजस्व का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण सरकार स्तर पर सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग द्वारा तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के शीर्ष स्तर पर आयुक्त उत्पाद द्वारा शासित है। बिहार मोलासेस नियंत्रण अधिनियम तथा नियमावली के शासन एवं क्रियान्वयन के लिए आयुक्त पदेन मोलासेस नियंत्रक भी हैं। मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, एक उपायुक्त उत्पाद तथा एक सहायक आयुक्त उत्पाद, आयुक्त का सहयोग करते हैं। पुनः, चार[1] प्रमंडलीय मुख्यालयों में एक–एक उपायुक्त उत्पाद होते हैं। जिला स्तर पर उत्पाद प्रशासन के प्रभारी जिला समाहर्ता होते हैं, जिनकी सहायता एक सहायक आयुक्त उत्पाद या अधीक्षक उत्पाद करते हैं।

राज्य में उत्पाद दुकानों के खुदरा बिक्रेताओं को सभी प्रकार के शराब की आपूर्ति के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा शासित बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड का गठन अक्तूबर 2006 में किया गया था, जो एकमात्र थोक बिक्री डिपो के रूप में काम करता है।

4.1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान बजट आकलन तथा राज्य उत्पाद से वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है :

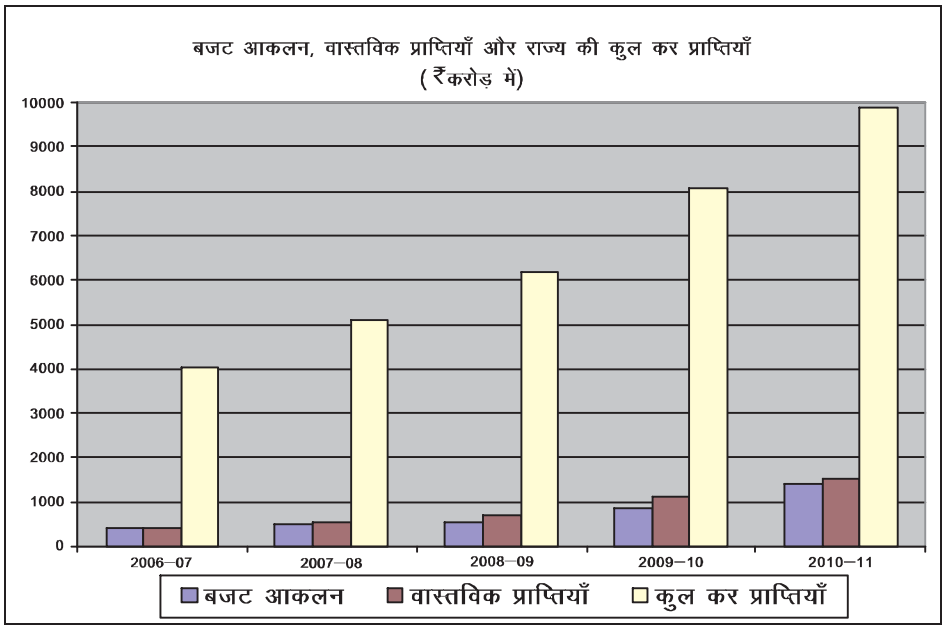
(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+) / ह्रास (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2006–07	400.00	381.93	(–) 18.07	4.52	4,033.08	9.47
2007–08	500.00	525.42	25.42	5.08	5,085.53	10.33
2008–09	537.69	679.14	141.45	26.31	6,172.74	11.00
2009–10	850.00	1,081.68	231.68	27.26	8,089.67	13.37
2010–11	1,400.00	1,523.35	123.35	8.81	9,869.85	15.43

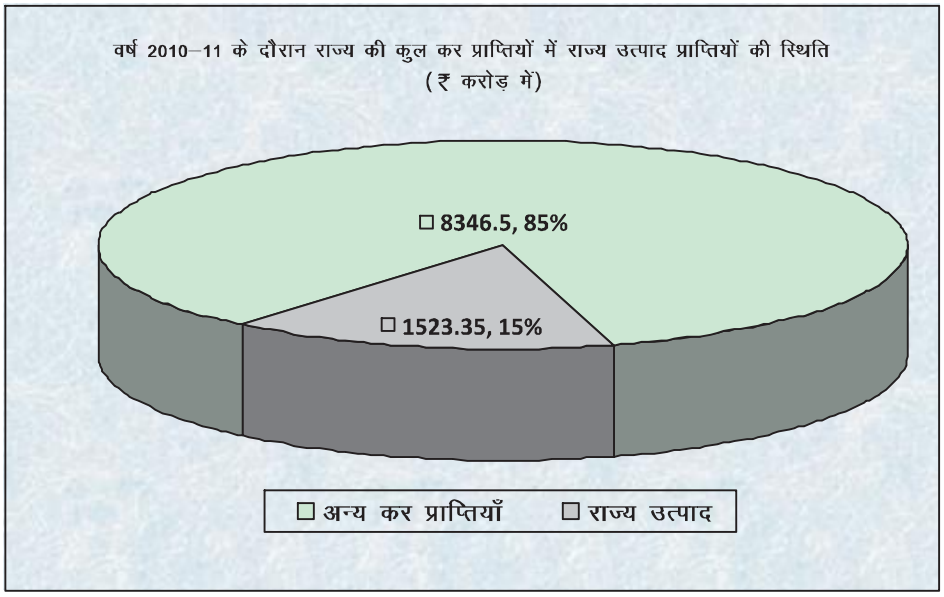
उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों की तुलना में राज्य उत्पाद से प्राप्तियों की प्रतिशतता में लगातार वृद्धि हुई है, जिसे अनुवर्ती वर्षो में बनाये रखने की आवश्यकता है।

राज्य उत्पाद की आकलित प्राप्तियों तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ–साथ प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न बार डायग्राम में दिया गया है:

[1] भागलपुर–सह–मुंगेर, दरभंगा–सह–कोशी–सह–पूर्णिया, पटना–सह–मगध तथा तिरहुत–सह–सारण।



वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 9,869.85 करोड़) में राज्य उत्पाद प्राप्तियों का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:



4.1.3 संग्रहण की लागत

राज्य उत्पाद प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008–09	679.14	24.15	3.56	3.27
2009–10	1,081.68	44.02	4.07	3.66
2010–11	1,523.35	37.65	2.47	3.64

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2010–11 में राज्य उत्पाद प्राप्तियों के सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से कम था। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे के वर्षों में भी यह प्रवृति बना रहे।

4.1.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

राजस्व प्रभाव

वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि के दौरान, हमने अपनी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से राजस्व का आरोपण नहीं/कम किये जाने, वसूली नहीं/कम किये जाने, राजस्व की हानि इत्यादि के 6,500 मामले, जिसमें ₹ 1,141.77 करोड़ के राजस्व शामिल थे, इंगित किए। इसमें से, विभाग/सरकार ने ₹ 387.11 करोड़ से सन्निहित 540 मामलों के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं मात्र ₹ 23 लाख की वसूली की। इसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2005–06	42	2,659	149.90	83	1.08	शून्य	शून्य
2006–07	30	3,404	167.09	258	48.15	–	0.15
2007–08	32	149	149.60	4	0.47	शून्य	शून्य
2008–09	32	113	223.58	43	31.99	11	0.08
2009–10	39	175	451.60	152	305.42	शून्य	शून्य
कुल	**175**	**6,500**	**1,141.77**	**540**	**387.11**	**11**	**0.23**

स्वीकार किए गए ₹ 387.11 करोड़ से सन्निहित मामलों के विरूद्ध ₹ 23 लाख (0.06 प्रतिशत) की नगण्य वसूली, सरकार/विभाग द्वारा सरकारी बकायों की वसूली में तत्परता की कमी की ओर इंगित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाये।

4.1.5 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा सरकार के विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभाग से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है।

वित्त (लेखापरीक्षा) की लेखापरीक्षा दल में तीन सदस्य होते हैं, जिसमें एक दल का प्रमुख होता है। लेखापरीक्षा हेतु अधियाचना की मात्रा को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय/प्रमंडलीय कार्यालयों से लेखापरीक्षा दल हेतु कर्मियों को लिया जाता है। निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग ने लेखापरीक्षा की जाने वाली

कार्यालयों की संख्या, किये गए लेखापरीक्षा की संख्या, निर्गत अवलोकनों की संख्या तथा मामलों में सन्निहित राशि से संबंधित सूचनाएँ हमें उपलब्ध नहीं कराया।

ख : मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस

4.2.1 कर प्रशासन

अधिनियमों एवं नियमावली[2] के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क, निबंधन फीस, दंड राशि एवं अन्य बकायों का आरोपण एवं संग्रहण, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग के द्वारा शासित है, जिसके प्रमुख निबंधन महानिरीक्षक होते हैं। विभाग, निबंधन विभाग के सचिव, जो मुख्य राजस्व नियंत्रण अधिकारी होते हैं, के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय स्तर पर निबंधन महानिरीक्षक की सहायता के लिए एक संयुक्त सचिव, दो उप महानिरीक्षक और चार सहायक महानिरीक्षक होते हैं। पुनः प्रमंडलीय स्तर पर नौ निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक होते हैं। जिला/प्राथमिक इकाई स्तर पर 38 जिला निबंधक, 38 जिला अवर निबंधक और अवर निबंधक, मुद्रांक और निबंधन फीस के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

4.2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान बजट आकलन तथा मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस से वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है :

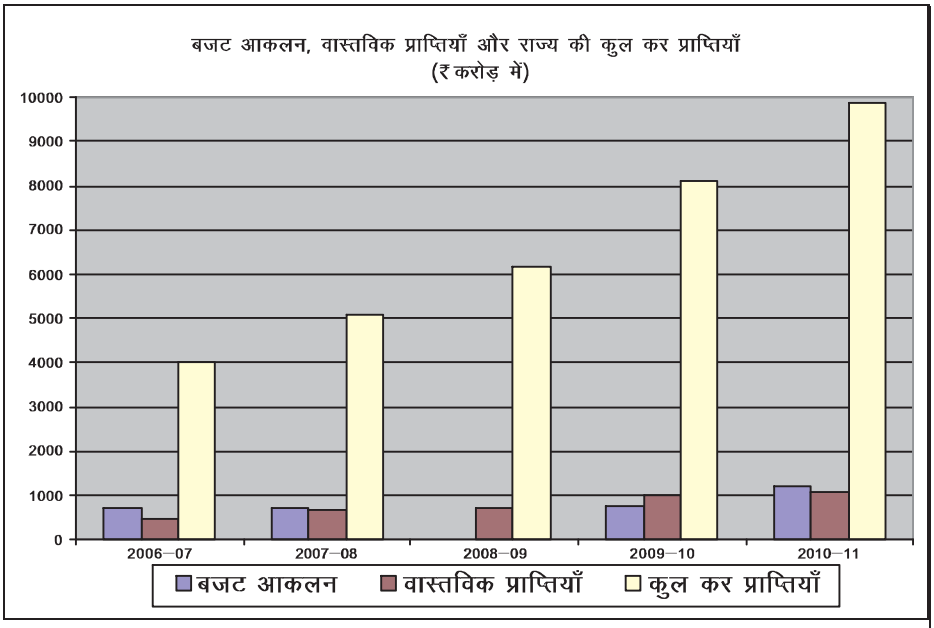
(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (–)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2006–07	700.00	455.02	(–) 244.98	(–) 35.00	4,033.08	11.28
2007–08	720.00	654.15	(–) 65.85	(–) 9.15	5,085.53	12.86
2008–09	581.02	716.19	(+) 135.17	(+) 23.26	6,172.74	11.60
2009–10	750.00	997.90	(+) 247.90	(+) 33.05	8,089.67	12.34
2010–11	1,215.00	1,098.68	(–) 116.32	(–) 9.57	9,869.85	11.13

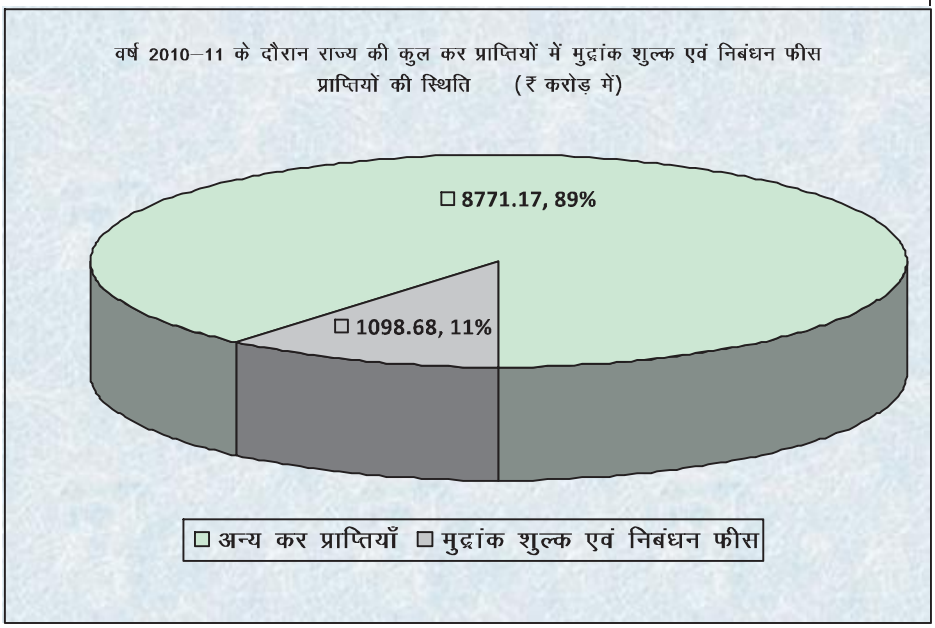
उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस से प्राप्तियों की प्रतिशतता वर्ष 2006–11 की अवधि के दौरान बजट आकलन की तुलना में (–) 35 प्रतिशत से (+) 33.05 प्रतिशत के बीच रही, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा अवास्तविक रूप से बजट तैयार किया गया था।

मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की आकलित प्राप्तियों तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ–साथ प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न बार डायग्राम में दिया गया है:

[2] भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; निबंधन अधिनियम, 1908; बिहार मुद्रांक नियमावली, 1991 तथा बिहार मुद्रांक (लिखतों के अवमूल्यन का निवारण) नियमावली, 1995।



वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 9,869.85 करोड़) में मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस प्राप्तियों का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:



4.2.3 संग्रहण की लागत

मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008–09	716.19	37.68	5.26	2.09
2009–10	997.90	45.90	4.60	2.77
2010–11	1,098.68	46.58	4.24	2.47

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2008–11 के दौरान, मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस से संबंधित संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता विगत वर्षों के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक था।

सरकार को आवश्यकता है कि आने वाले वर्षों में संग्रहण की लागत की प्रतिशतता को अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से नीचे रखने हेतु उचित कदम उठाये।

4.2.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

राजस्व प्रभाव

वर्ष 2007–08 से 2009–10 की अवधि के दौरान, हमने अपनी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से राजस्व का आरोपण नहीं/कम किये जाने, वसूली नहीं/कम किये जाने, राजस्व की हानि, इत्यादि के 184 मामले, जिसमें ₹ 40.47 करोड़ के राजस्व शामिल थे, इंगित किए। इसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 37.03 करोड़ से सन्निहित 185 मामलों, जिसमें वैसे भी मामले शामिल हैं जो पूर्व के वर्षों में इंगित किए गए थे, के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं मात्र ₹ 3.16 लाख की वसूली की। इसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
2007–08	20	11	0.17	4	0.01	1	1.52
2008–09	39	81	33.42	95	31.69	शून्य	शून्य
2009–10	31	92	6.88	86	5.33	2	1.64
कुल	**90**	**184**	**40.47**	**185**	**37.03**	**3**	**3.16**

स्वीकार किए गए ₹ 37.03 करोड़ से सन्निहित मामलों के विरूद्ध ₹ 3.16 लाख (0.09 प्रतिशत) की नगण्य वसूली, सरकार/विभाग द्वारा सरकारी बकायों की वसूली में तत्परता की कमी की ओर इंगित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाये।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

निम्न प्राप्तियों से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2010–11 के दौरान हमारी नमूना जाँच से 258 मामलों में ₹183.90 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं/कम किये जाने, हानि एवं अन्य त्रुटियों का पता चला, जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
कः राज्य उत्पाद			
1.	उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं/विलम्ब से होना	51	120.20
2.	निरस्तीकरण के उपरांत उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होना	7	2.84
3.	न्यूनतम गारंटी मात्रा का नहीं/कम उठाव के कारण हानि	3	0.08
4.	लाईसेंस फीस की वसूली नहीं होना	4	0.58
5.	स्पिरिट के कम प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि	1	0.62
6.	अन्य मामले	29	7.30
कुल		**95**	**131.62**
खः मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस			
1.	प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध पड़ा रहना	20	2.11
2.	अर्थदण्ड मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध पड़ा रहना	5	0.13
3.	अन्य मामले	13	0.78
कुल		**38**	**3.02**
गः भू–राजस्व			
1.	सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होना	6	0.29
2.	गैरमजरूआ खास भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना	7	0.09
3.	मांगों का कम संग्रहण किया जाना	22	41.30
4.	ब्याज की हानि	4	0.07
5.	अन्य मामले	86	7.51
कुल		**125**	**49.26**
कुल योग		**258**	**183.90**

वर्ष 2010–11 के दौरान संबंधित विभागों ने 14 मामलों में सन्निहित ₹ 79 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, इनमें से ₹ 6 लाख से अंतर्निहित दो मामले वर्ष 2010–11 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 4.35 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

4.4 सरकारी अधिसूचना/निर्णय का अनुपालन नहीं किया जाना

सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद तथा जिला निबंधक/अवर निबंधक के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों एवं विभाग के आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप, हमलोगों द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय प्राधिकारियों द्वारा हुए इन चूकों को प्रत्येक वर्ष हमलोगों द्वारा इंगित किए जाते रहे हैं, परंतु अनियमितताएँ न केवल निरंतर होती रही बल्कि लेखापरीक्षा किए जाने तक इसका पता नहीं लगाया गया। यह आवश्यक है कि सरकार आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

क : राज्य उत्पाद

4.5 उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती

4.5.1 उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं किया जाना

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के तहत बने बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब की दुकान) नियमावली, 2007 के अंतर्गत खुदरा उत्पाद दुकानों हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती लॉटरी के माध्यम से किया जाना है। बिहार उत्पाद नियमावली, 2007 तथा बिक्री अधिसूचना के शर्तों के अनुसार उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती उत्पाद वर्ष के शुरूआत से पहले हो जानी चाहिए। पुनः नियमावली प्रावधित करता है कि समय पर मासिक अनुज्ञप्ति फीस जमा करने में विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने सभी जिले के समाहर्त्ताओं को शत–प्रतिशत उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती करने के लिए निदेशित (जनवरी 2009) किया। इसके लिए, उत्पाद दुकानों हेतु लॉटरी द्वारा एक से तीन दुकानों की एक समूह प्रस्तावित किए जाने की आवश्यकता थी। समूह इस प्रकार बनाए जाने की आवश्यकता थी कि प्रत्येक दुकान राजस्व हित में बंदोबस्त किये जाए। पुनः, यदि खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती लॉटरी के माध्यम से नहीं होती है तो उत्पाद आयुक्त की स्वीकृति से बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड उन दुकानों को स्थापित करने एवं संचालन हेतु अधिकृत होगा।

अठारह जिला उत्पाद कार्यालयों[3] के बंदोबस्ती पंजियों/संचिकाओं की मई 2010 तथा मार्च 2011 के बीच नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि कुल स्वीकृत 2,915[4] उत्पाद दुकानों में से 720[5] दुकानों की अनुज्ञप्ति वर्ष 2009–10 के दौरान अबंदोबस्त पड़ी रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 97.43 करोड़ के राजस्व की हानि हुई **(परिशिष्ट–XX)**।

इन दुकानों की अबंदोवस्ती इस तथ्य का सूचक था कि या तो इन दुकानों के राजस्व प्रभावों को उचित ढंग से निर्धारित नहीं किया गया था अथवा उचित समूहबद्ध नहीं किया था। साथ ही अधिकृत उत्पाद दुकानों की अनुपस्थिति में, अबंदोबस्त दुकानों के लिए

3 अररिया, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सारण एवं पश्चिमी चम्पारण।

4 देशी शराब/मसालेदार देशी शराब : 818, भारत निर्मित विदेशी शराब : 736 एवं कम्पोजिट दुकानें : 1,361।

5 देशी शराब/मसालेदार देशी शराब : 195, भारत निर्मित विदेशी शराब : 144 एवं कम्पोजिट दुकानें : 381।

अनुज्ञप्ति फीस के खर्च पर अन्य उत्पाद दुकानों से इन क्षेत्रों में शराब की आपूर्ति, जैसाकि जानकारी (जनवरी 2009) भी थी, से इंकार भी नही किया जा सकता है।

4.5.2 उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती विलम्ब से किया जाना

जून 2010 एवं मार्च 2011 के दौरान हमने पाया कि 11[6] उत्पाद जिलों में वर्ष 2009–10 के दौरान 80[7] उत्पाद दुकानों की समय अवधि बीत जाने के बाद छः से 256 दिनों के विलम्ब से बंदोबस्ती की गई, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 2.95 करोड़ के राजस्व की हानि हुई **(परिशिष्ट–XXI)**।

4.5.3 निरस्तीकरण के बाद उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं किया जाना

दिसम्बर 2010 एवं मार्च 2011 के दौरान हमने पाया कि पाँच[8] उत्पाद जिलों में वर्ष 2009–10 के दौरान बंदोबस्त किए गए 17[9] उत्पाद दुकानों की अनुज्ञप्ति अप्रैल एवं दिसम्बर 2009 के बीच निरस्त किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 1.40 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद संबंधित सहायक आयुक्त उत्पाद/उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि दुकानों की बंदोबस्ती हेतु प्रयास किए गए थे। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब ये दुकानें अबंदोबस्त पड़ी थी उस अवधि के दौरान बिहार राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित किए जाने की आवश्यकता थी। हालाँकि इन दुकानों को न तो बंदोबस्त किया गया और न ही बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया था।

इस प्रकार, वर्ष 2009–10 के दौरान सरकार को ₹ 101.78[10] करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त विभाग शत–प्रतिशत उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे, उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

6 बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ, सारण एवं पश्चिमी चम्पारण।

7 देशी शराब/मसालेदार देशी शराब : 19, भारत निर्मित विदेशी शराब : 28 एवं कम्पोजिट दुकानें : 33।

8 जहानाबाद, नालन्दा, पटना, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चम्पारण।

9 देशी शराब/मसालेदार देशी शराब : 05, भारत निर्मित विदेशी शराब : 07 एवं कम्पोजिट दुकानें : 05।

10 राशि की गणना संबंधित उत्पाद दुकानों के लिए निर्धारित मासिक अनुज्ञप्ति फीस के आधार पर की गई है।

ख : मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस

4.6 प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरुद्ध रहना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47(क) के तहत जब निबंधन प्राधिकारी को यह विश्वास होता है कि संपत्ति का बाजार मूल्य की घोषणा दस्तावेज में सही नहीं की गई है तब उसे बाजार मूल्य निर्धारण हेतु समाहर्त्ता के पास प्रेषित कर सकता है। पुनः, आयुक्त–सह–सचिव एवं निबंधन विभाग, के महानिरीक्षक, बिहार सरकार ने दिनांक 20 मई 2006 को सभी समाहर्त्ताओं को धारा 47(क) के तहत् प्रेषित मामलों को 90 दिनों के भीतर त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित निबंधन कार्यालय के निरीक्षकों को हस्तांतरित करने का निदेश दिया।

निबंधन प्राधिकारी (जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद एवं अवर निबंधक, दाउदनगर) द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं एवं प्रेषित मामलों के पंजी की जनवरी एवं फरवरी 2011 के बीच संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि धारा 47 (क) के तहत् 2001–10 की अवधि के दौरान संपत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु 227 मामले समाहर्त्ता, औरंगाबाद/ निबंधन कार्यालय के निरीक्षक, गया को प्रेषित की गई थी। पुनः हमने उपरोक्त 227 मामलों में से 194 मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया (जुलाई 2011) एवं पाया कि अगस्त 2006 एवं जुलाई 2009 के दौरान निबंधन कार्यालय के निरीक्षक, गया को प्रेषित किए गए ₹ 25.31 लाख से सन्निहित 58 मामले निष्पादन हेतु अभी तक लंबित थे। इसके अतिरिक्त 2001–02 से मई 2006 की अवधि से संबंधित ₹ 36.13 लाख से सन्निहित 54 मामले, जिसे समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा निबंधन कार्यालय के निरीक्षक, गया को हस्तांतरित किए गए थे, भी निष्पादन हेतु लंबित थे। इस प्रकार प्रेषित किए गए मामलों के निपटारा नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 61.44 लाख का सरकारी राजस्व अवरूद्ध रहा।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद संबंधित जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक ने कहा कि लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु निबंधन कार्यालय के निरीक्षक से अनुरोध किया जाएगा, जबकि निबंधन कार्यालय के निरीक्षक, गया ने कहा कि अधिसंख्य मामलों का निपटारा कर दिया गया था एवं शेष मामले प्रक्रियाधीन थे। जवाब स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि मामलों का निपटारा 90 दिनों के भीतर किया जाना था।

मामले सरकार/विभाग को अगस्त 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे, उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

अध्याय V

कर भिन्न प्राप्तियाँ

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

जल दर, खान एवं खनिज, वन आदि प्राप्तियों से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2010–11 के दौरान हमने नमूना जाँच किया एवं 294 मामलों में ₹ 135.62 करोड़ के राजस्व की हानि/वसूली नहीं होने इत्यादि एवं अन्य त्रुटियों का पता लगाया, जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
क.	**खान एवं खनिज**		
1.	खनिजों के अवैध अधिप्राप्ति के लिए कार्य संवेदकों के विरूद्ध अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	38	75.14
2.	रॉयल्टी एवं उपकर का नहीं/कम वसूली	37	10.49
3.	ईंट–मिट्टी के अवैध उत्खनन हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	37	7.58
4.	बालू घाटों का नहीं/अनियमित बंदोबस्ती होने के कारण नीलामी राशि का आरोपण नहीं/कम किया जाना	21	8.48
5.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना	7	1.64
6.	ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	28	0.32
7.	लगातार उल्लंघन करने पर जुर्माना नहीं लगाए जाने के कारण हानि	4	0.23
8.	अन्य मामले	68	14.30
	कुल	**240**	**118.18**
ख.	**जल दर**		
1.	सिंचाई के लक्ष्य का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि	14	3.23
2.	जल दर की माँग सृजित नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि	11	9.26
3.	घाट भूमि की बंदोबस्ती नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि	4	0.42
4.	अन्य मामले	13	0.82
	कुल	**42**	**13.73**
ग.	**वन प्राप्तियाँ**		
1.	संग्रहित/दावारहित लकड़ी का निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व अवरुद्ध रहना	4	0.09
2.	क्षतिपूर्ति राशि का वसूली नहीं होना	1	1.54
3.	अन्य मामले	7	2.08
	कुल	**12**	**3.71**
	कुल योग	**294**	**135.62**

वर्ष 2010–11 के दौरान संबंधित विभागों ने 18 मामलों में शामिल ₹ 2.06 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों इत्यादि को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 19,000 से सन्निहित एक मामला वर्ष 2010–11 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 8.12 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

5.2 अधिनियमों एवं नियमावली का अनुपालन नहीं किया जाना

जिला खनन पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियंताओं के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा हुए इन चूकों को प्रत्येक वर्ष हमलोगों द्वारा इंगित किए जाते रहे हैं, परन्तु अनियमितताएँ न केवल निरन्तर होती रही बल्कि लेखापरीक्षा किए जाने तक इसका पता नहीं लगाया गया। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

क : खान एवं खनिज

5.3 ईंट भट्ठों का परिचालन

5.3.1 रॉयल्टी की वसूली नहीं/कम किया जाना

नौ[1] जिला खनन कार्यालय

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26 (क) एवं 28 के प्रावधानों और इसके अधीन निर्गत अधिसूचना (मार्च 2001) के तहत् ईंट भट्ठा मालिकों को आवेदन शुल्क ₹ 2,000 प्रति भट्ठा भुगतान कर परमिट प्राप्त करने के बाद, ईंट भट्ठे की श्रेणी के अनुसार रॉयल्टी को समेकित राशि का दो बराबर किश्तों में निर्धारित दरों पर भुगतान करना है। पुनः, बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली एवं अक्तूबर 1987 मे निर्गत निर्देश के अनुसार यदि ईंट भट्ठा मालिक विहित प्रक्रिया के अनुसार समेकित रॉयल्टी का भुगतान करने में विफल रहता है तो सक्षम पदाधिकारी वैसे व्यवसाय को बन्द कराएँगे तथा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 37 के अंतर्गत बकाया रॉयल्टी/अर्थदण्ड राशि की वसूली हेतु नीलामवाद प्रक्रिया आरम्भ करेंगे। इसके अतिरिक्त, किराये, रॉयल्टी, शुल्क या सरकार को देय अन्य बकायों पर 24 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज भी प्रभारित होंगे।

जनवरी एवं अप्रैल 2011 के बीच ईंट भट्ठा पंजी, खनन निरीक्षक के प्रतिवेदनों तथा ईंट भट्ठा मालिकों के व्यक्तिगत संचिकाओं में रखे गये अन्य संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि ईंट मौसम[2] 2009–10 में 420 ईंट भट्ठे (श्रेणी–II[3]: 25 एवं श्रेणी – III[4]: 395) परिचालित थे, जिसमें से 305 ईंट भट्ठा मालिकों ने ₹ 1.61 करोड़ के देय रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया था जबकि शेष 115 ईंट भट्ठा मालिकों ने कुल ₹ 62.20 लाख के विरूद्ध ₹ 33.94 लाख की आंशिक रॉयल्टी का भुगतान किया। संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों ने उनके व्यवसाय को बन्द नहीं कराया। इस प्रकार खनन पदाधिकारियों द्वारा ईंट भट्ठों के अवैध परिचालन को रोकने के लिए की जानेवाली कार्यवाही की

1 अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, दरभंगा, हाजीपुर, जहानाबाद, कैमूर, मधुबनी, एवं नवादा।
2 ईंट मौसम प्रत्येक वर्ष अक्तूबर महीने से शुरू होकर अगले वर्ष के मार्च तक होता है।
3 पटना, मुजफ्फरपुर, गया एवं दरभंगा को छोड़कर शहरी क्षेत्र में अवस्थित ईंट भट्ठा जिनकी क्षमता 35 लाख ईंट हैं।
4 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित ईंट भट्ठा, जिनकी क्षमता 25 लाख ईंट हैं।

प्रक्रिया प्रारम्भ न होने के फलस्वरूप ₹ 1.89 करोड़ के रॉयल्टी की वसूली कम/नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, भुगतेय रॉयल्टी पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर पर अप्रैल 2010 से लेखापरीक्षा किये जाने के पूर्व माह तक संगणित ₹ 35.63 लाख का साधारण ब्याज भी नियमानुसार आरोप्य है।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद संबंधित खनन पदाधिकारियों ने कहा कि नीलामवाद मामले दर्ज की जाएगी और रॉयल्टी की वसूली हेतु कार्यवाई की जाएगी। हमलोग आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

5.3.2 ईंट मिट्टी के अवैध उत्खनन हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

तेरह[5] जिला खनन कार्यालय

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 40(8) प्रावधित करता है कि उस अवधि के लिए जिसके लिए भूमि का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से किया गया हो, अवैध खनन हेतु अर्थदण्ड में खनिजों के मूल्य, लगान, रॉयल्टी अथवा कर, जैसा मामला हो, की वसूली शामिल होगा। पुनः, नियम 40(1), जैसा कि विहित है, आपराधिक दण्ड प्रक्रिया प्रारम्भ करना, जिसमें साधारण कैद की सजा, जिसे छः महीने तक अथवा जुर्माना, जिसे ₹ पाँच हजार तक विस्तारित किया जा सकता है अथवा दोनों, विहित करता है।

सितम्बर 2010 एवं मार्च 2011 के बीच खनन कार्यालयों में रखे गये ईंट भट्ठा मालिकों के परमिट रजिस्टर तथा माँग एवं संग्रहण पंजी के नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि ईंट मौसम 2009–10 में 538 ईंट भट्ठें (श्रेणी–I[6]: 35, श्रेणी– II: 40 एवं श्रेणी– III: 463) रॉयल्टी की समेकित राशि का बिना भुगतान किए और खनन परमिट प्राप्त किये बगैर ही परिचालित थे। पुनः हमने पाया कि इनमें से पाँच[7] जिलों के 46 ईंट भट्ठा मालिकों ने भी ईंट मौसम 2008–09 में अपने ईंट भट्ठे को अवैध रूप से परिचालित किया था। इसके बावजूद भी विभाग ने व्यवसाय को बन्द कराने अथवा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियमों के अनुसार अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, रॉयल्टी के समतुल्य खनिज के न्यूनतम मूल्य लेते हुए ₹ 2.91 करोड़ के अर्थदण्ड का कम आरोपण हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद तीन[8] खनन पदाधिकारियों ने कहा कि नियमानुसार कार्यवाई की जा रही थी जबकि शेष खनन पदाधिकारियों ने कहा कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली में अर्थदण्ड आरोपण का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हमलोग जवाब से सहमत नहीं हैं क्योंकि उत्खनन बगैर वैध परमिट के किया गया था और इसलिए इन मामलों को अवैध खनन माना जाएगा और नियमानुसार

5 आरा, अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, दरभंगा, हाजीपुर, जहानाबाद, कैमूर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा एवं पटना।

6 शहरी क्षेत्र पटना, मुजफ्फरपुर, गया, एवं दरभंगा में अवस्थित ईंट भट्ठा जिनकी क्षमता 45 लाख ईंट हैं।

7 आरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नवादा एवं सहरसा।

8 हाजीपुर, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर।

अर्थदण्ड लगाया जाना था। हमलोग इन मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

5.4 बालू घाटों की बन्दोबस्ती

5.4.1 विलम्ब से किये गये भुगतान पर ब्याज की वसूली नहीं किया जाना

जिला खनन कार्यालय बांका तथा भागलपुर

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 11(क) प्रावधित करता है कि बालू घाटों की बन्दोबस्ती जिला समाहर्त्ता द्वारा उच्चतम डाककर्त्ता को लोक नीलामी द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाना है। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 11(घ) प्रावधित करता है कि इस प्रकार के सभी बन्दोबस्ती एक कैलेण्डर वर्ष के लिए ही वैध होगी चाहे बन्दोबस्तधारी को स्वामित्व किसी भी तारीख को मिला हो तथा किसी भी स्थिति में इस प्रकार की बन्दोबस्ती अगले कैलेन्डर वर्ष के लिए लागू नही होगा।

हालाँकि खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार ने कैलेन्डर वर्ष 2010–12 के लिए बालू घाटों के परिचालन एवं बन्दोबस्ती के लिए दिसम्बर 2009 में एक अधिसूचना जारी किया। उक्त अधिसूचना के उपबंध 17 के अनुसार यदि कैलेन्डर वर्ष 2010 के लिए बालू घाटों की बन्दोबस्ती 31 दिसम्बर 2009 तक नहीं होती है तो पूववर्ती बन्दोबस्तधारियों को 31 जनवरी 2010 या बन्दोबस्ती की नई तिथि तक, जो पहले हो, निर्धारित आरक्षित जमा पर बालू का निकासी करने की अनुमति होगी। पुनः, उपबंध 11 के अनुसार, बन्दोबस्तधारियों को बालू घाटों के परिचालन के पूर्व कैलेन्डर वर्ष 2010 के लिए बन्दोबस्त राशि का 50 प्रतिशत, 15 अप्रैल तक 25 प्रतिशत तथा शेष 25 प्रतिशत का भुगतान 25 सितम्बर तक करना आवश्यक था। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 43 (क) के अनुसार सरकार को देय कोई भी किराये, रॉयल्टी, शुल्क या अन्य बकायों पर सरकार 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रभारित कर सकती है।

कैलेन्डर वर्ष 2010 के लिए दो जिले के बालू घाटों की बन्दोबस्ती संचिकाओं से फरवरी 2011 में हमने पाया कि बालू घाटों के दो बन्दोबस्तधारियों ने ₹ 15.49 करोड़ के अनुपातिक नीलामी राशि के विरुद्ध ₹ 12.81 करोड़ का भुगतान एक दिन से लेकर 285 दिनों के विलम्ब से किया। इसके फलस्वरूप विलम्ब से किये गये भुगतान पर ₹ 36.34 लाख के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद, खनन पदाधिकारी, बांका ने कहा कि विभाग से निदेश प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी जबकि खनन पदाधिकारी, भागलपुर ने कहा कि चूककर्ताओं के विरुद्ध नीलामवाद मामला दायर किया जाएगा।हम इन मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामला सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

5.4.2 बालू घाटों की विलम्ब से बन्दोबस्ती के कारण राजस्व की हानि

कैलेन्डर वर्ष 2010 के लिए दो[9] जिलों के बालू घाटों की बन्दोबस्ती संचिकाओं से फरवरी 2011 में हमने पाया कि अधिसूचना (दिसम्बर 2009) के उल्लंघन में, दो बालू घाटों की बन्दोबस्ती फरवरी 2010 में 15 दिनों के विलम्ब से की गई थी, जिसके फलस्वरूप ₹ 65.62 लाख की सरकारी राजस्व की हानि हुई जैसा कि नीचे विवर्णित है:

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाईओं के नाम	बन्दोबस्ती की तिथि	कैलेन्डर वर्ष 2010 की डाक राशि	पूर्ववर्ती बन्दोबस्तधारी द्वारा बालू घाटों का परिचालन			वर्ष 2010 के लिए डाक राशि पर आरोप्य विलम्ब अवधि की अनुपातिक राशि	वसूलनीय अन्तर राशि
				दिनों की सं0	वर्ष 2010 के लिए आरक्षित राशि	वर्ष 2010 के लिए अनुपातिक आरक्षित राशि		
1	बांका	16.2.2010	1,010.50	15	59.90	2.46	41.53	39.07
2	भागलपुर	17.2.2010	755.00	15	108.90	4.48	31.03	26.55
कुल								65.62

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद, संबंधित खनन पदाधिकारियों ने कहा कि बन्दोबस्ती अधिसूचना के अनुसार की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बालू घाटों की बन्दोबस्ती 31 जनवरी 2010 तक होना अपेक्षित था। हम इन मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामले सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

[9] बांका एवं भागलपुर।

5.5 पत्थर खानों के बन्दोबस्तीधारी से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली

जिला खनन कार्यालय बांका तथा भागलपुर

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 9 (क) के अंतर्गत सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से निर्देश दे सकती है कि नियम 52, जैसा कि विहित है, के तहत् विहित तरीके से कोई भी खनिज, लोक नीलामी/निविदा के द्वारा पट्टे पर दे सकती है अथवा बंदोबस्त कर सकती है एवं पत्थर के उत्खनन हेतु पट्टा पाँच वर्षों से कम अवधि के लिए नहीं होगा। उप नियम 4 एवं 5 प्रावधित करता है कि डाक राशि समान किश्तों में वार्षिक आधार पर तथा प्रत्येक किस्त 31 जनवरी के पहले जमा करना होगा। यदि कोई भी किस्त निर्धारित अवधि के पहले जमा नही किया जाता है तो 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज दो माह तक प्रभारित होगा तथा उसके बाद निरस्तीकरण की कार्रवाई की जायेगी। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 33 (3) भी प्रावधित करता है कि प्रत्येक पट्टाधारी/अनुज्ञप्ति धारक प्रत्येक माह को सक्षम पदाधिकारी को खनिज के लिए एक सही एवं सत्य रिटर्न फार्म 'एच' में अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करेगा।

हमने फरवरी 2011 में दो जिलों के पत्थर खान पट्टाधारी के बन्दोबस्ती संचिका तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये मासिक रिटर्न की नमूना जाँच में पाया कि छः पत्थर खानों को जुलाई 2007 तथा नवम्बर 2008 के बीच ₹ 2.02 करोड़ में नीलाम किया गया था। बन्दोबस्तधारियों को वार्षिक आधार पर किस्त का भुगतान, जो जनवरी 2011 तक ₹ 1.57 करोड़ संचित था, के विरुद्ध उन्होंने कुल ₹ 87.13 लाख ही लेखापरीक्षा किये जाने की तिथि तक जमा किया था। इसके अलावे, रॉयल्टी की किस्त का कम भुगतान/विलम्ब से भुगतान किये जाने पर ₹ 2.78 लाख का ब्याज भी प्रभारित था। रॉयल्टी की वार्षिक किस्त के कम भुगतान के बावजूद संबंधित खनन पदाधिकारियों ने पाँच बन्दोबस्तधारी के विरुद्ध पट्टों के निरस्तीकरण हेतु कार्रवाई प्रारम्भ नहीं किया था तथा भागलपुर के एक मामले में, यद्यपि पट्टा मई 2010 में निरस्त कर दिया गया था, बकाये की वसूली हेतु कार्रवाई नहीं की गई थी। यह चूक न केवल नियमों का उल्लंघन था बल्कि परिणामस्वरुप ब्याज सहित ₹ 72.56 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद, खनन पदाधिकारी, बांका ने कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा जबकि खनन पदाधिकारी, भागलपुर ने कहा कि नियमानुसार वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी। हम इन मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

मामला सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

ख : जल दर

5.6 माँग का सृजन नहीं किए जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं किया जाना

दो[10] सिंचाई प्रमंडल

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 के अधीन बने बिहार बाढ, प्रबंधन एवं निस्सरण नियमावली, 2003 के नियम 3.4.1 से 3.4.10 (ख) के अन्तर्गत सिंचाई कार्यों के लिए जल आपूरित किए गए लाभार्थियों से जल दर की वसूली हेतु खरीफ के लिए 30 नवम्बर, रबी के लिए 30 अप्रैल एवं गर्मा फसल के लिए 15 जून तक सिंचाई विभाग द्वारा प्रति वर्ष सिंचित भूमि की विवरणी (सूदकार), कृषकवार मापी (खेसरा) तथा माँग विवरणी (खतियानी) तैयार करना है। इसके बाद जून 2005 में विभागीय पुनर्गठन के आलोक में वसूली हेतु इस खतियानी का कार्यान्वयन प्रमंडलों द्वारा स्वयं किया जाना है।

प्रमंडलों द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं से हमने जुलाई और अगस्त 2010 के बीच पाया कि यद्यपि वर्ष 2008–10 के लिए सिंचित भूमि (खरीफ का 1,27,839.97 एकड़ और रबी का 1,10,991.12 एकड़) हेतु सूदकार तैयार की गई थी परन्तु संबंधित प्रमंडलों के पदाधिकारियों को सिंचित क्षेत्र की सत्यता की जाँच करने तथा उसे कनीय अभियंता को खतियान (माँग विवरणी) तैयार करने के लिए पृष्ठांकन करने हेतु उपलब्ध कराने के लिए कृषकवार मापी (खेसरा), अमीन[11] द्वारा तैयार नहीं किया गया था। खेसरा एवं खतियानी के अभाव में लाभार्थियों के विरुद्ध जल दर के संग्रहण हेतु माँग सृजित नहीं की जा सकी। इसके फलस्वरुप ₹ 1.96 करोड़ के जल दर की वसूली नहीं हुई।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद जुलाई और अगस्त 2010 के बीच संबंधित कार्यपालक अभियंताओं ने कहा कि खतियानी तैयार नहीं किये जाने का कारण कर्मियों की कमी थी।

मामला सरकार/विभाग को जून 2011 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

[10] गंगा पम्प नहर प्रमंडल चौसा, बक्सर; कमला नहर प्रमंडल जयनगर।

[11] अमीन का अर्थ है वह योग्य व्यक्ति, जो जमीन की नापी करता हो।

ग : पथ निर्माण विभाग

5.7 भूमि उपयोग शुल्क की वसूली नहीं किया जाना

चार[12] पथ निर्माण विभाग

पत्रांक 4881 (5) डब्लु0सी0 दिनांक 04.04.2008 द्वारा परिचालित संकल्प दिनांक 28.03.2008 के अनुसार पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले पथों पर ऑप्टिकल फाईबर केबल, इलेक्ट्रीक लाईन, जल आपूर्ति, सीवर लाइन इत्यादि बिछाने वाले एजेन्सियों से प्रति वर्ष ₹ 5,000 प्रति कि0मी0 की दर से भूमि उपयोग शुल्क वसूलना था। इस राशि को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम में ही 30 मार्च तक जमा किया जाना था। यह निर्णय उन अनुज्ञप्तिधारियों, जिन्हे पूर्व में ऑप्टिकल फाईबर बिछाने की अनुमति दी गई थी, पर भी लागू होगा।

हमलोगों ने फरवरी 2010 एवं मार्च 2011 के बीच प्रमंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया कि छः[13] कम्पनियाँ आप्टिकल फाईबर केबल तथा इलेक्ट्रीक लाईन बिछाने हेतु पथ निर्माण विभाग के अधीन पथों का उपयोग कर रहे थे। हालाँकि भूमि उपयोग शुल्क के रूप में ₹ 62.89 लाख की राशि वर्ष 2008–09 एवं 2010–11 के बीच उपयोगकर्त्ता कम्पनियों से वसूल नहीं की गई थी।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद, तीन कार्यपालक अभियन्ताओं[14] ने कहा (फरवरी 2010 एवं मार्च 2011 के बीच) कि बकाये भूमि उपयोग शुल्क की वसूली हेतु संबंधित कम्पनियों को सूचनायें प्रेषित की जाएगी, जबकि कार्यपालक अभियन्ता, डेहरी–ओन–सोन ने फरवरी 2011 में कहा कि माँग पत्र पहले ही जारी किया गया था। हमलोग वैसे मामलों में, जहाँ माँग पत्र निर्गत किया गया था, उसकी वसूली पर प्रतिवेदन तथा शेष मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

12 बेगुसराय, बिहारशरीफ, डेहरी–ओन–सोन एवं मधुबनी।

13 आदित्य बिरला टेलिकॉम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, बी0एस0एन0एल0, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड (ब्रांड नेम–टाटा इनडिकॉम) एवं वोडाफोन लिमिटेड।

14 बेगुसराय, बिहारशरीफ एवं मधुबनी।

मामला सरकार/विभाग को अगस्त 2011 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2011)।

(आर. बी. सिन्हा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

पटना
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	कार्यालयों के नाम	लेखापरीक्षा किये जाने का वर्ष	लेखापरीक्षा नहीं किये गये कर निर्धारित मामलों / अभिलेखों की संख्या
1.	राज्य उत्पाद	उत्पाद अधीक्षक, मुजफ्फरपुर	2009–10	1
		उत्पाद अधीक्षक, छपरा	2009–10	3
		उत्पाद अधीक्षक, पूर्णियाँ	2009–10	3
		उत्पाद अधीक्षक, समस्तीपुर	2009–10	3
		सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना	2009–10	3
2.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	अवर निबंधक, टेकारी, गया	2009–10	1
		अवर निबंधक, कमतोल (दरभंगा)	2009–10	2
		जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद	2009–10	1
3.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	खनन विकास पदाधिकारी, शेखपुरा	2009–10	4
		खान निरीक्षक, मोतिहारी	2009–10	2
		खान निरीक्षक, सीतामढ़ी	2009–10	5
		खनन विकास पदाधिकारी, बेतिया	2009–10	5
		सहायक निदेशक खनन, सासाराम (रोहतास)	2009–10	6
		खनन विकास पदाधिकारी, मुंगेर	2009–10	2
		उप निदेशक खनन, दरभंगा	2009–10	1
		खान निरीक्षक, शिवहर (सीतामढ़ी)	2009–10	6
4.	परिवहन	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर	2009–10	3
		जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर	2009–10	2
		जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा	2009–10	3
		राज्य आयुक्त परिवहन, बिहार, पटना	2009–10	5
		जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज	2009–10	6
		जिला परिवहन पदाधिकारी, गया	2009–10	3
		जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा	2009–10	3
5.	मध्यम सिंचाई	ढ़ाका नहर, ढ़ाका (पूर्वी चम्पारण)	2008–09 से 2009–10	2
		तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतिहारी	2008–09 से 2009–10	3
		सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा	2008–09 से 2009–10	3
		त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल (पूर्वी चम्पारण)	2007–08 से 2009–10	6

6	भू–राजस्व	अंचल पदाधिकारी, सरैया, मुजफ्फरपुर	2009–10	2
		अंचल पदाधिकारी, मेजरगंज, सीतामढ़ी	2009–10	3
		उप–समाहर्त्ता, भूमि सुधार, शेखपुरा	2009–10	2
		अंचल पदाधिकारी, अरेराज (पूर्वी चम्पारण)	2009–10	4
		अंचल पदाधिकारी, रक्सौल (पूर्वी चम्पारण)	2009–10	2
		अंचल पदाधिकारी, आदापुर, मोतिहारी	2009–10	3
		अंचल पदाधिकारी, चौरॉत, सीतामढ़ी	2009–10	4
		अंचल पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज	2009–10	4
		अंचल पदाधिकारी, झंझारपुर, मधुबनी	2009–10	6
		अंचल पदाधिकारी, हरनौत, बिहारशरीफ	2009–10	3
		अंचल पदाधिकारी, पारु, मुजफ्फरपुर	2009–10	3
		अंचल पदाधिकारी, गोघरडिहा, मधुबनी	2009–10	5
		उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, झंझारपुर, मधुबनी	2009–10	3
		अंचल पदाधिकारी, राजनगर, मधुबनी	2009–10	4
		अंचल पदाधिकारी, गिरियक, बिहारशरीफ	2009–10	2
		अंचल पदाधिकारी, कुमारखण्ड, मधेपुरा	2009–10	1
		उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मधुबनी	2009–10	3
		अंचल पदाधिकारी, मधेपुरा	2009–10	2
		अंचल पदाधिकारी, पुनपुन	2009–10	4
		अंचल पदाधिकारी, साहेबगंज, मुजफ्फपुर	2009–10	4
		अंचल पदाधिकारी, दानापुर	2009–10	6
		अंचल पदाधिकारी, बिरौल, दरभंगा	2009–10	4
		अंचल पदाधिकारी, मुरलीगंज, मधेपुरा	2009–10	1
		अंचल पदाधिकारी, गौरा बौराम, दरभंगा	2000–01 से 12/2010	7
		अंचल पदाधिकारी, नरकटियागंज, बेतिया	2003–04 से 2009–10	2
		अंचल पदाधिकारी, कट्या, गोपालगंज	2003–04 से 2010–11	4
		अंचल पदाधिकारी, लौरिया (पश्चिमी चम्पारण)	2003–04 से 2009–10	3
		अंचल पदाधिकारी, दरभंगा सदर, दरभंगा	2005–06 से 2010–11	6
		उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, बाढ़, पटना	2006–07 से 2009–10	3
कुल		**कार्यालयों की सं0– 56**		**187**

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	लेखापरीक्षा हेतु कुल बकाये ईकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा के लिए योजनाबद्ध ईकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित ईकाईयों की संख्या
1	वाणिज्य कर	55	48	48
2	मोटर वाहन कर	48	48	48
3	राज्य उत्पाद	49	39	38
4	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस	139	30	30
5	भू–राजस्व	612	46	46
6	खान एवं खनिज	48	48	48
7	सिंचाई	34	14	14
8	वानिकी एवं वन्य जीवन	37	23	8
योग		1,022	296	280

अंचल का नाम	वर्ष	कमिशनरी द्वारा निर्गत दर्शाये गये प्रपत्रों की संख्या		कमिशनरी से प्राप्त दर्शाये गये प्रपत्रों की संख्या		विभिन्नता	
		'सी'	'एफ'	'सी'	'एफ'	'सी'	'एफ'
भागलपुर	2009–10	–	शून्य	–	200	–	200
दरभंगा	2009–10	2,000	–	2,625	–	625	–
गोपालगंज	2009–10	2,000	–	2,025	–	25	–
मुजफ्फरपुर	2006–07	–	2,000	–	2,500	–	500
पटना सिटी पश्चिमी	2009–10	6,000	–	4,000	–	2,000	–
पटना उत्तरी	2007–08	12,000	–	8,000	–	4,000	–
	2009–10	6,000	–	8,000	–	2,000	–
पटना दक्षिणी	2006–07	10,000	8,000	12,000	8,250	2,000	250
	2008–09	6,000	4,000	4,000	2,500	2,000	1,500
	2009–10	6,000	4,000	14,000	2,000	8,000	2,000
पटना पश्चिमी	2008–09	10,000	–	6,000	–	4,000	–
	2009–10	8,000	–	4,000	–.	4,000	–
शाहाबाद (आरा)	2006–07	2,000	–	1,125	–	875	–
सीतामढ़ी	2006–07	–	–	250	–	250	–

(श्रोतः विभाग द्वारा दिये गये सूचनाएँ)

परिशिष्ट IV

घोषणा प्रपत्रों के आँकड़ों में भिन्नता के कारण रियायत/छूट की अनियमित अनुमति

(संदर्भः कंडिका 2.2.14.2)

(राशि ₹ में)

श्रोत राज्य	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	प्रपत्र की संख्या	अवधि	बिहार के व्यवसायी के अनुसार प्रपत्र की राशि	अन्य राज्य के व्यवसायी के अनुसार प्रपत्र की राशि	छूट/रियायत का अधिक उपभोग	सामग्रियों के नाम	आरोप्य दर/आरोपित दर (प्रतिशत में)	कर	ब्याज	कुल
छत्तीसगढ़	पाटलीपुत्रा	मे0 टायटन इंडस्ट्री/101ई+10	एफ-1082390	2007-08	19,99,721	1,99,971	17,99,750	घड़ियाँ एवं सनग्लासेस	12.5/0	2,24,969	1,31,607	3,56,576
दिल्ली	समस्तीपुर	उप मुख्य सामग्री प्रबंधक (डिपो) ई0सी0आर0/1421026027	15पी-492922	2008-09	24,82,212	11,03,319	13,78,893	स्क्रैप	4/2	27,578	11,169	38,747
झारखण्ड	पाटलीपुत्रा	मे0 रिलायन्स टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर/10050415120	जेजी/एफ 0119279	2008-09	13,18,699	3,18,699	10,00,000	टेलिकम सामग्री	4/0	40,000	16,200	56,200
		मे0 टेफे मोटर्स/10050327141	जेजी/सी 0943798	2008-09	2,67,08,539	2,66,10,551	97,988	ट्रैक्टर्स	4/2	1,960	794	2,754
	पटना पश्चिमी	मे0 शिवा पॉलिट्यूब्स प्राईवेट लि0/10140479135	जेजी/सी 0950284	2008-09	6,44,068	3,62,711	2,81,357	पोलिविनाईल क्लोराइड पाईपस	4/2	5,627	2,279	7,906
मध्यप्रदेश	मुंगेर	मे0 आई0टी0सी0/10560001128	सीएसटीजी 01-110393	2008-09	56,30,685	55,27,916	1,02,769	सिगरेट	12.5/0	12,846	5,203	18,049
मेघालय	बेगूसराय	मे0 महावीर पेट्रो प्रोडक्ट प्र0 लि0/10360364070	94593	2008-09	11,69,855	1,16,855	10,53,000	पेट्रो कोक	4/2	21,060	8,529	29,589
			46668	2008-09	25,31,085	17,38,188	7,92,897	-तथैव-	4/2	15,858	6,422	22,280
			47393	2008-09	15,30,861	90,640	14,40,221	-तथैव-	4/2	28,804	11,666	40,470
उड़ीसा	किशनगंज	गजुरमुखी उडक्राफ्ट/105ई+10	पीक्यूवाई-0541114	2008-09	9,77,071	8,26,557	1,50,514	प्लाईवुड	4/2	3,010	1,219	4,229

परिशिष्ट–IV

उत्तर प्रदेश	समस्तीपुर	उप मुख्य सामग्री प्रबंधक (डिपो) ई0सी0आर0 / 10421026027	11–2110700	2009–10	76,34,742	2,42,000	73,92,742	स्क्रैप	4 / 2	1,47,855	33,267	1,81,122
			32–0775553	2007–08	11,81,500	6,875	11,74,625	–तथैव–	4 / 3	11,746	6,872	18,618
			0253328	2006–07	9,43,317	9,01,489	41,828	–तथैव–	8 / 4	1,673	1,280	2,953
			341563829	2008–09	27,78,315	15,47,818	12,30,497	–तथैव–	4 / 2	24,610	9,967	34,577
			212122374	2009–10	37,70,500	17,89,956	19,80,544	–तथैव–	4 / 2	39,611	8,912	48,523
	बेगूसराय	मे0 कनिष्का कार्बन / 10360367077	2226329	2008–09	9,70,740	4,85,370	4,85,370	पेट्रो कोक	4 / 2	9,707	3,931	13,638
	पटना पश्चिमी	मे0 आर0बी0 इलेक्ट्रानिक्स / 10140615032	20–1330085	2007–08	15,54,965	6,84,585	8,70,380	इलेक्ट्रॉनिक सामग्री	12.5 / 3	82,686	48,371	1,31,057
			16–1330090	2007–08	18,83,330	1,77,378	17,05,952	–तथैव–	12.5 / 3	1,62,065	94,808	2,56,873
			17–1330091	2007–08	30,12,930	6,90,249	23,22,681	–तथैव–	12.5 / 3	2,20,655	1,29,083	3,49,738
			18–1330092	2007–08	17,91,473	10,98,877	6,92,596	–तथैव–	12.5 / 3	65,797	38,491	1,04,288
			30–1956423	2008–09	33,98,294	11,52,894	22,45,400	–तथैव–	12.5 / 2	2,35,767	95,486	3,31,253
			31–1956424	2008–09	27,84,981	7,84,479	20,00,502	–तथैव–	12.5 / 2	2,10,053	85,071	2,95,124
			32–1956425	2008–09	21,53,087	19,36,180	2,16,907	–तथैव–	12.5 / 2	22,775	9,224	31,999
		मे0 शिवा पालिट्यूब्स प्राईवेट लि0 / 10140476135	26–0193706	2007–08	18,65,963	7,32,847	11,33,116	क्लोराईड पाईप	4 / 3	11,331	6,629	17,960
पश्चिम बंगाल	पाटलीपुत्रा	नाफेड / 1005ई +10	95सी 1263720	2008–09	51,08,267	12,35,098	38,73,169	कृषि सामग्री	4 / 2	77,463	31,373	1,08,836
		मे0 टेफे मोटर्स / 10050327141	95सी 0730676	2008–09	33,41,664	19,18,895	14,22,769	ट्रैक्टर	4 / 2	28,455	11,524	39,979
	कदमकुआँ	मे0 जी0डी0 अपैरल / 10130351074	730424	2008–09	15,635	7,617	8,018	इंजियरी सामग्री	4 / 2	160	65	225
	समस्तीपुर	उप मुख्य सामग्री प्रबंधक (डिपो) ई0सी0आर0 / 10421026027	95सी 559061	2006–07	18,23,884	7,41,000	10,82,884	स्क्रैप	8 / 4	43,315	33,136	76,451
कुल					**9,10,06,383**	**5,30,29,014**	**3,79,77,369**			**17,77,436**	**8,42,578**	**26,20,014**

परिशिष्ट V

अन्य व्यवसायियों को निर्गत प्रपत्र पर रियायत/छूट की अनियमित अनुमति

(संदर्भः कंडिका 2.2.14.3)

(राशि ₹ में

क्र0 सं0	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	प्रपत्र की संख्या	अवधि	व्यवसायी का नाम जिसको वास्तव में प्रपत्र निर्गत किया गया	व्यवसायी का नाम जिसने वास्तव में प्रपत्र का उपयोग किया	व्यवसायी का नाम जिससे अंचल से प्रपत्र प्राप्त करने वाले व्यवसायी द्वारा माल के क्रय को	उपभोग किये गये छूट/रियायत की राशि	सामग्री	आरोप्य /आरोपित कर की दर (प्रतिशत	कर	ब्याज	कुल
1.	बाढ़	मे0 युनाईटेड स्पीरिट लि0, 10020044129	एफ0एफ0/055734 (सी)	2008–09	माईलस्टोन बिभरेज आर0बी0डी0/सी0एस 0टी0/312	माईलस्टान बिभरेज आर0बी0डी0/सी0 एस0टी0/312	युनाईटेड स्पीरिट, कोलकता से सामग्री का आयात किया गया	21,01,518	भारत निर्मित विदेशी शराब	50/3	9,87,713	4,00,024	13,87,737
			डी0डी0/0045240 (सी)	2008–09	माईलस्टोन बिभरेज 17090134248	माईलस्टान बिभरेज 17090134248	युनाईटेड स्पीरिट, कोलकता से सामग्री का आयात किया गया	1,32,300	–तथैव–	50/3	62,181	25,183	87,364
		मे0 एशियन प्लाई अकबरपुर बाढ, 10020154127	टी0एन0–2006–सी0 बी0बी0165974 (सी)	2007–08	–	पॉल एडमस डिस्ट्रीब्युटर्स, 33983363756		2,94,016	प्लाई वुड	12.5/3	27,932	16,340	44,272
			टी0एन0–2006–सी0 बी0बी0165973 (सी)	2007–08	–	पॉल एडमस डिस्ट्रीब्युटर्स, 33983363755		17,85,073	–तथैव–	12.5/3	1,69,582	99,205	2,68,787
2.	बेगुसराय	कनिष्का कार्बन प्रा0 लि0, 10360367077	1578020 (सी)	2008–09	माँ महा माया अलॉय मिर्जापुर, 9714902226	मा महा माया अलॉय मिर्जापुर, 9714902226	व्यवसायी ने वास्तव में मे0 रॉय एवं बिरडी इंजिनीयर्स, कोलकता से माल का क्रय किया	10,48,168	कच्चा पेट्रोलियम कोक एवं कैलसिनाईड पेट्रोलियम कोक	4/1	31,445	12,735	44,180
3.	किशनगंज	मे0 आएशा एक्सपोर्टर्स, 10470382052	030–903018 (एफ)	2008–09	मे0 सुपर किंग मैनुफैक्चरिंग टायरस/07800041645	मे0 के0.पी0 ट्रेडिंग	–	36,17,352	पान सुपारी	4/0	1,44,694	58,601	2,03,295
			030–903020 (एफ)	2008–09	मे0 सुपर किंग मैनुफैक्चरिंग टायरस/07800041645	मे0 के0.पी0 ट्रेडिंग	–	32,52,862	–तथैव–	4/0	1,30,114	52,696	1,82,810

		मे0 ए0ए0आर0 बी0ई0ई0 चाय कम्पनी प्रा0 लि0, 10471243024	14 पी 428010 (सी)	2008–09	–	मे0 अमित ट्रेडिंग कम्पनी / 07110282 418	–	76,967	चाय	4 / 1	2,309	935	3,244
			14 पी 715493 (सी)	2008–09	मे0 करिश्मा 07770120086	मे0 अजमेरा सेल्स कॉरपो0 07320207197	–	1,34,819	–तथैव–	4 / 1	4,045	1,638	5,683
		मे0 किशनगंज फ्लोर मिल्स प्र0 लि0, 10470262160	95 पी 449760 (एफ)	2006–07	मे0 सौरभ ट्रेडरर्स 19744935202	मे0 सौरभ ट्रेडरर्स 19744935202	मे0 काली रोलर आटा मिल्स प्रा0 लि0 इकाई – II 10490608104	1,58,15,468	गेंहु उत्पाद	2 / 0	3,16,309	2,41,977	5,58,286
			95 पी 449761	2006–07	मे0 सौरभ ट्रेडरर्स 19744935202	मे0 सौरभ ट्रेडरर्स 19744935202	मे0 काली रोलर आटा मिल्स प्रा0 लि0 इकाई– II 10450609184	65,75,921	–तथैव–	2 / 0	1,31,518	1,00,612	2,32,130
			95 पी 466355	2006–07	मे0 ओम प्रकाश संजय कुमार 19741172281	मे0 ओम प्रकाश संजय कुमार 19741172281	मे0 बिष्णु रोलर आटा प्रा0 लि0 10450609184	65,31,164	–तथैव –	2 / 0	1,30,623	99,927	2,30,550
			95 पी 435217 (एफ)	2006–07	मे0 ओम प्रकाश संजय कुमार 2295 (ए0एस0) (सी)	मे0 ओम प्रकाश संजय कुमार 2295 (ए0एस0) (सी)	मे0 काली रोलर आटा मिल्स प्रा0 लि0 इकाई – II 10490608104	1,00,07,361	–तथैव –	2 / 0	2,00,147	1,53,113	3,53,260
			95 पी 466350	2006–07	मे0 ओम प्रकाश संजय कुमार 19741172281	मे0 ओम प्रकाश संजय कुमार 19741172281	मे0 काली रोलर आटा मिल्स प्रा0 लि0 10450609184	1,27,87,779	–तथैव –	2 / 0	2,55,756	1,95,653	4,51,409
			95 पी 466351(एफ)	2006–07	मे0 ओम प्रकाश संजय कुमार 19741172281	मे0 ओम प्रकाश संजय कुमार 19741172281	मे0 जमशेदपुर रोलर आटा मिल्स प्रा0 लि0 जी0एस0 1598 सी	90,11,270	–तथैव–	2 / 0	1,80,225	1,37,872	3,18,097
4.	पाटलीपुत्रा	मे0 युनाईटेड पेपर बोर्ड लि0, 10050005198	एम0एच0 / 08 / 0840 447 (सी)	2008–09	मे0 जेजानी इंटरप्राईजेज	आत्माराज पेपर क्राफ्ट इन्डसट्रीज, नागपुर 27670392381		4,56,855	कागज उत्पाद	4 / 1	13,706	5,551	19,257
		मे0 टाटा मोटर्स लि0, पटना 100501129067	एन0एल0 075392 (सी)	2007–08	मे0 जगदीश एवं कम्पनी प्रा0 लि0, दिमापुर 13020110037	मे0 जगदीश एवं कम्पनी प्रा0 लि0, दिमापुर 13020110037	मे0 टाटा मोटर्स लि0, चण्डीगढ से व्यवसायी द्वारा वास्तव में क्रय किया हुआ माल	2,22,054	मोटर वाहन	12.5 / 3	21,095	12,341	33,436

5.	समस्तीपुर	उप मुख्य सामग्री प्रबंधक (डिपो) ई0सी0आर0 / 104 21026027	0092582 (सी)	2006–07	प्रतिभा ट्रेडर्स, एम जेड 5154520	प्रतिभा ट्रेडर्स, एम जेड 5154520	मे0 जिन्दल स्टील, दार्जिलिंग (खपत विवरणी के अनुसार)	7,44,000	स्क्रैप	8 / 4	29,760	7,588	37,348
			92592 (सी)	2007–08	प्रतिभा ट्रेडर्स, एम जेड 5154526	प्रतिभा ट्रेडर्स, एम जेड 5154526	मे0 भुवनश एशोसिएटस, जयपुर (खपत विवरणी के अनुसार)	25,94,808	–तथैव–	4 / 3	25,948	15,180	41,128
			92593 (सी)	2007–08	प्रतिभा ट्रेडर्स, एम जेड 5154527	प्रतिभा ट्रेडर्स, एम जेड 5154527	मे0 गणेश इन्टरप्राईजेज, राउरकेला (खपत विवरणी के अनुसार)	1,04,15,434	–तथैव –	4 / 3	1,04,154	60,930	1,65,084
			31–0775552 (सी)	2007–08	मेटल अलॉय एम एस 5014550	मेटल अलॉय एम एस 5014550	मेटल अलॉय ने जेनरल मेटल प्रोडक्ट कोलकोता से माल खरीदा है	7,65,750	–तथैव –	4 / 3	7,658	4,480	12,138
			0382867 (सी)	2006–07	मेटल अलॉय एम एस 5014550	मेटल अलॉय एम एस 5014550	व्यवसायी फतेह चॉद एवं ओम प्रकाश, दिल्ली से माल खरीदा	7,65,000	–तथैव–	8 / 4	30,600	23,409	54,009
			0130196 (सी)	2006–07	मेटल अलॉय एम एस 5014550	मेटल अलॉय मे0 5014550	व्यवसायी ने वास्तव में बैद्यनाथ मेटल, कोलकोता से माल क्रय किया	16,17,000	–तथैव–	8 / 4	64,680	49,480	1,14,160
			95सी0802286	2007–08	माँ बैष्णव मेटल स्टोरर्स	माँ बैष्णव मेटल स्टोरर्स	व्यवसायी ने वास्तव में मे0 भारत कुकीज कोल लि0 से माल खरीदा	8,89,000	–तथैव–	4 / 3	8,890	5,201	14,091
			95(सी)0978516	2007–08	माँ बैष्णव मेटल स्टोरर्स	माँ बैष्णव मेटल स्टोरर्स	व्यवसायी ने वास्तव में मे0 भारत कुकीज कोल लि0 से माल खरीदा	10,93,880	–तथैव –	4 / 3	10,939	6,399	17,338
			95(सी)0802285	2007–08	माँ बैष्णव मेटल स्टोरर्स	माँ बैष्णव मेटल स्टोर्स	व्यवसायी ने वास्तव में मे0 भारत कुकीज कोल लि0 से माल खरीदा	6,54,000	–तथैव –	4 / 3	6,540	3,826	10,366
कूल								93389819			3098563	1790896	4889459

परिशिष्ट VI

अन्तर्राज्यीय बिक्री का छिपाव

(संदर्भः कंडिका 2.2.15.1)

(राशि ₹ में)

श्रोत राज्य	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	घोषणा प्रपत्र संख्या	अवधि	बिहार के व्यवसायी के अभिलेख के अनुसार बिक्री की राशि	राज्य के अन्य व्यवसायी के अभिलेख के अनुसार बिक्री की राशि	बिक्री का छिपाव	सामग्री का नाम/दर (प्रतिशत में)	कर	अर्थदण्ड	कुल
असम	किशनगंज	मे0 नार्थ बिहार चावल मिल/10470163123	445570	2006–07	3,56,284	7,56,284	4,00,000	चावल भूसी/10	40,000	1,20,000	1,60,000
छत्तीसगढ	मुंगेर	मे0 आई0 टी0 सी0 मुंगेर/106ई+10	एफ1/284749	2007–08	1,59,81,439	2,08,11,626	48,30,187	सिगरेट/12.5	6,03,773	18,11,319	24,15,092
			एफ1/284747	2007–08	2,53,10,327	3,37,59,474	84,49,147	सिगरेट/12.5	10,56,143	31,68,429	42,24,572
मध्य प्रदेश	मुंगेर	मे0 आई0 टी0 सी0 मुंगेर/10560001128	सी0एस0टी0 जी 01–104851	2007–08	96,23,952	7,15,34,327	6,19,10,375	सिगरेट/12.5	77,38,797	2,32,16,391	3,09,55,188
उत्तर प्रदेश	पटना पश्चिमी	मे0 शिवा पॉलीट्यूब्स/10140479135	33–1837464	2007–08	7,67,464	17,67,664	10,00,200	क्लोराईड पाईप/4	40,008	1,20,024	1,60,032
		मे0 आर0 बी0 ईलेक्ट्रॉनिक्स/10140615032	29–1956422	2008–09	12,06,455	20,01,882	7,95,427	इलेक्ट्रॉनिक्स माल/12.5	99,428	2,98,284	3,97,712
	समस्तीपुर	उप मुख्य सामग्री ई0सी0आर0/10421026027	0092583	2006–07	4,38,650	6,12,500	1,73,850	स्क्रैप/8	13,908	41,724	55,632
			0130196	2006–07	16,17,000	17,79,009	1,62,009	स्क्रैप/8	12,961	38,883	51,844
			202122283	2009–10	6,92,892	7,06,753	13,861	स्क्रैप/4	554	1,662	2,216
			142122304	2009–10	11,26,500	11,67,056	40,556	स्क्रैप/4	1,622	4,866	6,488
	कदमकुआँ	मे0 जी0 डी0 अपैरल/10130351074	962463	2007–08	7,943	9,418	1,475	होजरी गारमेंटस/4	59	177	236
			1059843	2008–09	10,142	23,960	13,818	होजरी गारमेंटस/4	553	1,659	2,212
			1059845	2008–09	33,958	49,696	15,738	होजरी गारमेंटस/4	630	1,890	2,520
पश्चिम बंगाल	पाटलीपुत्रा	मे0 टेफे मोटर्स/10050327141	95 सी 0731933	2008–09	3,51,336	7,02,673	3,51,337	ट्रैक्टर/4	14,053	42,159	56,212
			95 सी 0730677	2008–09	7,02,673	33,41,664	26,38,991	ट्रैक्टर/4	1,05,560	3,16,680	4,22,240
कुल					5,82,27,015	13,90,23,786	8,07,96,771		97,28,041	2,91,84,123	3,89,12,196

परिशिष्ट VII

घोषणा प्रपत्रों का अनाधिकृत उपयोग

(संदर्भः कंडिका 2.2.15.2)

(राशि ₹ में)

श्रोत राज्य	बिहार के अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	प्रपत्र संख्या	अवधि	राशि	सामग्री	आरोप्य कर का दर (प्रतिशत में)	कर	अर्थदण्ड	कुल
छत्तीसगढ	औरंगाबाद	मे0 अंशर ट्रेडर्स/सी0एस0टी0 सं0 416(सी) 10170655156	बी एच 04 701153	2004–05	1,78,396	बीड़ी पत्ता	10	17,840	53,519	71,358
हरियाणा	भागलपुर	मे0 रामानन्द, दीपक कुमार, भागलपुर	273173	2006–07	32,25,089	सरसों तेल	4	1,29,004	3,87,011	5,16,014
		म0 संजय तिवारी, बांका कुण्डा (बिहार)	528397	2006–.07	70,81,934	सरसों तेल	4	2,83,277	8,49,832	11,33,109
		मे0 श्री लाल गोकुल चांद, भागलपुर/ 10520915172 (बिहार)	443389	2006–07	25,98,145	सरसों तेल	4	1,03,926	3,11,777	4,15,703
झारखण्ड	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मे0 मिथिला कोल इंडस्ट्रीज (पी) लि0/ एम जेड– 3427 (सी) 10305488066	जी ओ बी/ सी 886360	2007–08	2,68,406	कोयला	4	10,736	32,209	42,945
नागालैण्ड	सहरसा	म0 मिथिला प्लाईवुड, सहरसा/10510148172	बी जी/2/ सी 0287663	2007–08	1,77,121	टिम्बर, प्लाईवुड	4	7,085	21,255	28,339
राजस्थान	पटना दक्षिणी	मे0 बग्गा मोटर कम्पनी/ 10120316036	जी ओ बी/सी 128566	2008–09	2,61,650	–तथैव–	4	10,466	31,398	41,864
	सीवान	मे0 दिल्ली ऑटो सेल्स/ 10352145066	561516	2008–09	1,93,556	–तथैव–	4	7,742	23,227	30,969
			561517	2008–09	1,47,726	–तथैव–	4	5,909	17,727	23,636
			665678	2008–09	79,090	–तथैव–	4	3,164	9,491	12,654
			665677	2008–09	59,178	–तथैव–	4	2,367	7,101	9,468
सिक्किम	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	म0 लक्ष्मी एजेन्सी/ 10301182139	जी ओ बी/एफ 156365	2007–08	2,29,010	खाने हेतु तैयार भोजन	12.5	28,626	85,879	1,14,505
			जै ओ बी/एफ 156366	2008–09	1,49,118	–तथैव–	12.5	18,640	55,919	74,559
			जी ओ बी /एफ 156367	2008–09	34,617	–तथैव–	12.5	4,327	12,981	17,309
		कुल			**1,46,83,036**			**6,33,109**	**18,99,326**	**25,32,432**

परिशिष्ट VIII

घोषणा प्रपत्रों के उपयोग के द्वारा आयातित मालों का कम/नहीं लेखांकन किया जाना

(संदर्भः कंडिका 2.2.15.3)

(राशि ₹ में)

श्रोत राज्य	बिहार के अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम	टीन	प्रपत्र संख्या	अवधि	बिहार के व्यवसायी के सूचना के अनसार क्रय की राशि	अन्य राज्य के व्यवसायी के सूचना के अनसार क्रय की राशि	अन्तर/ छिपाव	सामग्री	आरोप्य कर का दर (प्रतिशत में)	कर	अर्थदण्ड	कुल
झारखंड	औरंगाबाद	मे0 अमन काक प्रा0 लि0	10170206113	जी ओ बी/ सी 123040	2007–08	5,12,655	5,79,506	66,852	काल	4	2,674	8,022	10,696
	भभुआ	मे0 रूही इंटरप्राईजेज	10180480189	जी आ बी/ सी 279490	2007–08	2,96,789	3,38,366	41,577	–तथैव–	4	1,663	4,989	6,652
	शाहाबाद	मे0 इंडिका स्मोकलेश फयूल इंडस्ट्रीज	10160980182	जी आ बी/ सी 247259	2007–08	3,01,878	4,25,664	1,23,786	–तथैव–	4	4,951	14,853	19,804
	तेघरा	मे0 न्यू कार्बनस प्रा0 लि0	सी0एस0टी0 10430082141	जी आ बी / सी 083707	2007–08	13,197	4,13,197	4,00,000	फायर ब्रिक्स एवं रिफैक्ट्री गुडस	4	16,000	48,000	64,000
तमिलनाडू	पटना विशेष	मे0 क्राम्पटन ग्रिभस लि0	सी0एस0टी0 10010003174	जी आ बी / सी 226778	2009–10	12,77,569	22,59,411	9,81,842	मोनोबलॉक पम्प रसेयर्स	4	39,274	1,17,822	1,57,096
			सी0एस0टी0 10010003174	जी आ बी/ सी 226825	2009–10	7,19,978	9,82,518	2,62,540	–तथैव–	4	10,502	31,506	42,008
			सी0एस0टी0 10010003174	जी आ बी/ सी 226843	2009–10	21,33,076	23,76,759	2,43,683	–तथैव–	4	9,747	29,241	38,988
त्रिपुरा	बेगुसराय	मे0 श्री कन्हैया ट्रेडिंग क0, बेगुसराय, बिहार	सी0एस0टी0 सं0 बी0जी0-2043 (सी) एवं टीन 10361776002	जी आ बी/ सी 165862	2008–09	3,14,721	5,65,743	2,51022	पुराना प्रयुक्त गनी बैग	4	10,041	30,123	40,164
			सी0एस0टी0 सं0 बी0जी0-2043 (सी) एवं टीन 10361776002	जी ओ बी/ सी 192933	2008–09	10,09,953	13,31,253	3,21,300	–तथैव–	4	12,852	38,556	51,408
	खगड़िया	मे0 साहू ट्रडर्स	10462000185	जी ओ बी/ सी 330437	2007–08	69,396	1,66,860	97,464	पुराना खाली गनी बैग	12.50	12,183	36,549	48,731
पश्चिम बंगाल	पटना विशेष	मे0 एलेन लैब. द्वारा जानकी फारमा	10010147025	104641	2004–05	70,826	7,08,261	6,37,435	होमियोपैथिक दवा	8	50,995	1,52,985	2,03,980
कुल						67,20,038	1,01,47,538	34,27,501			1,70,882	5,12,646	6,83,527

परिशिष्ट IX

केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण नहीं होना (द्वितीय बुलेट)

(संदर्भः कंडिका 2.2.16)

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टीन	वर्ष	सी / एफ प्रपत्र द्वारा असमर्थित अर्न्तराज्यीय बिक्री पर ली गई कटौती की राशि	सामग्री	आरोप्य / आरोपित कर का दर (प्रतिशत में)	आरोप्य कर की राशि	आरोपित कर की राशि	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद सृजित माँ ग की राशि (ब्याज को छोड़कर)	नहीं / कम आरोपण
					प्रपत्र 'सी'					
1	पाटलीपुत्रा	मे0 आदित्य बिरला टेलिकॉम लि0/ 10050411046	2008–09	3,51,51,144	टेलिकाम गुडस	4 / 2	14,06,046	7,03,023	शून्य	7,03,023
					प्रपत्र 'एफ'					
1	पाटलीपुत्रा	मे0 भारती एयरटेल लि0/10050212002	2007–08	60,69,65,024	टेलिकाम गुडस	4	2,42,78,601	–	84,193	2,42,78,601
		मे0 हिन्दुस्तान कोका–कोला/10050081052	2008–09	10,06,91,832	सॉफ्ट ड्रिंक	12.5	1,25,86,479	–	4,02,793	1,25,86,479
		मे0 सुकम पावर सिस लि0	2008–09	1,19,67,583	इलक्ट्रॉनिक गुडस	12.5	14,95,948	–	14,95,948	14,95,948
		आदित्य बिरला टेलिकॉम लि0/10050411046	2008–09	37,99,23,512	इलक्ट्रॉनिक गुडस	4	1,51,96,940	–	शून्य	1,51,96,940
		मे0 डिस्नेट वायरलेस लि0/10050333252	2008–09	19,77,77,264	–तथैव–	4	79,11,091	–	79,11,091	79,11,091
		मे0 जालंधर मोटर एजेन्सीज	2007–08	4,71,102	ऑटो पार्टस एवं ऑटोमाबाईल्स	12.5	58,887	–	शून्य	58,887
		मे0 डनलप इंडिया लि0/10050703046	2008–09	11,11,206	टायर एवं ट्यूब	12.5	1,38,901	–	1,38,901	1,38,901
कुल				1,33,40,58,667			6,23,69,870	–	1,00,32,926	6,23,69,870

परिशिष्ट X

आवर्त का छिपाव

(संदर्भः कंडिका 2.4)

सारणी–I

क्रय आवर्त के छिपाव के कारण कर का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	अंचल	व्यवसायी का नाम / टीन	अवधि	दर (प्रतिशत में)	वास्तविक क्रय	लेखांकित क्रय	मूल्य का छिपाव	कर	ब्याज	अर्थदण्ड	कुल	प्राप्त अन्तर
1.	आरा	मे0 प्रसाद मोटर्स/ 10160060040	2008–09	12.5	3056443	163640	2892803	361600	122040	1084800	1568440	क्रय रसीद एवं प्रपत्र–सी की उपयोगिता में अन्तर
2.	दानापुर	मे0 जे0एम0डी0 एलॉयज लि0/ 10040159019	2008–09	4	224408699	195114165	29294534	1171781	298804	3515343	4985928	वार्षिक विवरणी एवं प्रपत्र– सी की उपयोगिता में अन्तर
3.	दरभंगा	मे0 शिव शक्ति ट्रेडर्स/ 10381246036	2007–08	4	12963660	5374355	7589305	303572	118393	910716	1332681	वार्षिक विवरणी एवं टी0ए0आर0 की अनुसूची में अन्तर
		मे0 बैद्यनाथ महता/ 10380039065	2007–08	4	38577787	28151688	10426099	417044	168903	1251132	1837079	वार्षिक रिटर्न एवं टी0ए0आर0 की अनुसूची में अन्तर
4.	हाजीपुर	मे0 राकेश मशाला प्रा0 लि0/ 10293647082	2008–09	4	155273277	152749937	2523340	100934	22710	302802	426446	वार्षिक रिटर्न एवं टी0ए0आर0 – IV में अन्तर
5.	जहानाबाद	मे0 एलाई प्रा0 लि0/ 10220290056	2007–08	12.5	1021980	737700	284280	35535	14925	106605	157065	वार्षिक रिटर्न एवं रोड परमिट (डी–IX) में अन्तर
6.	खगड़िया	मे0 लाल कुमार सिंह/ 10460682052	2008–09	12.5	4183140	4056714	126426	15803	4741	47409	67953	वार्षिक रिटर्न एवं टी0ए0आर0 में अन्तर
7.	लखीसराय	म0 बालाजी इन्गाट प्रा0 लि0/ 10550322080	2007–08	4	157473489	146212623	11260866	450435	189181	1351305	1990921	वार्षिक रिटर्न, ई0टी0– V एवं टी0ए0आर0 में अन्तर
8.	मोतिहारी	मे0 कमल साह/ 10270004011	2008–09	4	1752559	966300	786259	31450	10143	94350	135943	वार्षिक रिटर्न, टी0ए0आर0 एवं डी–IX विवरणी में अन्तर

परिशिष्ट–X

9.	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मे0 महरोतरा इंजी0 वर्क्स प्रा0 लि0/ 10310592012	2008–09	4	127757650	112183813	15573837	622953	130820	1868859	2622632	ई0टी0– V एवं वार्षिक रिटर्न में अन्तर	
10.	नवादा	मे0 श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग क0 / 10230170088	2006–07	4	5419054	4597852	821202	32848	21680	98544	153072	वार्षिक रिटर्न एवं प्रपत्र–सी का उपयोगिता विवरणी में अन्तर	
		मे0 जे0ए0 इनडेन/ 10230227027	2009–10	1, 4 एवं 12.5	5251305	0	5251305	98641	11837	295923	406401	ट्रेडिंग एकाउन्ट एवं आर0टी0– III टी0ए0आर0 में अन्तर	
11.	पाटलीपुत्रा	मे0 कान इलेभेटर इनडस्ट्रीज प्रा0 लि0/ 10050218016	2007–08	12.5	11941403	10927664	1013739	126717	62725	380151	569593	वार्षिक रिटर्न, टी0ए0आर0 एवं प्रपत्र–एफ को उपयोगिता में अंतर	
		मे0 टाटा टेलिसर्विसेस लि0 / 10050254294	2007–08	4	1310360888	1291081471	19279417	771177	381732	2313531	3466440	वार्षिक रिटर्न एवं रोड परमिट (डी–IX) में अंतर	
			2008–09	4	1462973995	1453688872	9285123	371405	116992	1114215	1602612	वार्षिक रिटर्न एवं रोड परमिट (डी–IX) में अंतर	
		मे0 हिन्दुस्तान कोका कोला लि0/ 10050081052	2008–09	12.5	270931041	225359679	45571362	5696420	1794372	17089260	24580052	वार्षिक रिटर्न एवं टी0ए0आर0 – IV में अन्तर	
		मे0 अशोका लेयण्ड लि0 / 10050153026	2008–09	12.5	259652061	227507928	32144133	4018017	1265675	12054051	17337743	वार्षिक रिटर्न एवं ई0टी0– V में अन्तर	
12.	पटना सिटी पूर्वी	मे0 जे0जी0 फाउन्ड्री/ 10060288071	2008–09	4	153763532	138590959	15172573	606903	172967	1820709	2600579	वार्षिक रिटर्न एवं प्रवेश कर रिटर्न में अन्तर	
13.	पटना सिटी पश्चिमी	मे0 मनीष ग्लास हाउस/ 10081735159	2008–09	12.5	1315109	12946020	206089	25761	6955	77283	109999	वार्षिक रिटर्न एवं रोड परमिट (डी–IX) में अंतर	

14.	पटना उत्तरी	मे0 विन मेडिकेयर प्रा0 लि0/ 10101493089	2006–07	4	44701554	41259463	3442091	137684	80555	413052	631291	वार्षिक रिटर्न एवं टी0ए0आर0 में अन्तर
		मे0 सलारा इंटरनेशनल/ 10100785086	2007–08	12.5	144731065	138417021	6314044	789255	319648	2367765	3476668	टी0ए0आर0-I एवं टी0ए0आर0-IV में अंतर
		मे0 एमका बैट्रीज लि0/ 10102068008	2007–08	12.5	26314621	23814523	2500098	312512	126567	937536	1376615	वार्षिक रिटर्न एवं टी0ए0आर0 में अन्तर
15.	पटना (दक्षिणी एवं कदमकुआँ)	मे0 सोनाली ऑटोस/ 10121686161	2007–08	12.5	93540868	85249665	8291203	1036400	497472	3109200	4643072	वार्षिक रिटर्न एवं टी0ए0आर0 में अन्तर
		मे0 सिंह बजाज ऑटो प्रा0 लि0/ 10125076020	2007–08	12.5	19797752	19287203	510549	63819	30633	191457	285909	वार्षिक रिटर्न एवं प्रपत्र–सी की उपयोगिता विवरणी में अंतर
			2008–09	12.5	46158235	43553805	2604430	325554	97666	976662	1399882	वार्षिक रिटर्न एवं प्रपत्र–सी की उपयोगिता विवरणी में अंतर
		मे0 लोटे इंडिया कारपो0 लि0/ 10120601119	2007–08	12.5	25818885	19487499	6331386	791423	385819	2374269	3551511	त्रैमासिक रिटर्न एवं प्रपत्र–एफ की उपयागिता विवरणी में अंतर
		मे0 सन्या फारमा/ 10130468056	2008–09	4	93841190	91742313	2098877	83955	25187	251865	361007	वार्षिक रिटर्न एवं प्रपत्र–एफ की उपयोगिता विवरणी में अंतर
		म0 ग्राफिक ट्रेडर्स/ 10130105082	2006–07	12.5	51211591	37825386	13386205	535448	273079	1606344	2414871	वार्षिक रिटर्न एवं व्यापार खाता में अंतर
16.	पटना विशेष	मे0 रिमेन्स लि0/ 10010122096	2006–07	12.5	68186336	30129588	38056748	4757094	2497474	14271282	21525850	वार्षिक रिटर्न एवं व्यापार खाता में अंतर
			2007–08	12.5	27951995	7863868	20088127	2511016	866300	7533048	10910364	वार्षिक रिटर्न एवं व्यापार खाता में अंतर
		मे0 आई0टी0सी0/ 10010052062	2008–09	4	64911082	51114741	13796341	551854	186251	1655562	2393667	ई0टी0– V एवं टी0ए0आर0 में अन्तर
		मे0 इस्सार ऑयल लि0/ 10010411059	2008–09	18.36	181150797	179218012	1932785	354859	119765	1064577	1539201	आई0ओ0सी0 से तिर्यक जाँच
		मे0 जी0एस0वी0सी0एच0 लि0/ 10010180005	2007–08	12.5	989063029	980336043	8726986	1090873	564527	3272619	4928019	वार्षिक रिटर्न एवं प्रपत्र–एफ की उपयोगिता विवरणी में अंतर
			2008–09	12.5	1427227159	1417783877	9443282	1180410	398388	3541230	5120028	वार्षिक रिटर्न एवं प्रपत्र–एफ की उपयोगिता विवरणी में अंतर

		मे0 केसोराम रयुन पाईप एवं फाउन्ड्रीज/ 10220290056	2006–07	4	214191716	208493700	5698016	227921	123077	683763	1034761	वार्षिक रिटर्न एवं रोड परमिट (डी–IX) में अंतर	
17.	पूर्णियाँ	मे0 पूर्णियाँ मोटर्स/10493439049	2008–09	12.5	45152755	42688996	2463759	307970	108559	923910	1340439	वार्षिक रिटर्न एवं डी–IX उपयोगिता में अंतर	
		मे0 राहुल ट्रेडर्स/10490902014	2007–08	4	9572128	6364303	3207825	128313	68327	384939	581579	वार्षिक रिटर्न एवं टी0ए0आर0 (परिशिष्ट–V)	
		मे0 फलॉलेस होडिंग एवं इंडस्ट्रीज लि0 / 10490885039	2007–08	4	528566387	477695505	50870882	2034835	732541	6104505	8871881	वार्षिक रिटर्न एवं रोड परमिट (डी–IX) में अंतर	
18.	रामरतीपुर	मे0 जगदम्बा इंटरप्राईजेज/ 10421861003	2007–08	4	7335750	6913773	421977	16879	8229	50637	75745	वार्षिक रिटर्न एवं टी0ए0आर0 में अन्तर	
		मे0 माँ छिनमस्तीके इंटरप्राईजेज प्र0 लि0/ 10422191094	2007–08	4	2257143	1603928	653215	26129	12542	78387	117058	वार्षिक रिटर्न एवं प्रपत्र–एफ की उपयोगिता विवरणी में अंतर	
19.	सीवान	मे0 मार्केटिंग प्वाईन्ट/ 10350273063	2008–09	4 एवं 12.5	9009830	8153433	856397	34668	11960	104004	150632	वार्षिक रिटर्न एवं प्रपत्र–सी की उपयोगिता विवरणी में अंतर	
		मे0 देव मोटर्स/ 10353254067	2008–09	12.5	21548871	20473191	1075680	134460	46389	403380	584229	वार्षिक रिटर्न एवं प्रपत्र–सी की उपयोगिता विवरणी में अंतर	
			2009–10	12.5	47338270	46217115	1121155	140144	23124	420432	583700	वार्षिक रिटर्न एवं प्रपत्र–सी की उपयोगिता विवरणी में अंतर	
कुल					**8409493081**	**7996098331**	**413394748**	**32832471**	**12519674**	**98497413**	**143849558**		

सारणी–II

बिक्री आवर्त के छिपाव के कारण कर का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम	अवधि	दर (प्रतिशत में)	वास्तविक बिक्री	लेखांकित बिक्री	मूल्य का छिपाव	कर	ब्याज	अर्थदण्ड	कुल	अभियुक्तियाँ
1	बाढ़	मे0 मैहर इंटरप्राईजेज/ 10020325041	2008–09	4	4856904	0	4856904	194276	59740	582828	836844	वार्षिक रिटर्न एवं युनाईटेड स्पिरिट लि0 के क्रय विवरणी की तिर्यक जाँच
		मे0 माँ काली ट्रेडर्स / 10020870084	2008–09	4	11428574	0	11428574	457143	140571	1371429	1969143	वार्षिक रिटर्न एवं युनाईटेड स्पिरिट लि0 के क्रय विवरणी की तिर्यक जाँच
2	बेगुसराय	मे0 एस0एस0टी0 ट्रेडर्स/ 10361955064	2006–07	4	9573307	0	9573307	382932	261351	1148796	1793079	वार्षिक रिटर्न एवं युनाईटेड स्पिरिट लि0 के क्रय विवरणी की तिर्यक जाँच
			2007–08	4	7148082	0	7148082	285923	143676	857769	1287368	वार्षिक रिटर्न एवं युनाईटेड स्पिरिट लि0 के क्रय विवरणी की तिर्यक जाँच
3	हाजीपुर	मे0 राकेश मशाला प्रा0 लि0/ 10293647082	2008–09	4	151636389	144040039	7596351	303854	72925	911562	1288341	वार्षिक रिटर्न, टी0ए0आर0 एवं बिक्री विवरणी में अन्तर
		मे0 जैन इनफ्रा प्रोजेक्ट लि0/ 10293197002	2007–08	4	323450168	291050295	32399873	1295995	544318	3887985	5728298	वार्षिक रिटर्न एवं सी0–II में अन्तर
4	लखीसराय	मे0 हरि राम नन्द लाल/ 10550002077	2007–08	12.5	20090936	18816504	1274432	159304	66908	477912	704124	वार्षिक रिटर्न, टी0ए0आर0 एवं बिक्री विवरणी में अन्तर

5	पाटलीपुत्रा	मे0 भारती एयरटेल लि0/ 10050212002	2007–08	12.5	971583617	606965024	364618593	45577324	21877116	136731972	204186412	वार्षिक रिटर्न एवं रोड परमिट (डी–IX) की तिर्यक जाँच में अन्तर	
		मे0 बी0एस0एफ0सी0एस0सी 0एल0/ 10050353040	2007–08	1, 4 एवं 12.5	9793785670	7553921786	2239863883	55396741	27421387	166190223	249008351	वार्षिक रिटर्न एवं टी0ए0आर0 की बिक्री विवरणी में अन्तर	
			2008–09	1, 3 (अति0कर) एवं 12.5	6903034828	4221618408	2681416420	105863328	33346948	317589984	456800260	वार्षिक रिटर्न एवं टी0ए0आर0 की बिक्री विवरणी में अन्तर	
		मे0 हिन्दुस्तान स्टील वर्कस कन्सट्रकशन लि0/ 10050036044	2006–07, 2007–08, 2008–09	1, 4 एवं 12.5	318250000	0	318250000	35340000	11132100	105020000	152492100	वार्षिक रिटर्न एवं रलवे द्वारा निर्गत पत्र में अन्तर	
6	पटना पश्चिमी	मे0 कोरस इंडिया लि0/ 10140218108	2008–09	4 एवं 12.5	40861745	7064818	33796927	1696606	534431	5089818	7320855	वार्षिक रिटर्न एवं टी0ए0आर0 (बकाये प्रपत्र–एफ की विवरणी) में अन्तर	
7	पूर्णियाँ	मे0 बाबा कन्सट्रकशन/ 10492453044	2006–07	12.5	85930256	78593005	7337251	917156	0	0	917156	वार्षिक रिटर्न एवं कर निर्धारण आदेश में अन्तर	
8	सहरसा	मे0 अरविन्द कुमार सिंह/ 10510185032	2008–09	4	15648541	12021836	3626705	145068	30464	435204	610736	त्रैमासिक रिटर्न एवं वार्षिक रिटर्न में अन्तर	
9	समस्तीपुर	मे0 सुशीला इन्टरप्राईजेज/ 10423340059	2009–10	12.5	69596355	63299486	6296869	787109	94453	2361327	3242889	वार्षिक रिटर्न एवं टी0ए0आर0 (प्रपत्र–3 सी डी)	
		कुल			**18726875372**	**12997391201**	**5729484171**	**248802759**	**95726388**	**743656809**	**1088185956**		

सार

(राशि ₹ में)

सारणी	शीर्षक	वास्तविक क्रय/ बिक्री	लेखांकित क्रय/ बिक्री	छिपाव की गई राशि	कम आरोपण			
					कर	ब्याज	अर्थदण्ड	कुल
I	क्रय का छिपाव	8409493081	7996098331	413394748	32832471	12519674	98497413	143849558
II	बिक्री का छिपाव	18726875372	12997391201	5729484171	248802759	95726388	743656809	1088185956
कुल		**27136368453**	**20993489532**	**6142878919**	**281635230**	**108246062**	**842154222**	**1232035514**

परिशिष्ट XI

कर का गलत दर लगाये जाने के कारण कर का कम आरोपण

(संदर्भः कंडिका 2.5)

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	अवधि	सामग्री	बिक्री मूल्य	आरोप्य/आरोपित कर का दर (प्रतिशत में)	कर का कम आरोपण	कम आरोपण पर ब्याज	आरोपित किये जानेवाला अर्थदण्ड	कुल
1.	आरा	मे0 मदन प्रसाद राज कुमार/ 10160095057	2006–07	कास्मेटिक्स	20934156	12.5/4	1779403	1201097	5338209	8318709
		मे0 भारतीय ईलेक्ट्रानिक/ 10160727012	2007–08	इन्भर्टर	2866162	12.5/4	243624	124248	730872	1098744
2.	भभुआ	मे0 मदन स्टोन क्रशर/ 10181048027	2005–06	स्टोन चिप्स	338650	12.5/4	28785	25043	86355	140183
			2006–07	स्टोन चिप्स	446650	12.5/4	37965	23918	113895	175778
3.	भागलपुर	मे0 शुक्ला एण्ड सिंह एसोसिएटस/ 10524070097	2007–08 एवं 2008–09 (तीसरे त्रैमास तक)	पैकेजड ड्रिंकिंग वाटर	1134911	12.5/4	96467	33479	289401	419347
4.	बिहारशरीफ	मे0 विशाल इनफ्रास्ट्रक्चर लि0/ 10190571002	2006–07	मूरम	1766919	12.5/4	150188	87860	450564	688612
5.	बक्सर	मे0 बक्सर ट्रेडिंग कं0/ 10030002052	2006–07	केश तेल	32655125	12.5/4	2339271	1438651	7017813	10795735
6.	दरभंगा	मे0 श्याम सुनिल कन्सट्रक्सन इंडिया लि0/ 10384606019	2007–08	स्टोन चिप्स	58795028	12.5/4	4997577	1949055	14992731	21939363
		मे0 श्याम किशोर कन्सट्रक्सन इंडिया लि0/ 10381512010	2006–07	स्टोन चिप्स	75737027	12.5/4	6437647	3669459	19312941	29420047

परिशिष्ट–XI

7.	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मे0 श्री साई सेल्स एवं सर्विस/ 10306077050	2008–09	अर्थ मूविंग मशीन, लोडर मशीन	69492083	12.5/4	5906827	1949253	17720481	25576561
		मे0 प्रकाश स्टोर्स/ 10302209078	2006–07	डाईजेसटिव टेबलेट एवं चूरन	5298900	12.5/4	450407	310780	1351220	2112407
			2007–08	–तथैव–	11662450	12.5/4	991308	505567	2973925	4470800
			2008–09	–तथैव–	16524558	12.5/4	1404587	463514	4213761	6081862
8.	नवादा	मे0 जुनैद ऑटो इलेक्ट्रीक/ 10230607073	2006–07	इन्भर्टर	1740766	12.5/4	147965	97657	443895	689517
			2007–08	इन्भर्टर	1263219	12.5/4	107374	51539	322122	481035
			2008–09	इन्भर्टर	1150051	12.5/4	97754	29326	293262	420342
9.	पाटलीपुत्रा	मे0 स्पीड क्राफ्ट लि0/ 10050003064/ 10050003161	2008–09	रोड रोलर, डी0जी0 सेट इत्यादि	127141137	12.5/4	10806997	3404204	32420991	46632192
		मे0 फुलटास टेम्पर प्रा0 लि0/ 10050043028	2007–08 2008–09	रेल रोड वाहन, युटिलिटी ट्रैक वाहन, गैंग कार इत्यादि	234334460	12.5/4	19918429	7669561	59755287	87343277
		मे0 पेप इन्फोटेक लि0/ 10050215009	2007–08 2008–09	टेलीफोन बिलिंग मशीन	40274904	12.5/4	3423367	1443864	10270101	15137332
		मे0 नाफेड/ 10050127030	2008–09	गेंहू एवं चावल	1169792763	1/0	11697928	3684847	35093784	50476559
		मे0 प्रोग्रेसिव कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0/ 10050289020	2005–06	बालू एवं अलकतरा	22791015	12.5/4	1937236	1656337	5811708	9405281
		मे0 सैमसंग इंडिया इलक्ट्रोनिक प्रा0 लि0/ 10050130037	2008–09	टी0भी0, ए0सी0 एवं अन्य इलक्ट्रानिक माल	9842620	12.5/4	836623	263536	2509869	3610028

10.	पटना सिटी पश्चिमी	मे0 इन्डो एशियन मिनरल वाटर एवं एलाईड प्रोडक्टस/10081276058	2007–08	पैकेजड डिंकिंग वाटर	1164820	12.5/4	99010	35643	297030	431683
			2008–09	–तथैव–	2093698	12.5/4	177964	32034	533892	743890
11.	पटना उत्तरी	मे0 लाखमनी इनफोटेक/ 10110510015	2006–07	कारट्रिज	9473515	12.5/4	805249	471071	2415747	3692067
12.	पटना दक्षिणी	मे0 लिंकवेल टेलीसिसटेम प्रा0 लि0/ 10122317049	2009–10	पी0सी0ओ0 बिलिंग मशीन	7245480	12.5/4	615866	78523	1847598	2541987
		मे0 जीवन धारा प्रोडक्टस/ 10123111091	2006–07	पैकेजड डिंकिंग वाटर	78826	12.5/4	6700	4523	20100	31323
			2007–08	–तथैव–	118680	12.5/4	10088	5901	30264	46253
13.	पटना विशेष	मे0 बी0 के0 ट्रेडिंग कं0 /10010256053	2006–07	केश तेल	1597343	12.5/4	126994	66672	380982	574648
			2007–08	केश तेल	5491497	12.5/4	377337	130181	1132011	1639529
		मे0 डाबर इंडिया लि0/ 10010037027	2006–07	मेडिसिनल फूड सामाग्री	127446684	12.5/4	10832968	5687308	32498904	49019180
			2007–08	–तथैव–	145027346	12.5/4	12327324	4252927	36981972	53562223
			2008–09	इसबगोल, च्यनप्राश	228472351	12.5/4	19420150	6401649	58260450	84082249
		मे0 मेरिको लि0/ 10010186019	2008–09	मेडिकर शैम्पू	20217595	12.5/4	1456163	480534	4368489	6305186
		मे0 तातिया कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0/ 10010124036	2006–07	स्टोन चिप्स	9071335	12.5/4	771063	404808	2313189	3489060
			2007–08	स्टोन चिप्स	43964288	12.5/4	3736964	1345307	11210892	16293163
		मे0 सुभाष प्रोजेक्ट एवं मार्केटिंग लि0/ 10010474012	2007–08	पी एस सी पोल	7991290	12.5/4	679260	326045	2037780	3043085
14.	पटना (पश्चिमी एवं केन्द्रीय)	मे0ध्योर एण्ड सिओर/ 10151931052	2008–09	पैकेजड मिनरल वाटर	23410827	12.5/4	1989920	596977	5969760	8556657
		मे0 शिवम एक्वा इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0/ 10150391080	2007–08	पैकेजड मिनरल वाटर	3443626	12.5/4	292708	140498	878124	1311330
			2008–09	पैकेजड मिनरल वाटर	5913332	12.5/4	502378	150713	1507134	2160225

15.	पूर्णियाँ	मे0 गंगा ज्योति प्यूरिफायर/ 10492467012	2007–08	पैकेजड मिनरल वाटर	463680	12.5/4	39413	13597	118239	171249
			2008–09	पैकेजड मिनरल वाटर	539118	12.5/4	45825	7561	137475	190861
			2009–10	पैकेजड मिनरल वाटर	428958	12.5/4	36461	6290	109383	152134
		मे0 बाबा कन्स0/ 10492453044	2007–08	पन्टस एवं इमलशन	24552505	12.5/4	2086963	1111308	6260889	9459160
			2008–09	पन्टस एवं इमलशन	3888123	12.5/4	330490	116498	991470	1438458
16.	समस्तीपुर	मे0 छिन्मस्तीका इन्टरप्राईजेज/ 10422191094	2007–08	पी0एस0सी0 पोल	517518	12.5/4	43989	21115	131967	197071
17.	सासाराम	मे0 मॉ लक्ष्मी भंडार/1024520305	2008–09	भूसी	13052549	4/0	522102	172295	1566306	2260703
कुल					2591648538		131171078	52142773	393513234	576827085

परिशिष्ट XII

इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति

(संदर्भः कंडिका 2.6)

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टीन	अवधि	क्रय मूल्य	उपभोग किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट	वास्तविक हकदारी	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक उपभोग	अर्थदण्ड ब्याज	कुल	अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का कारण
1.	भभुआ	मे0 कल्याणी ट्रडर्स/ 10180011097	2007–08	3970989	543435	492588	50847	152541 25931	229319	आई0टी0सी0 का दावा वार्षिक रिटर्न में दिखाये गये क्रय के अनुरूप नही थें।
			2009–10	4722753	611547	584219	27328	81984 4099	113411	–तथैव–
		मे0 दयानन्द प्र0 सिन्हा एण्ड कं0/ 10181534049	2008–09	4261185	281092	228554	52538	157614 15761	225913	कैपिटल इनपुट जैसे कि मोटर वाहन एवं कार्यालय साजो–सामान पर आई0टी0सी0 का दावा अमान्य थें।
2.	दानापुर	मे0 आईसबर्ग इन्डस्ट्रीज/ 10040518016	2008–09	40126710	1634203	0	1634203	4902609 441235	6978047	अनुसूची-IV के मालों के विनिर्माण में इनपुट का उपयोग किया गया।
3.	फारबिसगंज	मे0 ऑटा ट्रेडर्स/ 10440168007	2008–09	142985	17873	0	17873	53619 6300	77792	उन मालों पर आई0टी0सी0 का दावा/अनुमति दिया गया था, जिनकी पुनः बिक्री नहीं की गई थी बल्कि कन्ज्युमेबल के रूप में उनका उपयोग किया गया था।

परिशिष्ट–XII

4.	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मे0 बी0एस0सी0–सी0 एण्ड सी0 जे0भी0/ 10310938011	2008–09	198346588	8251408	7191043	1060365	3181095 222676	4464136	रिटर्न में आई0टी0सी का दावा टैक्स आडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये आई0टी0सी के अनुरूप नहीं थे।
		मे0 गनेश फाउन्ड्री एवं कास्टींग लि0/ 10310584058	2008–09	37074892	1519043	1222438	296605	889815 62288	1248708	रिटर्न में आई0टी0सी का दावा टैक्स आडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये आई0टी0सी के अनुरूप नहीं थे।
5.	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मे0 पार्ले बिस्कुट प्र0 लि0/ 10305416092	2008–09	159515657	1837002	882574	954428	2863284 314961	4132673	घोषणा प्रपत्र डी–IV में दर्शाई गई रिवर्स क्रेडिट की राशि से अधिक आई0टी0सी का दावा किया गया।
6.	पाटलीपुत्रा	मे0 कलपतरू पावर ट्रान्समिशन लि0/ 10050290087	2007–08	77216439	7433190	5482597	1950593	0 965544	2916137	निर्धारण पदाधिकारी द्वारा दावा से अधिक आई0टी0सी0 की अनुमति दी गई।
		मे0 एफ0सी0आई0/ 10050225097	2008–09	7120538952	116919098	33000749	83918349	251755047 26434280	362107676	अतिरिक्त कर पर भी आई0टी0सी0 का दावा किया गया।
7.	पटना दक्षिणी	मे0 कृष मोटर प्र0 लि0/ 1012486006	2008–09	5024453	626535	333645	292890	878670 90064	1261624	उन मालों पर आई0टी0सी0 का दावा/अनुमति दिया गया था, जिनकी पुनः बिक्री नहीं की गई थी बल्कि वर्कशाप में कन्ज्युमेबल के रूप में उनका उपयोग किया गया था।

8.	पटना विशेष	मे0 तांतिया कन्सट्र0/ 10010124036	2007–08	38489614	10680837	8817209	1863628	5590884 978405	8432917	उन मालों पर आई0टी0सी0 का दावा/अनुमति दिया गया था, जिनकी पुनः बिक्री नहीं की गई थी बल्कि कन्ज्युमेबल के रूप में उनका उपयोग किया गया था।
			2008–09	104574280	8847475	7097494	1749981	5249943 590618	7590542	–तथैव–
		मे0 भारत पेट्रालियम कारपो0 लि0/ 10010121029	2008–09	16345562	653822	0	653822	1961466 220665	2835953	आई0टी0सी0 का दावा उन वस्तुओं पर किया गया था जो उसी रूप में नहीं बेचे गए थे बल्कि अनुसूची IV के मालों के साथ मिश्रित कर दिये गये थे।
	कुल			**7810351059**	**159856560**	**65333110**	**94523450**	**277718571** **30372827**	**402614848**	

परिशिष्ट XIII

कटौतियों की गलत अनुमति

(संदर्भः कंडिका 2.7)

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टीन	अवधि	अमान्य कटौती की विवरणी	ऐसी कटौती की राशि	सामग्री का विभाजित मूल्य	दर (प्रतिशत)	वैट
1.	आरा	मे0 कमल बिल्डर्स/ 10162619094	2008–09	लाभ एवं स्थापना व्यय तथा अन्य व्यय जैसे कि मरम्मत एवं रख–रखाव, परिवहन	250564007	211066630	4 एवं 12.5	8873241
2.	बगहा	उज्जैन इन्जीकन (इंडिया) प्रा0 लि0/ 10250248021	2006–07	मिट्टी क्रय एवं अन्य विविध व्यय	26642358	26642358	4 एवं 12.5	2243287
3.	बेगूसराय	उपेन्द्र प्रसाद सिंह हाईटेक कन्सट्र0/ 10360329053	2008–09 2009–10	लाभ, वैट एवं सेवा कर	12466775	12466775	4 एवं 12.5	654584
4.	बेतिया	सीकेन एण्ड एस0पी0एम (जे0आर0)/ 10262831055	2008–09	लाभ	11798620	9336287	4 एवं 12.5	373451
		दुर्गा कन्सट्र0/ 10260267054	2008–09	लाभ, वैट, रायॅल्टी एवं अन्य विविध व्यय	13712352	11248348	4 एवं 12.5	449934
		नारायणी निर्माण/ 10260708016	2007–08	लाभ एवं अन्य विविध व्यय	121305726	114851049	4	4594042
5.	भागलपुर	रूनगटा इंटरप्राईजेज/ 10520936027	2007–08	अन्य प्रशासनिक व्यय एवं लाभ	7179279	4031475	4 एवं 12.5	224071
6.	बक्सर	जनमेजय सिंह/ 10031761050	2007–08	सकल लाभ	7921472	6535461	4 एवं 12.5	661389
		सुशान्त सागर कन्सट्र0/ 10030874082	2007–08	लाभ एवं अन्य प्रशासनिक व्यय	10140669	3355227	4 एवं 12.5	285362
7.	दरभंगा	तारा कन्सट्र0/ 10384624061	2008–09	प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय	9608370	8271205	4 एवं 12.5	548794
		राघव कन्सट्र0/ 10381595042	2006–07 2007–08	मिट्टी कार्य, रायॅल्टी एवं वैट	44359385	26637875	4 एवं 12.5	1715440
		श्याम किशोर कन्सट्र0 इंडिया प्रा0 लि0/ 1010381512010	2006–07	सकल लाभ	25127482	22296535	4 एवं 12.5	2189134
		श्याम किशोर कन्सट्र0/ 1038460619	2007–08	सकल लाभ	28855830	28157825	4 एवं 12.5	2011877

8.	जमुई	सुदेश कुमार सिंह/ 10540663014	2007–08 2008–09	कार्यालय व्यय, श्रोत पर कर की कटौती एवं लाभ	38094834	38094834	4 एवं 12.5	2844197
		मे0 अशोक एण्ड कं0/ 10540629064	2008–09	कार्यालय व्यय, श्रोत पर कर की कटौती एवं लाभ	10156122	10156122	4 एवं 12.5	820614
		मे0 सुदेश कुमार सिंह एण्ड कं0/ 10540164046	2007–08 2008–09	रायॉल्टी, लाभ एवं बिक्री कर	8156949	8156949	4 एवं 12.5	648412
9.	खगड़िया	मे0 अनिल कुमार/ 10460652079	2007–08	रायॉल्टी	568909	568909	4 एवं 12.5	59024
			2009–10	लाभ एवं अन्य विविध व्यय	1923285	1193312	4 एवं 12.5	93985
10.	लखीसराय	मुंगेर कन्सट्र0 कं0/ 10551619067	2007–08	रायॉल्टी, लाभ एवं मूल्यवद्धित कर	17554820	17554820	4 एवं 12.5	702193
		नेक्स–जेन कन्सट्र0/ 10551461054	2008–09	लाभ एवं अन्य विविध व्यय	3400308	2883109	4 एवं 12.5	197519
		निशान्त कुमार/ 10551703069	2008–09	लाभ, रायॉल्टी एवं बिक्री कर	14828209	14828209	4 एवं 12.5	937595
11.	मोतिहारी	मे0 आर0 के0 गर्ग/ 10273127023	2008–09	लाभ एवं अन्य विविध व्यय	61677486	31897808	4 एवं 12.5	1600457
12.	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मे0 बी0एस0सी–सी0 एण्ड सी0 (ज0भी0)/ 10310938011	2008–09	लाभ	261192589	126839529	4 एवं 12.5	6558174
13.	पाटलीपुत्र	मे0 एम0जी0सी0पी0एल0 –भी0सी0बी0पी0एल0(जे0भी0)/ 10050442086	2008–09	वाहनों का किराया प्रभार, अन्य विविध व्यय एवं लाभ	80483113	68622095	4 एवं 12.5	4030450
		मे0 एम0जी0 कन्ट्रैक्टर प्रा0 लि0/ 10050485057	2008–09	वाहनों का किराया प्रभार, अन्य विविध व्यय एवं लाभ	13877870	11115426	4 एवं 12.5	770766
		मे0 ओरियन्ट स्ट्रकचरल इंजिनीयरिंग प्रा0 लि0/10050184066	2006–07	मूल्यह्रास, स्थापना एवं मरम्मत तथा रखरखाव सहित अन्य ओभरहेड	74579070	68431105	4 एवं 12.5	5878232
		मे0 कलपतरू पावर ट्रान्समिशन लि0 /10050290087	2005–06 2006–07 2007–08 2008–09	स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय तथैव तथैव तथैव	29437273 97249223 154710129 132342611	15653359 61147355 64536884 38223616	4 एवं 12.5 तथैव तथैव तथैव	1365114 6017114 5921679 2463034
		मे0 प्रोग्रेसिव कन्सट्र0 लि0/ 10050289020	2005–06 2006–07 2007–08	स्थापना व्यय, किराया प्रभार, लाभ एवं अन्य प्रशासनिक व्यय	56367627 202687326 520186393	43302633 166530923 469221385	4 एवं 12.5 –तथैव– –तथैव–	5061688 12119454 28101669

14.	पटना दक्षिणी	मे0 मदर इंडिया कन्साट्र0 प्रा0 लि0/ 10120984075	2007–08 2008–09 2009–10	स्थापना का लागत, अन्य विविध व्यय एवं लाभ	206897945	163810750	4 एवं 12.5	7671051
		मे0 अजन्ता कन्साट्र0 कं0/ 10120312059	2008–09	अन्य विविध व्यय एवं लाभ	7053785	5638883	4 एवं 12.5	225555
		मे0 अर्जुन इंजीकॉम प्रा0 लि0/ 10122788081	2007–08	लाभ एवं अन्य स्थापना तथा प्रशासनिक व्यय	10633269	6061288	4 एवं 12.5	330037
15.	पटना विशेष	मे0 तान्तिया कन्साट्र0/ 10010124036	2008–09	लाभ एवं प्रशासनिक तथा स्थापना व्यय	723737716	407126959	4 एवं 12.5	21285615
		मे0 जी0पी0टी0 इंफ्रास्ट्रक्चर/ 10010645050	2008–09	श्रोत पर कर की कटौती	2018190	2018190	4 एवं 12.5	142278
16.	पटना पश्चिमी एवं केन्द्रीय	मे0 ज्योति स्ट्रक्चर लि0/10150374008	2006–07	लाभ	78553071	20842538	4 एवं 12.5	1560064
17.	पूर्णियाँ	मे0 बाबा कन्साट्रक्चर/ 10492453044	2006–07	मिट्टी का लागत एवं माल भाड़ा व्यय	4730134	4730134	4 एवं 12.5	591267
18.	सासाराम	मे0 ए0 के0 बिल्डर्स एवं ट्रान्सपोर्टर्स/ 10240936021	2008–09	स्थापना का लागत तथा अन्य प्रशासनिक व्यय,लाभ	27578396	18112736	4 एवं 12.5	810110
कुल					**3410358977**	**2372196910**		**143631953**

परिशिष्ट XIV

मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान में प्रवेश कर का गलत समायोजन

(संदर्भ: कंडिका 2.20)

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टीन	अवधि	प्रवेश कर का भुगतान	प्रवेश कर का समायोजन	प्रवेश कर के समायोजन की वास्तविक राशि	अन्तर	ब्याज	कुल	अभियुक्तियाँ
1.	दानापुर	मे0 बालमुकुन्द कनकास्ट लि0/ 10040196073	2008–09	31459526	30116914	27954935	2161979	551305	2713284	अन्तर्राज्यीय भंडार हस्तांतरण पर समायोजन का दावा
		मे0 आईस बर्ग इंडस्ट्रीज लि0/ 10040518016	2008–09	1396480	1396480	0	1396480	356102	1752582	लघु, मध्यम या रूग्ण इकाई के अन्तर्गत व्यवसायी नहीं आते है।
2.	हाजीपुर	मे0 सुमित्रा ट्रेडिंग कं0/ 10290610012	2008–09	2775956	2781088	2168716	612372	137784	750156	प्रवेश कर के दर से कम वैट का दर
3.	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मे0 श्यामा पावर इंडिया लि0/ 10302993032	2008–09	2500000	2500000	908581	1591419	525168	2116587	–तथैव–
4.	पाटलीपुत्रा	मे0 अमारा राजा बैट्रीज/ 10050107048	2008–09	12186642	11981724	9683941	2297783	723802	3021585	वारंटी के तहत मालों की वापसी पर समायोजन का दावा किया गया।
		मे0 एक्साईड इन्डस्ट्रीज लि0/ 10050070091	2007-08 (फरवरी 2010में संवीक्षित)	68665397	68665397	64712900	3952497	1897199	5849696	–तथैव–
		मे0 आई0आर0सी0टी0सी0/ 10050163017	2007–08	2628553	2628553	986701	1641852	812717	2454569	अन्तर्राज्यीय भंडार हस्तांतरण पर समायोजन का दावा।
			2008–09	2364050	2318917	748403	1570514	494712	2065226	
5.	पटना विशेष	मे0 भारत पेट्रालियम कारपो0 लि0/ 10010121223	2008–09	50252556	50252556	37222805	13029751	4299818	17329569	प्रवेश कर के दर से कम वैट का दर
		मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपा0 लि0/ 10010120253	2008–09	38291231	38291231	9215542	29075689	9594977	38670666	प्रवेश कर के दर से कम वैट का दर।
		मे0 जे0पी0 एसोसिएटस/ 10010083005	2007-08 (जून 2009 में कर निर्धारित)	123851907	123851907	123322507	529400	269994	799394	क्षतिग्रस्त मालों पर समायोजन का दावा।
6.	सासाराम	मे0 नसीमउद्दीन एण्ड संस/ 10242253087	2008–09	2860705	2860705	2234916	625789	215897	841686	प्रवेश कर के दर से कम वैट का दर।
कुल				339233003	337645472	279159947	58485525	19879475	78365000	

परिशिष्ट XV

आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण

(संदर्भ: कंडिका 2.21)

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टीन	अवधि	वस्तु / दर	वास्तविक क्रय / लेखांकित क्रय	छिपाव	प्रवेश कर	अर्थदण्ड	ब्याज	कुल
1.	आरा	मे0 प्रसाद मोटर/ 10160060234	2009–10	मोटर साईकिल /8%	3585610 / शून्य	3585610	286849	860547	45179	1192575
2.	नवादा	मे0 टिवीनदरजीत माईनिंग एण्ड कन्सट्रकशन/ 10231406062	2008–09	डिजल जेनरेटर सेट, इलेक्ट्रीकल माल, बाल्टी इत्यादि	9456647 / शून्य	9456647	772927	2318781	237675	3329383
3.	पाटलीपुत्रा	मे0 जी0टी0एल0 इंफा लि0/ 10050455278	2008–09	आयरण एवं टेलीकॉम/ 4% 8%	54560186 / 45487088	9073098	606482	1819446	191042	2616970
		मे0 प्रोग्रेसिव कन्सट्र0 लि0/ 10050289214	2007–08	एच0एस0डी0, ल्युब्रिकेन्ट/ 16% एवं 8%	41640661 / शून्य	41640661	6630230	19890690	3281964	29802884
		मे0 गमन इंडिया लि0/ 10050198228	2007–08	बिटुमन, डी0जी0 सेट, ट्रान्सफोरमर,आयर एवं स्टील, बिटुमिन/4% एवं 8%	330116137 / 165501990	164614147	8598859	25796577	4256435	38651871
		मे0 रिलायंस टेलीकॉम/ 10050157294	2007-08 (जुलाई 2008 में निर्धारित)	टेलीकॉम सामग्री/ 4%	2204310499 / 2186409348	17901151	716046	2148138	354443	3218627

परिशिष्ट–XV

4.	पटना विशेष	मे0 तान्तिया कन्सट्र0/ 10010124230	2008–09	मोटर वाहन/8%	155655227 137706747	17948480	1435878	4307635	473840	6217352
		मे0 दिपक चगप्रा प्रा0 लि0/ 10010526295	2007-08 एवं 2008-09 (जुलाई 2008 में निर्धारित)	ग्रेनुल्स/ पी0पी0 गैस,सी0बी0बाक्से एवं डी0जी0 सेटस/ 4% एवं 8%	69029348 14054134	54975214	2301511	6904533	931818	10137862
		मे0 हिन्दुस्तान पेट्रालियम कारपो0 लि0/ 10010120253	2008–09	एम0एस0, एच0एस0डी0, एल0पी0जी0, बिटूमिन, अरफाल्ट/ 16% एवं 4%	2523941937 1305366759	1218575178	139346226	418038678	45984254	603369158
		मे0 भारत पेट्रालियम कारपो0 लि0/ 10010121223	2008–09	एम0एस0, एच0एस0डी0, एल0पी0जी0, ल्युब्रिकेन्ट/4%, 8% एवं 16%	7379717693 807397733	6572319960	1018425244	3055275732	336080331	4409781307
		मे0 इंडियन ऑयल कारपो0 लि0/ 10010116276	2008–09	डी0जी0 सेटस, हाईलाईट टावर/ 8%	8660556536 8654119330	6437206	514976	1544928	169942	2229846
5.	पूर्णियाँ	मे0 पापुलर गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स/ 10490210210	2007–08	एल0पी0जी0/ 8%	14418135 4357645	10060490	804840	2414520	350105	3569465
6.	सासाराम	मे0 बिहार राज्य हाईड्रो इलेक्ट्रीक पावर कारपो0/ 10244900217	2007–08	पावर प्लान्ट, मशीनरी एवं इलेक्ट्रीकल माल 8%	127593226 115410694	12182532	974603	2923809	497050	4395462
			2008–09		93311852 88021817	5290035	423203	1269609	146005	1838817
कुल					**21667893694** **13523833285**	**8144060409**	**1181837874**	**3545513623**	**393000083**	**5120351580**

परिशिष्ट XVI

प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना

(संदर्भ: कंडिका 2.22)

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम / टीन	अवधि	आयात मूल्य	सामग्री	आरोप्य / आरोपित दर	कर की राशि में अन्तर	आरोप्य अर्थदण्ड	आरोप्य ब्याज	कुल
कर निर्धारित / संवीक्षित मामले										
1.	दरभंगा	मे0 बैद्यनाथ गमी सत्यनारायण/10380023254	2007–08	54993779	तम्बाकू उत्पाद	16 / 5	6049316	18147948	2359233	26556497
2.	जमुई	मे0 श्याम बीड़ी वर्क्स/ 10540543025	2007–08	3913165	तम्बाकू (बीड़ी)	8 / 5	117395	352185	49306	518886
		मे0 नसीरउददीन बीड़ी मरचेन्ट प्रा0 लि0/ 10540669222	2007–08	22360765	तम्बाकू	8 / 5	670822	2012466	281745	2965033
3.	मधुबनी	मे0 राहुल जर्दा स्टोर्स/ 10410501042	2007–08	4691903	जर्दा	16 / 5	516109	1548327	193541	2257977
4.	पाटलीपुत्रा	मे0 रिलायन्स टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0/ 10050415217	2008–09	22426984	इलेक्ट्रीकल्स सामग्री	8 / 4	897079	2691237	282580	3870896
		मे0 रिलायन्स कम्युनिकेशन लि0/ 10050112286	2007–08	148279025	इलेक्ट्रीकल्स सामग्री	8 / 4	5931161	17793483	2935925	26660569
			2008–09	44333839	बैट्री एवं इलेक्ट्रीकल्स सामग्री	8 / 4	1773354	5320062	558606	7652022
		मे0 रिलायन्स टेलीकॉम लि0/ 10050157294	2007–08	29516605	इलेक्ट्रीकल्स सामग्री	8 / 4	1180664	3541992	584429	5307085
कुल				**330516065**			**17135900**	**51407700**	**7245365**	**75788965**
स्व -कर निर्धारित मामले										
1.	आरा	मे0 कमल बिल्डर्स/ 10162619288	2008–09	1221852	एल0डी0ओ0 फ्यूल	16 / 8	97748	293244	30791	421783
2.	जमुई	मे0 एम0के0 ब्रादर/ 10540543219	2007–08	4470282	तम्बाकू	8 / 5	134108	402324	56325	592757

परिशिष्ट–XVI

3.	किशनगंज	मे0 कैलाश टोबैको स्टार/ 10470596228	2008–09	565420	तम्बाकू	8/5	16963	50889	5343	73195
		आई0टी0डी0 सिमन्टेशन इंडिया लि0/10470433074	2008–09	8588919	सिमन्ट	12/5	601224	1803672	189386	2594282
4.	पाटलीपुत्रा	मे0 आदित्य बिरला टेलीकॉम लि0/10050411240	2007–08	7443968	इलेक्ट्रीकल्स सामग्री/ टाईल्स	8/4	297759	893277	147390	1338426
			2009–10	408707457	टेलीकॉम	4/0	16348298	49044894	3678367	69071559
		मे0 टाटा टेली सर्विसेज लि0/ 10050254294	2008–09	80008922	बैट्री एवं इलेक्ट्रीकल्स सामग्री	8/4	3200357	9601071	1008112	13809540
		मे0 भारती इंफाटेल लि0/10050418224	2007–08	63542789	इलेक्ट्रीकल्स सामग्री	8/4	2441712	7325136	1258147	11024995
		मे0 बी0एस0एन0एल0 (इलेक्ट्रीकल)/ 10050459255	2007–08	5812151	इलेक्ट्रीकल्स सामग्री	8/4	232486	697,458	115081	1045025
		मे0 आईडिया सेलुलर इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लि0/ 10050484281	2008–09	316443832	इलेक्ट्रीकल्स सामग्री	8/4	12657753	37973259	3797326	54428338
		मे0 डिसनेट वायरलस लि0/10050333252	2008–09	20089127	टेलीकॉम, बैट्री एवं इलेक्ट्रीकल्स सामग्री	4,8/0,4	870754	2612262	356837	3839853
5.	पटना सिटी पश्चिमी	मे0 हरिओम इंटरप्राईजेज/10082366241	2007–08	6560376	गुटखा	16/5	721641	2164923	259791	3146355
6.	पटना विशेष	मे0 आई0टी0सी0 लि0/ 10010052256	2008–09	1459007494	सिगरेट एवं स्मोकिंग तम्बाकू	16/12.5	51065262	153195786	16851537	221112585
7.	सासाराम	मे0 बिहार राज्य हाइड्राइलेक्ट्रीक पावर कारपो0 लि0/ 10244900217	2007–08	52258577 32750016	पावर प्लान्ट मशीनरी	8/4 8/0	4710332	14130996	2472924	21314252
कुल				**2467471182**			**93396397**	**280189191**	**30227357**	**403812945**
कुल योग				**2797987247**			**110532297**	**331596891**	**37472722**	**479601910**

परिशिष्ट XVII

अपूर्ण डाटावेस

(संदर्भः कंडिका 3.2.13)

कार्यालय का नाम	वाहन की कुल संख्या	मालिक का नाम	पता	इंजन सं0	वाहन की श्रेणी	निर्माता/मोडल	पैन/जी0आई0आर0	बिक्री की राशि	सीट क्षमता	क्यूबिक क्षमता/एच0पी0	अनलेडेन भार	लेडेन भार	व्हील वेस	क्रय तिथि
भागलपुर	19823		5	5		5	19818	962	149	745	182	3	3	1
गया	6017		558	558		558	3698	198	439	576	269		7	
कटिहार	9132		214	193		216	9132	58	184	193	121			1
मुजफ्फरपुर	60480		878	411	2133	20559	60473	1975	422	1338	18887	75	2545	2137
पटना	242037	27	1381	890	678	59241	237565	3708	640	80762	13133	93	3465	3233
पूर्णियाँ	15152		1365	1238		1365	15152	838	944	309	288		92	
वैशाली	25055		473	3		486	25014	516	340	17	157	4	20	689
कुल	**377696**	**27**	**4874**	**3298**	**2811**	**82430**	**370852**	**8255**	**3118**	**83940**	**33037**	**175**	**6132**	**6061**

कार्यालय का नाम	वाहन की कुल संख्या	डुप्लिकेट इंजन सं0	समान इंजन एवं चेसिस सं0
भागलपुर		16	247
गया	6017	10	189
हाजीपुर	25055	22	500
कटिहार	9132	2	90
मुज़फ्फरपुर	60480	1180	591
पटना	242037	773	1588
पूर्णियाँ	15152	12	117
कुल	377696	2015	3322

क्र0 सं0	जिला परिवहन कार्यालयों का नाम	वाहनों की सं0 जिसके लिए कर की गणना की गई	अवधि जिसके लिए कर का भुगतान नही किया गया।	कर की राशि (₹ में)		
				कर	अर्थदण्ड	कुल
1.	आरा	36	9/02 से 3/10	1215724	2431448	3647172
2.	अरवल	08	7/07 से 3/10	52009	104018	156027
3.	औरंगाबाद	36	5/06 से 3/10	699967	1399934	2099901
4.	बांका	16	01/08 से 3/10	225300	450600	675900
5.	बेगूसराय	42	7/02 से 11/10	1544443	3088886	4633329
6.	बेतिया	42	4/01 से 6/10	1182804	2365608	3548412
7.	भागलपुर	69	4/06 से 3/10	2829480	5658960	8488440
8.	बक्सर	21	7/01 से 6/10	588166	1176332	1764498
9.	छपरा	97	5/06 से 12/10	2380089	4760178	7140267
10.	गया	40	7/02 से 3/10	7504475	15008950	22513425
11.	जमुई	12	5/06 से 3/10	136467	272934	409401
12.	जहानाबाद	28	7/02 से 3/10	3567821	7135642	10703463
13.	कैमुर (भभुआ)	21	07/02 से 3/10	1856805	3713610	5570415
14.	कटिहार	23	4/07 से 3/10	420751	841502	1262253
15.	खगड़िया	16	7/06 से 3/10	403107	806214	1209321
16.	लखीसराय	27	11/06 से 3/10	1069316	2138632	3207948
17.	मधेपुरा	06	1/02 से 3/10	185841	371682	557523
18.	मधुबनी	22	1/02 से 3/10	680773	1361546	2042319
19.	मोतिहारी	33	09/08 से 11/10	701443	1402886	2104329
20.	मुंगेर	30	10/06 से 3/10	620767	1241534	1862301
21.	मुजफ्फरपुर	26	9/02 से 4/10	2330005	4660010	6990015
22.	नालंदा	32	07/02 से 3/10	4333403	8666806	13000209
23.	नवादा	25	08/02 से 3/10	762313	1524626	2286939
24.	पटना	132	7/02 से 3/10	10977485	21954970	32932455
25.	पूर्णियाँ	25	12/03 से 11/10	1524441	3048882	4573323
26.	समस्तीपुर	15	8/02 से 3/10	974953	1949906	2924859
27.	सासाराम	43	5/06 से 3/10	857874	1715748	2573622
28.	शेखपुरा	34	5/06 से 3/10	898139	1796278	2694417
29.	शिवहर	06	6/02 से 3/10	709989	1419978	2129967
30.	सीवान	22	09/02 से 3/10	1299199	2598398	3897597
31.	सुपौल	25	3/07 से 3/10	322500	645000	967500
32.	वैशाली	15	2/05 से 3/10	537024	1074048	1611072
	कुल	1025		53392873	106785746	160178619

सारणी–I

देशी शराब/मशालेदार देशी शराब

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	उत्पाद जिलों के नाम	स्वीकृत उत्पाद दुकानों की सं0	बन्दोबस्त दुकानों की सं0	अबन्दोबस्त रहे दुकानों की सं0	मासिक अनुज्ञप्ति फीस	राजस्व की हानि (कालम 5x6) ग महीनों की सं0
1	2	3	4	5	6	7
1.	बेगूसराय	36	27	8	1,75,000	1,68,00,000
				1	35,000	4,20,000
	कुल	**36**	**27**	**09**		**1,72,20,000**
2.	भागलपुर	51	25	11	1,22,010	1,61,05,320
				04	1,13,120	54,29,760
				03	1,07,030	38,53,080
				03	94,780	34,12,080
				05	50,400	30,24,000
	कुल	**51**	**25**	**26**		**3,18,24,240**
3.	भोजपुर	59	52	02	2,35,200	56,44,800
				02	2,19,520	52,68,480
				01	1,96,000	23,52,000
				02	94,080	22,57,920
	कुल	**59**	**52**	**07**		**1,55,23,200**
4.	पूर्वी चम्पारण	56	46	02	1,56,800	37,63,200
				05	1,25,440	75,26,400
				01	1,09,760	13,17,120
				02	62,720	15,05,280
	कुल	**56**	**46**	**10**		**1,41,12,000**
5.	गया	64	43	02	2,16,930	52,06,320
				10	1,56,870	1,88,24,400
				05	1,17,250	70,35,000
				04	63,070	30,27,360
	कुल	**64**	**43**	**21**		**3,40,93,080**
6.	गोपालगंज	17	12	01	2,73,000	32,76,000
				04	2,45,000	1,17,60,000
	कुल	**17**	**12**	**05**		**1,50,36,000**
7.	जहानाबाद	17	10	06	1,80,320	1,29,83,040
				01	1,62,260	19,47,120
	कुल	**17**	**10**	**07**		**1,49,30,160**
8.	कटिहार	42	29	08	1,26,000	1,20,96,000
				05	93,450	56,07,000
	कुल	**42**	**29**	**13**		**1,77,03,000**
9.	खगड़िया	28	19	06	1,19,000	85,68,000
				02	90,160	21,63,840
				01	64,400	7,72,800
	कुल	**28**	**19**	**09**		**1,15,04,640**

10.	मधुबनी	32	25	06	85,330	61,43,760
				01	77,630	9,31,560
	कुल	**32**	**25**	**07**		**70,75,320**
11.	पटना	203	161	08	2,99,600	2,87,61,600
				08	2,90,360	2,78,74,560
				06	2,87,070	2,06,69,040
				12	2,82,240	4,06,42,560
				02	1,58,830	38,11,920
				05	1,68,355	1,01,01,300
				01	1,96,425	23,57,100
	कुल	**203**	**161**	**42**		**13,42,18,080**
12.	पूर्णियाँ	39	32	06	78,400	56,44,800
				01	1,72,480	20,69,760
	कुल	**39**	**32**	**07**		**77,14,560**
13.	रोहतास	88	82	02	2,74,400	65,85,600
				01	2,56,970	30,83,640
				02	1,96,000	47,04,000
				01	1,17,180	14,06,160
	कुल	**88**	**82**	**06**		**1,57,79,400**
14.	सारण	34	20	10	1,37,200	1,64,64,000
				04	1,19,000	57,12,000
	कुल	**34**	**20**	**14**		**2,21,76,000**
15.	पश्चिमी चम्पारण	52	40	12	2,03,000	2,92,32,000
	कुल	**52**	**40**	**12**		**2,92,32,000**
कुल योग		**818**	**623**	**195**		**38,81,41,680**

सारणी–II

भारत निर्मित विदेशी शराब

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	उत्पाद जिलों के नाम	स्वीकृत उत्पाद दुकानों की सं0	बन्दोबस्त दुकानों की सं0	अबन्दोबस्त रहे दुकानों की सं0	मासिक अनुज्ञप्ति फीस	राजस्व की हानि (कालम 5X6) X महीनों की सं0
1	2	3	4	5	6	7
1.	अररिया	29	25	04	98,500	47,28,000
	कुल	**29**	**25**	**04**		**47,28,000**
2.	बेगूसराय	31	22	08	2,37,000	2,27,52,000
				01	37,500	4,50,000
	कुल	**31**	**22**	**09**		**2,32,02,000**
3.	भागलपुर	50	27	10	2,17,410	2,60,89,200
				04	1,88,492	90,47,616
				03	1,38,960	50,02,560
				02	1,24,830	29,95,920
				04	70,010	33,60,480
	कुल	**50**	**27**	**23**		**4,64,95,776**
4.	भोजपुर	46	36	07	1,72,950	1,45,27,800
				01	51,120	6,13,440
				01	50,150	6,01,800
				01	49,000	5,88,000
	कुल	**46**	**36**	**10**		**1,63,31,040**
5.	पूर्वी चम्पारण	54	52	01	94,290	11,31,480
				01	63,510	7,62,120
	कुल	**54**	**52**	**02**		**18,93,600**
6.	गया	52	32	02	2,55,800	61,39,200
				06	1,98,130	1,42,65,360
				05	1,00,310	60,18,600
				07	93,920	78,89,280
	कुल	**52**	**32**	**20**		**3,43,12,440**
7.	गोपालगंज	14	10	01	1,48,000	17,76,000
				03	1,27,920	46,05,120
	कुल	**14**	**10**	**04**		**63,81,120**
8.	जहानाबाद	16	14	02	69,450	16,66,800
	कुल	**16**	**14**	**02**		**16,66,800**
9.	कटिहार	36	34	02	69,758	16,74,192
	कुल	**36**	**34**	**02**		**16,74,192**
10.	खगड़िया	22	21	01	67,950	8,15,400
	कुल	**22**	**21**	**01**		**8,15,400**
11.	मधुबनी	24	21	02	67,050	16,09,200
				01	56,870	6,82,440
	कुल	**24**	**21**	**03**		**22,91,640**

12.	पटना	151	127	06	3,91,183	2,81,65,176
				12	1,83,650	2,64,45,600
				03	1,07,804	38,80,944
				03	77,077	27,74,772
	कुल	**151**	**127**	**24**		**6,12,66,492**
13.	पूर्णियाँ	36	35	01	82,680	9,92,160
	कुल	**36**	**35**	**01**		**9,92,160**
14.	रोहतास	65	57	01	1,24,600	14,95,200
				01	89,000	10,68,000
				02	58,920	14,14,080
				04	50,280	24,13,440
	कुल	**65**	**57**	**08**		**63,90,720**
15.	सारण	34	20	10	1,19,750	1,43,70,000
				04	89,250	42,84,000
	कुल	**34**	**20**	**14**		**1,86,54,000**
16.	पश्चिमी चम्पारण	48	32	12	1,17,250	1,68,84,000
				02	89,500	21,48,000
				02	61,250	14,70,000
	कुल	**48**	**32**	**16**		**2,05,02,000**
17.	मधेपुरा	28	27	01	68,535	8,22,420
	कुल	**28**	**27**	**01**		**8,22,420**
कुल योग		**736**	**592**	**144**		**24,84,19,800**

सारणी–III

कम्पोजिट दुकानें

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	उत्पाद जिलों के नाम	स्वीकृत उत्पाद दुकानों की सं0	बन्दोबस्त दुकानों की सं0	अबन्दोबस्त रहे दुकानों की सं0	मासिक अनुज्ञप्ति फीस	राजस्व की हानि (कालम 5 x6) x महीनों की सं0
1	2	3	4	5	6	7
1.	अररिया	58	36	01	64,500	7,74,000
				01	79,340	9,52,080
				12	76,870	1,10,69,280
				04	79,120	37,97,760
				02	60,500	14,52,000
				02	79,870	19,16,880
2.	बेगूसराय	86	82	04	77,250	37,08,000
3.	भागलपुर	70	45	25	80,330	2,40,99,000
4.	भोजपुर	77	73	04	72,000	34,56,000
5.	पूर्वी चम्पारण	117	76	08	84,210	80,84,160
				32	76,370	2,93,26,080
				01	68,530	8,22,360
6.	गया	78	29	49	74,320	4,37,00,160
7.	जहानाबाद	26	22	04	86,830	41,67,840
8.	कटिहार	79	51	28	72,530	2,43,70,080
9.	खगड़िया	43	38	05	70,584	42,35,040
10.	मधेपुरा	57	32	25	68,042	2,04,12,600
11.	मधुबनी	133	104	29	79,600	2,77,00,800
12.	नालंदा	83	77	06	76,380	54,99,360
13.	पटना	110	74	36	69,555	3,00,47,760
14.	पूर्णियाँ	65	41	24	76,810	2,21,21,280
15.	रोहतास	70	57	13	69,470	1,08,37,320
16.	सारण	109	54	55	69,330	4,57,57,800
17.	पश्चिमी चम्पारण	100	89	11	71,110	93,86,520
कुल		1361	980	381		33,76,94,160

सार

(राशि ₹ में)

टेबल	शराब का प्रकार	स्वीकृत उत्पाद दुकानों की सं0	अबन्दोबस्त रहे दुकानों की सं0	राजस्व की हानि
सारणी I	देशी शराब/मशालेदार देशी शराब की दुकानें	818	195	38,81,41,680
सारणी II	भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें	736	144	24,84,19,800
सारणी III	कम्पोजिट दुकानें	1,361	381	33,76,94,160
कुल योग		2,915	720	97,42,55,640

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	उत्पाद जिलों के नाम	शराब का प्रकार	दुकानों की सं0	मासिक अनुज्ञप्ति फीस	बन्दोबस्ती की तिथि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	अनुज्ञप्ति फीस की हानि
1.	बेगूसराय	भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें	02	4,74,000	02.06.2009 एवं 07.09.2009 के मध्य	60 से 150	16,59,000
		देशी शराब	02	3,50,000	02.06.2009 एवं 03.09.2009 के मध्य	60 से 150	12,25,000
2.	भागलपुर	भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें	04	4,96,390	24.04.2009 एवं 11.11.2009 के मध्य	23 से 220	13,67,235
		देशी शराब	02	1,57,430	24.04.2009 एवं 11.11.2009 के मध्य	23 से 220	4,51,656
		कम्पोजिट	02	1,60,660	19.06.2009 एवं 11.11.2009 के मध्य	78 से 220	7,97,945
3.	भोजपुर	भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें	01	51,120	07.04.2009	6	10,224
		देशी शराब	03	2,82,240	07.04.2009 एवं 08.04.2009 के मध्य	6 से 07	62,720
		कम्पोजिट	01	72,000	30.04.2009	29	69,600
4.	गया	भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें	05	9,70,550	21.04.2009	20	6,47,033
		देशी शराब	01	1,17,250	21.04.2009	20	78,167
		कम्पोजिट	02	1,48,640	21.04.2009 एवं 15.09.2009 के मध्य	20 से 164	4,44,896
5.	खगड़िया	भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें	01	67,950	23.07.2009	113	2,52,073
		कम्पोजिट	03	2,11,752	15.04.2009 एवं 23.07.2009 के मध्य	14 से 113	3,27,722
6.	मुजफ्फरपुर	कम्पोजिट	04	3,52,800	17.12.2009	256	30,04,492
7.	नालंदा	देशी शराब	03	3,59,310	15.04.2009 एवं 21.04.2009 के मध्य	14 से 20	2,15,587
		कम्पोजिट	02	1,52,760	15.04.2009 एवं 22.09.2009 के मध्य	14 से 171	4,71,010
8.	पटना	भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें	09	24,82,982	13.04.2009 एवं 18.09.2009 के मध्य	12 से 167	86,02,935
		देशी शराब	04	9,63,980	13.04.2009 एवं 13.11.2009 के मध्य	12 से 222	20,91,665
		कम्पोजिट	08	5,56,444	13.04.2009 एवं 13.11.2009 के मध्य	12 से 222	16,16,145
9.	पूर्णियाँ	कम्पोजिट	01	76,810	07.12.2009	240	6,14,480
10.	सारण	भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें	04	3,67,530	06.05.2009 एवं 09.10.2009 के मध्य	37 से 188	11,34,080
		देशी शराब	04	4,34,700	08.05.2009 एवं 09.10.2009 के मध्य	37 से 188	13,85,946
		कम्पोजिट	02	1,38,660	17.04.2009 एवं 21.08.2009 के मध्य	16 से 142	3,59,025
11.	पश्चिमी चम्पारण	भारत निर्मित विदेशी शराब	02	2,34,500	01.12.2009	240	18,76,000
		कम्पोजिट	08	5,68,880	05.05.2009 एवं 26.05.2009 के मध्य	34 से 55	7,38,627
कुल		भारत निर्मित विदेशी शराब देशी शराब कम्पोजिट	28 19 33				2,95,03,263